Tuesday, 08 December, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र
Tenth Session

Chamber Fumigated.

सत्यमेव जयते

Conservation Unit 27-5-92
Fumigated On 14.12.83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11—]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मुल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—5 LokSabha/65

विषय-सूची

अंक 17, मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1964/17 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
402	ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग	1553–55
403	रबी की फसल	1555–60
404	हिन्दुस्तान शिपयार्ड	1560–61
405	चीनी विपणन बोर्ड	1561–63
406	हरिजनों का कल्याण	1563–67
407	विकलांगों की शिक्षा	1567–68
408	गोंडा का चुनाव	1569–71
409	कृषि सम्बन्धी शिक्षा	1571–73

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
410	कम मूल्य पर अनाज देने वाली दुकानें . . .	1574
411	बड़े पत्तन	1574
412	उचित मूल्य की दुकानों का कार्यकरण . . .	1574
413	दिल्ली में स्कूटर-रिक्शाओं के लिये किराया मीटर . .	1575
414	सहकारी विपणन समितियां	1575
415	राजधानी में चीनी का वितरण	1576
416	'ए' और 'बी' किस्म की चीनी के तैयार करने पर प्रतिबन्ध लगाना	1576
417	उत्तर प्रदेश के बाजारों में धान . . .	1577
418	चुनाव प्रक्रिया	1577
419	फिनलैंड में जहाजों का निर्माण . . .	1577–78
420	गन्ने के भाव	1578–79
421	कृषि अनुसन्धान	1579
422	वाणिज्यिक फसलें	1575–80

अतारांकित प्रश्न संख्या		
1082	बिहार में कृषि उत्पादन	1580

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 17, Tuesday, December 8, 1964/Agrahayana 17, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

*Starred Question Nos.	Subject	Pages
402	Cottage Industries in Rural Areas . .	1553–55
403	Rabi Crops . . .	1555–60
404	Hindustan Shipyard .	1560–61
405	Sugar Marketing Board . .	1561–63
406	Welfare of Harijans . . .	1563–67
407	Education of Handicapped . .	1567–68
408	Gonda Elections . .	1569–71
409	Agricultural Education	1571–73

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Quedtion Nos.		
410	Low Price Shops .	1574
411	Major Ports . . .	1574
412	Working of Fair Price Shops	1574
413	Fare Meters for Scooter-Rickshaws in Delhi .	1575
414	Co-operative Marketing Societies .	1575
415	Sugar Distribution in Capital	1576
416	Ban on Manufacture of A and B varieties of sugar .	1576
417	Arrivals of Paddy in U. P. Markets . .	1577
418	Election Procedure	1577
419	Building of Ships in Finland	1577–78
420	Price of Sugarcane	1578–79
421	Research in Agriculture	1579
422	Cash Crops	1579–80

Unstarred Question Nos.		
1082	Agricultural Production in Bihar	1580

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1083	केरल में परिवहन सहकारी समितियां	1580–81
1084	गुलाब की अनिर्मित किस्म	1581
1085	पश्चिम तटीय सड़क पर पुल	1582
1086	मुर्गीपालन	1582
1087	कृषि उत्पादन	1582–83
1088	सिंगापुर मद्रास शिपिंग सर्विस	1583
1089	मद्रास सिंगापुर शिपिंग सर्विस	1583–84
1090	सिंगापुर-मद्रास जहाज यात्रा के लिये टिकट	1584
1091	सिंगापुर-मद्रास शिपिंग सर्विस	1584
1092	कृषि के लिये क्रैश प्रोग्राम	1584–85
1093	चेरुवत्तूर-कासरगोड सड़क का विकास	1585
1094	एरणाकुलम कुन्नम्मकुलम के बीच नई तटीय सड़क	1585
1095	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	1586
1096	खादी का प्रचार	1586
1097	बाल अधिनियम, 1960	1586–87
1098	बाढ़ के कारण खराब हुई फसलें	1587
1099	यात्रा विकास योजना तथा सेवायें	1587–89
1100	उड़ीसा की विधान सभा के चुनाव	1589
1101	विकास खंड	1589–90
1102	पशुओं की नस्ल	1590
1103	नेल द्वीप से इमारती लकड़ी का निस्सारण	1590–91
1104	उचित मूल्य की दुकानें	1591
1105	दिल्ली दुग्ध योजना	1591–92
1106	उद्यान विकास	1592
1107	शिक्षण प्रणाली	1592
1108	सूअरों और घोड़ों को पालना	1592–93
1109	बीज फार्म	1593–94
1110	मछली पकड़ने के बन्दरगाह	1594
1111	गोमती नदी पर पुल	1594–95
1112	केरल में हरिजन कल्याण योजनायें	1595
1113	तुरन्त तैयार हो जाने वाला भोजन	1595–96
1114	मिरया खाड़ी बन्दरगाह	1596
1115	उपभोक्ता सहकारी समितियां	1596
1116	खाद्य गोदामों पर छापे	1596–97

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1083	Transport Cooperative Societies in Kerala	1580–81
1084	Raw Variety of Rose	1581
1085	Bridges on West Coast Road	1582
1086	Poultry Farming	1582
1087	Agricultural Production	1582–83
1088	Singapore-Madras Shipping Service	1583
1089	Madras-Singapore Shipping Service	1583–84
1090	Tickets for Singapore-Madras Ship Journey	1584
1091	Singapore-Madras Shipping Service	1584
1092	Crash Programme for Agriculture	1584–85
1093	Development of Cheruvathur-Kasargode Road	1585
1094	New Coastal Road between Ernakulam and Kunnamkulam	1585
1095	Road Accidents in Delhi	1586
1096	Propagation of Khadi	1586
1097	Children Act, 1960	1586–87
1098	Crops Damaged by Floods	1587
1099	Travel Development Plan and Services	1587–89
1100	Elections to Orissa Legislative Assembly	1589
1101	Development Blocks	1589–90
1102	Cattle Breed	1590
1103	Extraction of Timber from Neil Island	1590–91
1104	Fair Price Shops	1591
1105	Delhi Milk Scheme	1591–92
1106	Development of Horticulture	1592
1107	Pattern of Teaching	1592
1108	Breeding of Pigs and Horses	1592–93
1109	Seed Farms	1593–94
1110	Fishing Harbours	1594
1111	Bridge on River Gomti	1594–95
1112	Harijan Welfare Schemes in Kerala	1595
1113	Instant Food	1595–96
1114	Mirya Bay Port	1596
1115	Consumer Co-operative Societies	1596
1116	Raid on Food Godowns	1596–97

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1117	पंचायती राज निर्वाचन समिति	1597
1118	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं . .	1597–98
1119	अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की प्रदेश की उत्तर यात्रा	1598
1120	उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता सहकारी भण्डार . .	1598
1121	जापान से हथकरघों के उपकरण	1598–99
1122	उत्तर प्रदेश में नल-कूप . . .	1599
1123	चीनी अनुसंधान संयंत्र . . .	1599–1600
1124	भारतीय मालवाही नौका का समुद्र में डूब जाना . .	1600
1125	अजन्ता की गुफाएं	1600–01
1126	वृद्धा वस्था पेंशन योजना	1601
1127	लंका के लिए भैंसो का भेजना . . .	1601
1128	मिल्क बूथ	1601–02
1129	चीनी पर से नियंत्रण हटाना	1602
1130	इन्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन . . .	1602
1131	छोटी सिंचाई योजनाएं	1602–03
1132	सहकारी समितियों को सहायता	1603–04
1133	ज्वार की खरीद	1604
1134	कोसी बांध	1604
1135	नालागढ समिति	1605
1136	गुलमर्ग का विकास	1605
1137	दिल्ली जोधपुर के बीच विमान सेवा . . .	1606
1138	बिहार को खाद्य का सम्भरण	1606
1139	अखिल भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी . . .	1606–07
1140	एर्नाकुलम में हवाई अड्डा . . .	1607
1141	प्रति व्यक्ति चीनी का कोटा . . .	1607

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में—

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के विषय संबंधी मामलों पर सदन से बाहर वक्तव्य देने का औचित्य 1607–1610

सभा पटल पर रखे गये पत्र 1610–1611

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1117	Panchayati Raj Election Committee	1597
1118	Wells for Scheduled Castes in U.P. . . .	1597-98
1119	Visit of Commissioner for S.C. & S.T. to U.P. . .	1598
1120	Consumer Cooperative Stores in U.P. . . .	1598
1121	Handicrafts Tools from Japan	1598-99
1122	Tube Wells in U. P.	1599
1123	Sugar Research Plant	1599-1600
1124	Loss of Indian Cargo Vessel	1600
1125	Ajanta Caves	1600-01
1126	Old Age Pension Scheme .	1601
1127	Supply of Buffaloes to Ceylon . .	1601
1128	Milk Booths	1601-02
1129	Decontrol of Sugar	1602
1130	Indian Airlines Corporation	1602
1131	Minor Irrigation Schemes . .	1602-03
1132	Assistance to Co-operatives	1603-04
1133	Purchase of Jowar	1604
1134	Koshi Bridge	1604
1135	Nalagarh Committee	1605
1136	Development of Gulmarg . . .	1605
1137	Delhi Jodhpur Flight	1606
1138	Foodgrain Supply to Bihar	1606
1139	All Indian Handicrafts Exhibition	1606-07
1140	Airport at Ernakulam . . .	1607
1141	Sugar Quota per Head	1607

RE : CALLING ATTENTION NOTICE—

Propriety of statements being made outside on matters forming subject-matter of Calling Attention Notices . 1607–1610

PAPERS LAID ON THE TABLE 1610–1611

अनूपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1964-65—

श्री रंगा 1611–13
श्री हनुमन्तैया 1613–15
श्री ही० ना० मुकर्जी . . . 1615–16
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी 1616–17
श्री यु० सिं० चौधरी . . . 1617
श्री अ० क० गोपालन . 1617–19
श्री मणियंगाडन . . 1619–20
श्री शामलाल सर्राफ . . . 1620
श्री ति० त० कृष्णमाचारी . . 1620–23

अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प तथा अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव

श्री चि० सुब्रह्मण्यम 1623–25
श्री बड़े 1625–26
श्री नारायण दांडेकर . 1626–28
श्री अ० चं० गुह . . . 1628–29
श्री शं० शा० मोरे . . . 1630
श्री यलमन्दा रेड्डी . . 1630–31
श्री सिंहासन सिंह . . 1631–32
श्री अ० शं० आल्वा . . 1632–33
श्री हरि विष्णु कामत . . 1633–36
श्री भागवत झा आजाद . . . 1636–37
डा० सरोजिनी महिषी . . . 1637–38
श्री नम्बियार . . . 1638

DEMAND FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERLA) 1964-65—

Shri Ranga	1611–13
Shri Hanumanthaiya	1613–15
Shri H. N. Mukerjee	1615–16
Shri Surendranath Dwivedy . .	1616–17
Shri Y. S. Chaudhary	1617
Shri A. K. Gopalan . . .	1617–19
Shri Maniyangadan	1619–20
Shri Sham Lal Saraf . .	1620
Shri T. T. Krishnamachari . .	1620–23

STATUTORY RESOLUTION RE : ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE; AND ESSENTIAL COMMODITIES AMENDMENT) BILL—

Motion ot consider

Shri C. Subramaniam .	1623-25
Shri Bade	1625-26
Shri N. Dandeker	1626-28
Shri A. C. Guha	1628–29
Shri S. S. More .	1630
Shri Yallamanda Reddy	1630-31
Shri Sinhasan Singh	1631–32
Shri A. S. Alva	1632–33
Shri Hari Vishnu Kamath .	1633–36
Shri Bhagwat Jha Azad	1636–37
Dr. Sarojini Mahishi .	1637–38
Shri Nambiar .	1638

लोक-सभा

LOK-SABHA

मंगलवार, 8 दिसम्बर, 1964/17 अग्रहायण, 1886 (शक)

Tuesday, December 8, 1964/*Agrahayana* 17, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[The Lok Sabha met at Eleven of the clock.]

[**अध्यक्ष महोदय पीठासिन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Cottage Industries in Rural Areas

+
*402 { **Shri M. L. Dwivedi**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda : }

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(*a*) the steps being taken by Government for implementing the suggestion made by the Prime Minister regarding the establishment of cottage industries in the rural areas;

(*b*) the reasons for the slow progress in establishing these industries in the rural areas in the past; and

(*c*) the broad outlines of the scheme formulated by the Ministry for expansion of these industries in the rural areas and the manner in which it is to be implemented ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) समाज सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत दस्तकारियों, खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के कार्यक्रमों को इसी लिये हाथ में लिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार मिलने वाली तथा बिना रोजगार वाली आबादी के लिये लाभदायक रोजगारों का प्रबन्ध किया जा सके। इस दशा में कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस कार्यक्रम की सीमा क्रमशः बढ़ती जा रही है और आने वाले वर्षों में यह काफी मात्रा तक अधिक परिमाण में बढ़ेगी।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know whether any survey has been conducted to find out the number and kind of handicraft industries to be set up in rural areas where farmers are under-employed and industries are small in number ?

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen) : Such survey is conducted always and on the basis of the same we decide where what kind of industries are to be established.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the number of villages out of the number of five lakhs villages in the country where work has been initiated by this Ministry to set up industries.

श्री जगन्नाथ राव : देश में पांच लाख अठावन हजार गांव हैं। उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय के समन्वय तथा परामर्श से सर्वेक्षण किया जायेगा। योजना आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 45 परियोजनायें स्थापित करने का सुझाव दिया है। इन 45 परियोजनाओं की प्रगति को देखा जायगा तथा उस के पश्चात ही इन उद्योगों की स्थापना के संबंध में विचार किया जायगा।

श्री अ० कु० सेन : यदि मैं अपने सहयोगी द्वारा दिये गये उत्तर में यह और जोड़ दूं, तो मैं कहूंगा कि मैं सर्वेक्षणो के प्रभाव की अपेक्षा वास्तविक कार्य में अधिक विश्वास रखता हूं। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि हम बेकारी तथा अर्ध-बेकारी की मुख्य समस्या के प्रति पूर्णत: जागरूक हैं। हमें यह भी मालूम है कि किस प्रकार के उद्योग हमारे ग्रामों के लिये उचित रहेंगे। मुख्य प्रश्न तो यह है कि हम कितने अधिक से अधिक क्षेत्रों में यह कार्य आरंभ कर सकते हैं। मैं सादर निवेदन करूंगा कि सर्वेक्षण कार्य इतना आवश्यक नहीं है कि उस पर समय नष्ट किया जाए। हम एक सामान्य स्वरुप निर्धारीत कर सकते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है तथा विशिष्ट क्षेत्रों में अपेक्षित ढंग का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, क्या मंत्रालय इस कमी को पूरा करने के लिये किसी योजना पर पुनर्विचार कर रहा है कि कितने शिक्षकोंकी आवश्यकता होगी ?

श्री अ० कु० सेन : मैं माननीय सदस्य से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि शिक्षकों का प्रशिक्षण, जो सामान्य जनता को सिखा सकें कि किस प्रकार ग्राम उद्योगों के लिये अच्छे तरीके अपनाये जायें और अच्छे उपकरणों का प्रयोग किये जा सके, बहुत महत्व की है। हम इस विषय पर विचार कर रहे है। माननीय सदस्य हमें इस बारे में कार्य आरंभ करने के लिये कुछ समय दे।

श्री स० चं० सामन्त : इन थोड़े से उद्योगों को ही क्यों इस मंत्रालय के अधीन लाया गया है जबकि अन्य अन्य उद्योग अन्य मंत्रालयों के अधीन रखे गये हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : केवल खादी तथा कुटीर उद्योग आयोग और हथकरघा ही इस विभाग के अन्तर्गत आते हैं। अन्य उद्योग सम्भरण मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं। सभी उद्योगों को इस विभाग के अधीन लाना सम्भव नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that the tempo of work regarding Ambar Charkha has slackened ? If so, whether an enquiry has been conducted to find out its reasons ?

श्री जगन्नाथ राव : यह भिन्न प्रश्न है। यह प्रश्न तो ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में है।

Shri Bade : Ambar Charkha comes under Khadi and Village Industries Ministry. It is surprising that he does not know about that. I work in connection with Ambar Charkha............

Mr. Speaker : He has not got the answer at present.

Shri A. K. Sen : It is correct that the desired progress has not been achieved but it is hoped that it will be achieved.

Shri Rameshwaranand : May I know the number of villages where industries have been set up by the Govt. and nature thereof ?

Mr. Speaker : This question has already been put and answered.

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा है कि उन्हों ने 45 परियोजनाओं में कार्य किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि ये परियोजनाएँ समस्त राज्यों में हैं अथवा ये एक या दो राज्यों में ही सीमित हैं ? यदि एक दो राज्यों में ही हैं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं।

श्री जगन्नाथ राव : ये सारे देश में तथा सभी राज्यों में हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Whether any schemes have been formulated to set up the type of industries patronised by Gandhiji like Khadi , oil-crushing etc.? If so, whether these have been started in all the areas.

श्री जगन्नाथ राव : खादी तथा ग्रामोद्योग उसी कार्यक्रम का भाग है जिसे गांधीजी ने आरंभ किया था। 1963-64 में लगभग बीस लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्रो में कार्य उपलब्ध किया गया है।

Shri Sarjoo Pandey : The loans given by the Government for starting industries in villages are not generally utilised properly. I want to know whether Government have instituted any enquiry into the waste of funds given to states for small-scale industries ?

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि कुटीर उद्योगों के विकास के लिये तृतीय योजना में कितनी राशि नियत की गई थी तथा अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

श्री जगन्नाथ राव : इस प्रश्न की मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री कपूर सिंह : क्या इन ग्रामीण उद्योगों के बुनियादी स्वरूप की योजना बनाते समय इस से सम्बन्धित मूलभूत उद्योग अर्थात कृषि के साथ इन के पारस्परिक संबध एवं ऐक्यता को भी ध्यान में रखा जाता है अथवा इन को स्वतंत्र रूप से बढ़ने दिया जाता है और बहुत समय पश्चात इस को कृषि के साथ जोड़ दिया जाता है ।

श्री जगन्नाथ राव : विचार यह है कि औद्योगिक इकाइयां कृषि पर आधारीत होनी चाहियें।

श्रीमती अकम्मा देवी : क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्योग स्थापित करते समय कच्चे माल की उपलब्धी के प्रश्न को भी ध्यान में रखा जाता है ?

श्री जगन्नाथ राव : यह एक मुख्य बात होती है।

रबी की फसल

*403. +
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बृजराज सिंह :
श्री बड़े :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया था कि वे अधिक एकड़ भूमि में खेती करके तथा खेती के अच्छे तरीकों के द्वारा रबी की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठायें ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इन विचारों को कहां तक स्वीकार किया है ;

(ग) रबी की अधिक पदावार के लिए संघ मन्त्रालय द्वारा और क्या सुझाव दिये गये थे; और

(घ) राज्यों ने उन सुझावों को कहां तक कार्यान्वित किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, मसूर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात आदि गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों से प्रार्थना की गई थी कि वे चालू रबी के मौसम (1964-65) से चुने हुए क्षेत्रों में गेहूं की सधन खेती के कार्यक्रम को शुरू करने का प्रबन्ध करें।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इस विषय में दिए हुए समस्त सुझावों को स्वीकार कर लिया है और वे आवश्यक प्रबन्ध कर रहे हैं ।

(ग) जो दूसरे सुझाव दिये गए थे साधारणत: उनका सम्बन्ध उर्वरकों के प्रयोग, उचित निराई, सामायिक सिंचाई, कीट नियंत्रण,गेहूं तथा कपास आदि फसलों के साथ पौदों का अन्तराल सस्य, रेलवे-भूमि का कृषि उत्पादन के लिए उचित प्रयोग, कुओं से गाद-मिट्टी की सामायिक सफाई से सुनिश्चित सिंचाई, कुओं का तेजी से निर्माण, आगामी मौसम में नई परियोजनाओं पर सिंचाई के लिए रियायती दाम लेना, परम आवश्यकता के समय सिंचाई के लिए जल सम्भरण की समोचित क्रमिका, मुरम्मत के लिए नहरों को केवल उसी समय बन्द करना जबकि पानी की कम-से-कम आवश्यकता हो, खेतों की नालियों की सामयिक सफाई या मुरम्मत करना, समय पर भूमि को तयार करना तथा खतों की नालियों की खुदाई करना। इसके अतिरिक्त राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे राज्य तकनीकी विभाग के माध्यम से कुओं की खुदाई के लिए एक सुनियोजित आधार पर कुओं की खुदाई का कार्य शुरू करें ताकि अधिक कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

(घ) अभी तक समस्त राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए है।

Shri Rameshwar Tantia : This statement is full of suggestions. I want to know whether Government will give only suggestin or will extend financial assistance also in case of need ?

Shri Shahnawaz Khan : Financial assistance is also being given.

Shri Rameshwar Tantia : The prices of fertilizers in India are higher than the prices in any other country of the world. Will the Government take steps to give concession in the prices of fertilisers, when needed ?

Shri Shahnawaz Khan : Wherever considered necessary subsidy is granted and in the particular areas it is being given.

Shri Bibhuti Mishra : This statement expresses nothing but the desire of the Government. Seed is the first and the foremost thing for the farmers. I want to know the number of union Ministers who toured in the states along in the names of the states and the steps taken to help the farmers in respect of seeds ?

Shri Shahnawaz Khan : The state Governments were directed three or four months in advance of *rabi* crops to make necessary arrangements for seeds for the *rabi* crops. In case of need the state Governments were asked to write to the Central Government. In every state there are seed stores managed by their Agriculture Departments, and in addition to these there are cooperative societies who procure seeds and distribute to the farmers.

Shri K. N. Tiwary : There is a suggestion in the statement with regard to utilisation of railway lands. I want to know whether there is a proposal to grow *rabi* crops in the vast compounds of bungalows of ministers, deputy ministers and High officers of the Government ?

Shri Shahnawaz Khan : Special attention has been paid to growing more and more vegetables in those compounds.

Shri D. C. Sharma : Will these vegetables be distributed amongst members?

Mr. Speaker : Order, Order.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार ने रबी की फसल की बुवाई आरंभ होने से पहले राज्य सरकारों को जलग्रस्त क्षेत्रों से पानी निकालने का तीव्र आन्दोलन आरम्भ करने का निदेश दिया था, जिससे इस वर्ष रबी की फसल के लिये अधिक भूमि को कृषि-योग्य बनाया जा सके ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों से पानी निकालने के काम को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करके भूमि को कृषि-योग्य बनाने का निदेश दिया गया था ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: May I know the names of edible pulses in the *rabi* crops that can substitute cereals and what steps are being taken by Government to increase their production ?

Mr. Speaker : After enquiring about foodgrains such as wheat etc. the hon. member wants to know the names of pulses which are edible.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : As the hon. Minister is an agriculturist I thought of just asking him the names of pulses which are grown during the *rabi*-season.

Mr. Speaker : It is not proper to test the knowledge and ability of the hon. Minister on the subject in this manner.

मंत्रीगण न तो कट घरे में खड़े हैं और न ही उनसे जिरह हो रही है कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाये । जो सूचना सरकार को उपलब्ध होती है वह सदस्यों को दे दी जाती है ।

श्री रंगा : जब मंत्री महोदय की रबी की फसल व गोभी में भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है तो कोई क्या करे ?

Mr. Speaker : Only this thing was asked whether seeds will be sown in the compounds of the bungalows of ministers also, so as to increase the production of vegetables.

Shri Y. S. Chaudhary : But how this question regarding vegatables is related with the *rabi*-crop.

अध्यक्ष महोदय : वे मुझसे अधिक जानते हैं ।

श्री रंगा : दस वर्ष तक रेलवे में उनका ध्यान केन्द्रित रहा । इससे पहले वे प्रतिरक्षा मंत्रालय में थे । उनसे आप कृषि के संबंध में क्या आशा करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हमेशा वह भूमि जोतते रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is the scheme of the Government with regard to provide water, power, fertilizer and seeds at cheap rates with a view to increase the *rabi*-crop ? Whether any organisation has been formed to meet this end ; if so, the name of the organisation ?

Shri Shahnawaz Khan : The attention of the State Governments has been drawn time and again to ensure us for as possible that water and power are available to the farmers at cheap rates for irrigation purposes.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : हमेशा हमें यही उत्तर दिया जाता है ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि वर्तमान सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाने की यह अल्पकालीन योजना थी जिससे कि रबी की फसल के समय यथासम्भव अधिकाधिक उत्पादन किया जाय । जसे आर्थिक सहायता व बिजली देना आदि से संबंधित बाकि सुविधाओ को बाद में देखा जायेगा । हमारा विचार तो यह है कि राज्य सरकारों से कहें कि वे वर्तमान सुविधाओं का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग करें।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Whether the Government have established any organisation for this purpose ?

Mr. Speaker : The hon. Minister said just now that the State Governments had been advised in this regard.

Shri Bade : I want to know the steps taken by the Government to increase the production of *rabi*-crops and the names of the states where more money has been spent during this year on this account as compared to the last year ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : हम पहले से कुछ अधिक उर्वरक दे रहे हैं । तह की मिट्टी की सफाई के सम्बन्ध में मुझ विश्वास है कि यदि उन्होंने ऐसा किया है तो अवश्य ही इस पर व्यय हुआ होगा । इसके आंकड़े मैं इस समय नहीं दे सकता ।

श्री भागवत झा आजाद : अभी दिये गये उत्तर के अनुसार किसानों को पर्याप्त ऋण दिया जा रहा है । रिज़र्व बैंक तथा ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण जांच समिति के अनुसार किसानों को दिया गया ऋण उनकी सम्पूर्ण आवश्यकता का कितना प्रतिशत होता है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री मान सिंह पृ. पटेल : परिपत्र के साधारण रूप के कारण, संकट की स्थिति व खाद्यान्नों की कमी होने पर भी, कुछ राज्य सरकारें किसानों को माध्यमिक व छोटे पैमाने की सिंचाई का उपयोग नहीं करने दे रही हैं, केवल इस लिये कि उन्होंने सिंचाई का बकाया लगान या अतिरिक्त कर या विशेष कर नहीं दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : उनको प्रश्न से पहले यह पूछना चाहिये "कि क्या यह सच है ।"

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Sheo Narain : What was the quantity of seed demanded from the Centre by the U.P. Government and the quantity supplied to them ? In addition to this what was the extent of help extended to Uttar Pradesh by the Centre in the matter of fertilizer ?

Mr. Speaker : There are sixteen States and if hon. Members start enquiring about each State how will the hon. Minister reply in this hour ?

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, Sir. This is an important question and must be answered. He has not helped U. P. at all. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : It is not proper on the part of hon. Members to speak in this manner when they are not called. Unless I call any hon. Member, no hon. Member should begin to speak. If it is allowed to go on it will be difficult for me to transact the business properly.

जब तक मैं किसी सदस्य को बुलाऊं, तब तक किसी भी सदस्य को बोलना या प्रश्न करना नहीं चाहिए। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस सम्बन्ध में वे मुझे सहयोग प्रदान करें। श्री विश्रामप्रसाद।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, Sir my question is very important. Our State has been neglected by the Centre....

Mr. Speaker : The hon. Member should sit down. I have not called him. I have called Shri Vishram Prasad.

Shri Vishram Prasad : It has been mentioned in this statement that concession will be given in irrigation charges. I want to know the extent of concession given to various States by the Centre ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम् : राज्यों से इस बात की सिफारिश की गई है कि सिंचाई को लोकप्रिय बनाने के लिये वे नई परियोजनाओं में सिंचाई कर रियायती दरों पर ही वसूल करें। राज्यों में दी गई रिआयतों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है क्यों कि तथ्य मालूम होने पर ही मैं जानकारी दे सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस वर्ष किसानों को रबी फसल से पहिले विशेष प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कहां तक राजी कर सकी है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम् : किस प्रकार का प्रोत्साहन ? प्रोत्साहन रियायती दरों के रूप में अथवा बीज के सम्बन्ध में हो सकता है। साधारण तौर पर उत्पादन वृद्धि के प्रयोजन से हमने उन्हें कुछ और अधिक खाद व कुछ कीटनाशक दवाइयां देने की पेशकश की थी। इसके अतिरिक्त हमने भूमि आदि को पहिले ही साफ करने का सुझाव भी दिया ताकि बीज बोते समय किसी प्रकार अड़चन अथवा रुकावट पैदा न हो। उक्त कार्यवाही रबी फसल बोये जाने से पूर्व किये जाने का सुझाव हमने दिया और अधिकांश राज्यों ने फसल बोने की सुविधाओं को ध्यान में रखकर इस सम्बन्ध में पहिले ही कार्यवाही कर ली है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि विभिन्न राज्यों में सिंचाई-दरों में दी गयी छूट के बारे में आंकड़ों की जानकारी देने के लिये उन्हें पूर्व सूचना की आवश्यकता है। क्या उन्हें कोई जानकारी है कि किसी भी राज्य में सिंचाई-दरों में छूट दी गई है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम् : जी नहीं।

2—5 Lok Sabha/65

श्री दे० जी० नायक : विवरण में कहा गया है कि सभी राज्यों से अभी तक उत्तर नहीं मिले हैं। किन-किन राज्य-सरकारों से अभी तक उत्तर नहीं मिले हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : मुझे केवल कुछ ही राज्यों से उत्तर मिले हैं। अब तक, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, आसाम, केरल तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने उत्तर भेजे हैं।

श्री रंगा : राज्य सरकारों को सरकार द्वारा भेजी गई खाद के भाव में क्या रिआयत दी गई है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। हमने उरिया (urea) का भाव पहिले ही 100 रुपया प्रतिटन कम कर दिया है। प्रश्न भाव का नहीं है। मुख्य कठिनाई यह है कि खाद मांग के अनुसार उपलब्ध नहीं है। अतः हम इसे अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

+ हिन्दुस्तान शिपयार्ड

*404. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री पें० वेंकटासुबय्या :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कोल्ला वेंकैय्या :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाज निर्माण-कार्य 1967-68 तक बढ़ा कर प्रतिवर्ष 6 जहाज करने का प्रस्ताव है,

(ख) क्या यह भी सच है कि शिपयार्ड में इलैक्ट्रोड्स इस्पात तथा अन्य वस्तुओं की बहुत कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) देश में विदेशी मुद्रा की बड़ी कमी होने से समय पर विदेशी मुद्रा की आवश्यक राशि उपलब्ध न होने के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड को एलोक्ट्रोड्स, इस्पात और अन्य आयातित कच्चे सामान की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां हुई। फिर भी इस समय यार्ड में एलेक्ट्रोडस, इस्पात और अन्य सामान की अधिक कमी नहीं है।

(ग) उक्त भाग (ख) को दृष्टि में रखते हुए सवाल नहीं उठता है।

श्री रा० गि० दुबे : सरकार को जहाज निर्माण उद्योग के लिये किन वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा ? हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस के महत्व को ध्यान में रखते हुये, क्या आयात के लिये और अधिक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है ?

श्री राज बहादुर : हमें 82 अथवा 83 वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। हमने सहायक उद्योगों की स्थापना के लिये कदम उठाये हैं अथवा हम इन सभी वस्तुओं का अपने ही देश में निर्माण करने के लिये उद्योगों की क्षमता का विकास कर रहे हैं। ये उद्योग जिनमें से कुछ स्थापित भी किये जा चुके हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, इस में कुछ समय लगेगा। इस बीच हम आवश्यक विदेशी मुद्रा को उपलब्ध करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।

श्री रा० गि० दुबे : मैं मंत्रालय द्वारा इस दिशा में किये गये कार्य की सराहना करता हूं किन्तु हमारे लागत मूल्य की जापान के लागत मूल्य से कैसे तुलना हो सकती है जब कि वहां इसे 56-57 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तक लाया गया है।

श्री राज बहादुर : जापान में जहाज-निर्माण उद्योग ने बहुत अधिक कार्य-क्षमता प्राप्त कर ली है। तुलनात्मक दृष्टि से--वे इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। जहां तक हमारे देश में जहाज निर्माण की लागत का सम्बन्ध है वह फ्रान्स और इटली जैसे देशों की तुलना में तो ठीक है, अपितु वह जापान की तुलना में अधिक है। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में भी जहाज निर्माण की लागत जापान से कहीं अधिक है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Ships which have been built are cent per cent Indian or they have been merely assembled here after importing their components ?

Shri Raj Bahadur: I have just now submitted that there are as many as 82 to 83 major items which we have to import from abroad.

श्री रंगा : क्या जहाज बनाने के कारखानों की क्षमता को बढ़ाने की बात तथा जहाज निर्माण सम्बन्धी बढायी जा रही सुविधाओं को ध्यान में रखकर, नई तथा बढ़ी हुई जिम्मेवारी को निभाने के लिये सरकार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है ?

श्री राज बहादुर : मेरे विचार से माननीय सदस्य बढ़ाये गये लक्ष्य की ओर निर्देश कर रहे हैं और......

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या सरकार स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है।

श्री राज बहादुर : बढ़े हुये लक्ष्य को पूरा करने के लिये सरकार कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

श्री ब० कु० दास : हम हिन्दुस्तान शिपयार्ड को सहायता के रुप में कितनी धनराशि दे रहे हैं ? क्या इस राशि को कम करने की कोई योजना है ?

श्री राज बहादुर : यह सहायता जहाज तथा यह देखकर दी जाती है कि वह किस किस्म का है। यदि किसी नये जहाज का निर्माण होता है तो सहायता अधिक दी जाती है और उसी किस्म के जहाज का यदि फिर निर्माण किया जाता है तो सहायता कम दी जाती है।

चीनी विपणन बोर्ड

\+
*405. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रि 8 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी विपणन बोर्ड के गठन को इस बीच अन्तिमरूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बोर्ड के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। इस पर अभी भी विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह मामला सेन आयोग को भेज दिया गया है और आयोग की सिफारिशों प्राप्त होने पर अन्तिम निणय शीघ्र ही किया जायेगा।

Shri Vishram Prasad : May I know for how long this Board has been under consideration and when this is likely to come into existance ?

श्री दा० रा० चव्हाण : इसका उत्तर पहिले दिया जा चुका है। यह मामला सेन आयोग को भेज दिया गया है और आयोग की सिफारिशें मिलने पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

Shri Vishram Prasad : May I know whether Millowners are also creating difficulties in this matter on account of which the Constitution of the Board is not being materialised ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जी नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it is a fact that Millowners in Uttar Pradesh have since made a recommendation to the Government to ban the movement of Gur from State, so that the sugarcanes could be made available the adequate quantity and at a cheper rate ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह सर्वथा अलग प्रश्न है। यह प्रश्न इससे उत्पन्न नही होता है।

Shri Yashpal Singh : While State Trading Corporation is functioning, Ministry of Agriculture is there and a separate Marketing Department in the Ministry is functioning why do Government contemplate to set up this Board ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : हम यह भी विचार कर रहे है कि क्या संसद द्वारा पारित किये गये विधि के अनुसार हाल ही में बना खाद्य निगम चीनी का भी वितरण कर सकेगा ताकि दूसरा निगम स्थापित करने की आवश्यकता न पड़े।

श्री अ०प्र० जैन : उपभोक्ता तथा उत्पादक के बीच दो मध्यवर्ती वर्ग हैं अर्थात् चीनी के थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी।क्या सरकार का विचार है कि एक और तीसरे वर्ग को बीच में लाकर उपभोक्ता के लिये चीनी की कीमत और भी बढ़ा दी जाये ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : विचार करने की बात यह है कि इस समय विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मूल्य निर्धारित हैं। अतः देय-मूल्य चीनी की उस मात्रा पर निर्भर करता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष अवधि में दी गई है। इसके बदले देश में उपलब्ध कुल चीनी की मात्रा को एकत्रित करके एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया जाये तो इससे चीनी का वितरण और भी अधिक सुव्यवस्थित होगा। इसी कारण हम . . .

श्री अ० प्र० जैन : माननीय मंत्री महोदय बिना ऐसे किये भी एक मूल्य निर्धारित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने उठकर एक प्रश्न किया और अब बैठकर वह दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अ० प्र० जैन : माननीय मंत्री महोदय ने यह प्रश्न उत्पन्न किया है। मेरा पहला प्रश्न बहुत साधारण था। क्या तीसरे वर्ग को भी बीच में लाने का विचार किया गया है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इसी लिये यह मामला सेन आयोग को भेजा गया है। अन्तिम निर्णय लिये जाने के पूर्व सभी बातों पर विचार होना जरुरी है ताकि मूल्यों में आगे और वृद्धि न हो।

श्री दे० द० पुरी : यह मामला कितनी अवधि से विचाराधीन है ?

श्री चि ० सुब्रम्हण्यम : यह पिछले एक वर्ष से विचाराधीन है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : चीनी के निदेशालय के सम्बन्ध में कटु आलोचना को ध्यान में रखते हुए कि उक्त निदेशालय भारतीय चीनी मिल-संघ का एक षड़यंत्रकारी भाग है, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती हैं कि कहीं चीनी विपणन बोर्ड भी उसी तरह का एक अन्य अभिकरण न बन जायी ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह सब मामला विचाराधीन है । हम जब दूसरे निगम की स्थापना करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर यदि कोई कदाचार होतो हो, तो न हो । अतः इसकी स्थापना किये जाने के पूर्व हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यह भ्रष्टाचार अथवा दुरुपयोग का दूसरा केन्द्र बन जावेगा ।

Shri Bibhuti Mishra : Will the Government have the representatives of agriculturists in this Sugar Consortium ?

Mr. Speaker. : The Government is still considering over it. Perhaps they may not form it.

Shri Bibhuti Mishra : Whether the Government have instructed the Sen Commission that as the agriculturist is both a consumer and producer of sugar cane, he should be consulted in this connection, so as to facilitate in arriving at a decision ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जिन लोगों के हितों का इस से संबंध है, उन सब की राय ली जायगी।

श्री के० दे० मालविय : क्या यह सच नहीं है कि अभिकरणों के प्रगुणन से स्फीति और मूल्यों में वृद्धि होगी, यदि हाँ, तो क्या सरकार को इन अभिकरणों को कम करने की नीति पर नहीं चलना चाहिए, जो कि उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य में आती हैं ?

श्री० चि० सुब्रम्हण्यम : मुख्यतः इसी कारण इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। पृथक निगम बनाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि इस कार्य के लिये निगम की आवश्यकता पड़ी और यदि सम्भव हुआ, तो इस कार्य को खाद्य निगम को सौंप दिये जाने के बारे में विचार किया जायेगा।

हरिजनों का कल्याण

\+

*406. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन : }

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्ड ने सितम्बर, 1964 में हुई अपनी बैठक में क्या निर्णय किये ; और

(ख) समस्त राज्यों में इन निर्णयों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) मुख्य सिफारिशें यह थी :—

(1) छुआछात और हरिजनों के आर्थिक उत्थान की समस्या के प्रश्न पर विचार करने के लिये अखिल भारतीय समिति की नियुक्ति ;

(2) बढ़ती हुई महंगाई के कारण छात्रवृत्तियों की दरों में संशोधन ;

(3) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मुफ्त कपड़े और छात्रवासों में ग्रन्थालयों की व्यवस्था ;

(4) अनुसूचित जातियों के परिवारों को समय पर कृषि सम्बन्धी सहायता ;

(5) हरिजनों तथा उन पिछड़ी जातियों को परमबोक का संमर्पण जिन के पास यह जमीने हैं और जहां तक हो सके हरिजनों के काश्त करने के लिये निजी भूमि की प्राप्ति ;

(6) हरिजनों के लिये कुछ कुटीर उद्योगों का समर्पण या सुरक्षित रखा जाना ;

(7) हरिजनों के लिये श्रम ठेका सहकारी समितियों को बढ़ावा देना ;

(8) पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित व्यवस्था का बनाये रखना, श्रेणी दो और तीन में पदोन्नति की व्यवस्था में रक्षित पूर्वविस्था और व्यवस्था को इसी तरह बनाये रखना जैसी कि उच्च न्यायालय के फैसले के समय थी ;

(9) चौथी योजना में ग्रामीण हरिजनों के मकानों की जगह की व्यवस्था ;

(10) चौथी योजना में उन हरिजन परिवारों के लिये गृह योजनाओं की व्यवस्था जो कि दैवी विपत्तियों का शिकार हैं ;

(11) गंदी बस्तियों में रहने वालों को बेदखली से बचाना;

(12) जिला हरिजन कल्याण समितियों में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का शामिल किया जाना ;

(13) हरिजनों को कानूनी सहायता ; और

(14) स्वयंसेवी संस्थानों को दिये जाने वाले अनुदान की पद्दति में संशोधन ।

(ख) सभा के मसौदे को अभी ही निर्णित किया गया था । सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है और जहां कहीं राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, उन की प्रतिक्रिया प्राप्त की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सामाजिक सुरक्षा उपमंत्री ने हरिजन कल्याण बोर्ड की पिछली बैठक में भाषण देते हुए कहा था कि हरिजनों और अन्य अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान से ही छूआछूत का उन्मूलन किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में सरकार क्या निश्चित उपाय कर रही है, विशेषतया, जब कि हरिजन बड़ी संख्या में ग्रामों में रहते हैं, जहां शहरों की तरह उद्योगों तथा अन्य व्यवसायों के अतिरिक्त आय के साधन नहीं हैं ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन): इसका उत्तर मद (4) और (6) में दिया गया है, जहां हरिजनों के आर्थिक सुधार के संबंध में विशिष्ट उपायों की सिफारिश की गई है।

Shri Onkar Lal Berwa : The Central Government always say that the State Governments do not follow the law and such and such items fall within the State Subjects. What action do the Government take against those State Governments which violate the law or do they take any action or not ?

Shri A. K. Sen : It has no concern with the main question.

Shri Onkar Lal Berwa : If the Central Government take any decision and some State Governments do not follow that do the Central Government take some objection or any action ? I do not understand how it is not connected with the main question.

श्री अ० प्र० शर्मा : सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार कितनी श्रम सहकारी संस्थाये कार्य कर रही हैं और इनको व्यक्तिगत ठेकेदारों की तुलना में कहां तक प्राथमिकता दी जाती है।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास श्रम सहकारी संस्थाओं के बारे में कोई सूचना नहीं है । जहां तक दूसरे विषय का सम्बन्ध है, यदि वह कोई विशेष मामला हमारे सामने लाएंगे तो हम उसकी जांच करेंगे । इसके अथितरिक्त हम और कुछ नहीं जानते ।

श्री बसुमतारी : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के अतिरिक्त इस विभाग के आरम्भ से लेकर क्या सरकार ने कोई और भी विशेष उपाय किये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : प्रश्न बड़ा अस्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : 12 या 14 मदों की एक लम्बी सूची दे दी गई है। माननीय सदस्य को इसके अतिरिक्त और क्या चाहिये।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को विदित है कि रिपब्लिकन दल ने प्रदर्शन किया था और एक ज्ञापन पत्र दिया था जिसमें यह लिखा था कि इस देश में हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिये कुछ नहीं किया गया है---और माननीय उप-मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई लम्बी सूची इसकी पुष्टि करती है कि......

श्री अ० कु० सेन : अपनी अपनी राय है.......

अध्यक्ष महोदय : यह केवल भूमिका है, प्रश्न तो अभी आयेगा।

श्री हेम बरुआ : ....यदि हां, तो उनके द्वारा की गई मांगों पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री अ० कु० सेन : मुझे ऐसे अभ्यावेदन के बारे में कोई सूचना नहीं है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। यदि हमारे पास ऐसा अभ्यावेदन आया तो हम उस पर विचार करेंगे। परन्तु प्रश्न के साथ उन्होंने जो भूमिका बांधी थी उसके साथ सहमत होना बहुत कठिन है।

डा० सरोजिनी महिषी : सभी मौखिक आश्वासनों और प्रकाशित योजनाओं के बावजूद, क्या सरकार को विदित है कि छात्रवृत्तियां और छात्रों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता समय पर नहीं मिलती और वह जमा होती रहती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह बहुत ही अस्पष्ट आरोप है।

श्री शिव नारायण : वास्तव में ऐसा ही हो रहा है।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैं यह नहीं कहती कि छात्रवृत्तियों का प्रत्येक स्थान अथवा संस्था में समय पर वितरण हो जाता है, त्रुटियां हो जाती हैं, और हमें जब उनका पता चलता है तो उनको दूर कर देते हैं। साधारणतया, पिछले दो या तीन वर्षों में हमने कुछ मामलों में हस्तक्षेप किया था। अब छात्रवृत्तियां समय पर मिलती हैं।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has said that an All India Board might be formed and other kinds of suggestions have also been made. What I want to stress is that the condition of Harijans is very bad and, particularly, they don't have land to live on. I want to know whether some special steps are being taken in the fourth five year plan so that minimum required land is provided to them for settlement ?

श्री अ० कु० सेन : एक सिफारिश हरिजनों को भूमि देने के बारे में है। इसको कार्यान्वित करना सुगम नहीं है, क्योंकि भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, विशेषतया उन क्षेत्रों में जहां हरिजनों का संकेन्द्रण है, परन्तु यह हमारा लक्ष्य है कि जो हरिजन खेतों में अथवा कृषकों के रूप में काम कर रहे हैं उनको जोतने के लिये गुजारे योग्य भूमि दी जाये।

श्रीमती अकम्मा देवी : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त और ढेबर आयोग ने कई सिफारिशें की हैं । मैं जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया और कार्यान्वित किया है; यदि नहीं, तो विलम्ब करने का क्या कारण है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : ढेबर आयोग और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशों के बारे में प्रश्नों के उत्तर मैंने कई बार दिये हैं । यह बहुत व्यापक है । शीघ्र ही इस पर चर्चा होगी । तब इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दिया जा सकेगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पंजाब के हरिजनों द्वारा की गई मांगों और रिपब्लिकन दल द्वारा किये गये आन्दोलन का ज्ञान है; यदि हां, तो उनकी सही कठिनाइयों के निवारण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अ० कु० सेन : हम इस समस्या को प्रादेशिक आधार पर नहीं सुलझा रहे हैं । ऐसा करना एक दोषपूर्ण तरीका होगा । हरिजनों की समस्या सभी जगह मुख्यतः एक ही प्रकार की है अर्थात् आर्थिक कमजोरी और सामाजिक असमर्थता, और हम इन दो अभिशापों को यथाशीघ्र दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : ये समस्यायें विशेष रूप से प्रादेशिक हैं और मैं जानना चाहता था कि क्या उपाय किये जा रहे हैं । मैंने यह नहीं पूछा था कि उनका क्या दृष्टिकोण है, चाहे वे प्रादेशिक हो अथवा राष्ट्रीय । निस्सन्देह यह अखिल भारतीय प्रश्न है, परन्तु विशिष्ट प्रादेशिक समस्याएं भी हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि उनका उस से कोई संबंध नहीं हैं ।

Shri P. L. Barupal : Is it not a fact that there is a lot of publicity and propaganda by Government for the welfare of Harijans but in reality nothing is done for them ? Is it also not a fact that none of the decisions taken for the welfare of Harijans is implemented ? What positive steps Government propose to take in this connection ? It is my experience of twelve years that nothing has been done for Harijans.

Mr. Speaker : You have expressed this opinion.

श्री गुलशन, जब मैं उनको देखने लगा तो वह यहाँ नहीं थे ।

Shri Gulshan : I have just come. The amounts allocated in the last three Five Year Plans for the welfare of backward classes have not been utilized fully. Now some amount will be earmarked in the Fourth Five Year Plan also for the welfare of backward classes. Will the amount allocated in the Fourth Plan together with the amounts not spent entirely during the last three Plans, be utilized in full during the Fourth Plan ?

श्री अ० कु० सेन : हमें आशा है कि निर्धारित की गई धन राशियाँ पूरी की पूरी खर्च हो जाएँगी, परन्तु इन धन-राशियों को पूरा खर्च करना हमारे हाथ में उतना नहीं है जितना कि राज्य सरकारों के हाथ में है ।

Shri Gulshan : The last three Plans...............

Mr. Speaker : Shri Sheo Narain.

Shri Sheo Narain : May I know whether the scholarships have been granted to all the students who were admitted in a University or in a Degree College in July this year, and who applied to Central Government for scholarships ?

Mr. Speaker : Some decisions were taken in the meeting of a Committee. Was there any decision taken in respect of the question which you are asking ?

Shri Sheo Narain : He stated that it was a vague question. I am asking quite a simple question. I want to obtain the information for this year, not for the previous years. Have the scholarships been granted to those boys who applied therefor during July this year ?

Shri A. K. Sen : I hope that these scholarships have been granted to them. If not, action will be taken in case it comes to our notice.

विकलांगों को शिक्षा

*407. { श्रीमती सावित्री निगम :
+
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विकलांगों को शिक्षा देने वाली ऐसी संस्थाओं की क्या संख्या है जिनमें अस्पताल सम्बन्धी सुविधायें भी मौजूद हैं ; और

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कि भारत में कितने प्रतिशत विकलांग हैं, कोई नमूना सर्वेक्षण किया गया है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) विकलांगों के 32 संस्थानों में हस्पताल की सुविधाएं हैं, 93 संस्थानों में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं और बाकी 70 संस्थानों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) **चार नगरों** में सभी श्रेणियों के विकलांगों के नमूने सर्वेक्षण करवाये गये थे, परन्तु इन से पर्याप्त सामग्री प्राप्त नहीं हुई ।

श्रीमती सावित्री निगम : विकलांगों में शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा है क्योंकि प्रशिक्षित व्यावसायिक थेरापिस्टों, फिजियोथेरापिस्टों तथा स्पीच थेरापिस्टों का अभाव है । इस तथ्य को ध्यान में रखकर इस प्रशिक्षण को देने वाले वर्तमान संस्थानों के विस्तार के लिए तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण हेतु नए संस्थानों को चालू करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ०कु०सेन) : यह सही है कि विकलांग बच्चों के हमारे संस्थानों में उपयुक्त शिक्षा देने वाले व्यक्ति बहुत संख्या में उपलब्ध नहीं हैं और माननीय सदस्या का कहना भी ठीक है कि इस समस्या अर्थात् पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों के प्रबन्ध करने के प्रश्न तथा इसके लिए भविष्य में पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर शीघ्रता से ध्यान देना चाहिए ।

श्रीमती सावित्री निगम : इसके बावजूद भी कि अनेकों संगठन गूंगे तथा बहरों की उच्च शिक्षा के लिए संस्थान खोलने की बारबार प्रार्थना कर रहे हैं, तो भी इस पर अबतक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इसलिए क्या मैं यह जान सकती हूँ कि चौथी योजना की अवधि तथा तृतीय योजना की शेष अवधि के दौरान ऐसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अ० कु० सेन : मैं माननीय सदस्या को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि हम सामान्य वित्तीय नियंत्रण रखते हुए ऐसी सब योजनाओं पर अत्यन्त सहानुभूति से विचार करेंगे ।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the percentage of assistance, financial and other, especially in respect of teachers, given by Government of India to schools and institutions for crippled children ? Is any measure being adopted to remove the handicaps of deaf and dumb ?

श्री अ० कु० सेन : हम सभी संस्थाओं तथा स्कूलों को सहायता देते हैं, उसको भी जिसके साथ श्रीमती निगम का गहरा संबंध है और इनमें से कुछ संस्थाएँ तो प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। कुछ मामलों में तो हम छोटी मोटी वित्त संबंधी अनियमितताओं पर भी ध्यान नहीं देते यदि वे उनके काम में सहायता देने के उद्देश्य की दृष्टि से अधिक गंभीर नहीं होती।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन विकलांग बच्चों को, विशेषतया उनको जो अन्धे, बहरे और गूंगे हैं, नौकरी दिलाने के लिये काम दिलाऊ अभिकरण स्थापित किये हैं ?

श्री अ० कु० सेन : यह एक पृथक प्रश्न है परन्तु मैं यह बता सकता हूं कि हम ने इस दिशा में कुछ कदम अवश्य उठाये हैं।

Shri Sheo Narain : May I know the number of such institutions being run by the Government of India ?

Shri A. K. Sen : I want notice for this.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार विद्यमान संस्थाओं के प्रबन्धकों पर नियंत्रकों के अशक्त प्रभाव के बारे में सर्वेक्षण करने का विचार कर रही है ?

Shri A. K. Sen : There should be another institution for this, otherwise there should be handicapped children.

डा० सरोजिनी महिषी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न तो इन विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था है और न ही कोई सर्वेक्षण किया गया है और न ही प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों को काम दिलाने की व्यवस्था है, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार इस विषय में ठोस कदम उठाने के लिये विचार कर रही है ?

श्री अ० कु० सेन : यह सच है कि हमने सभी विकलांग बच्चों के बारे में सर्वेक्षण नहीं किया है और न ही इतनी जल्दी ऐसा करना सम्भव है, परन्तु जहां तक सभी विकलांग बच्चों को काम दिलाने का सम्बन्ध है, हम इस दिशा में उचित कदम उठा रहे हैं जिन से प्रत्येक ऐसे बच्चे को, जिस को किसी व्यवसाय के लिये प्रशिक्षण दिया गया है, उस की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के अनुसार उचित काम दिलाने में सहायता की जा सके।

Shri R. S. Pandey : May I know whether the Government have made any effort to ascertain the number of lame, cripple, deaf and blind persons in India with a view to provide for them in means of living ?

Shri A. K. Sen : No such effort has so far been made.

गोंडा का चुनाव

\+
*408. **श्री रामचन्द्र मलिक :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री यु० सिं० चौधरी :

क्या **विधि-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1962 के गोंडा संसदीय चुनाव से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः संबंधित उत्तर प्रदेश के कुछ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्र ने जांच आरम्भ की है ;

(ख) क्या जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां। निर्वाचन आयोग ने 1962 के गोंडा संसदीय निर्वाचनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ पदाधिकारियों के आचरण की जांच लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 137 के अधीन करने का आदेश दिया है।

(ख) जांच अभी आरंभ ही हुई है और वह प्रारंभिक अवस्था में है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र मलिक : क्या मैं जान सकता हूं कि 1962 के गोंडा संसदीय चुनाव से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है, यह तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों के अनुशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है, परन्तु यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन में से कुछ अधिकारियों को पहले ही मुअत्तिल कर दिया है और उन के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

श्री रामचन्द्र मलिक : क्या मैं जान सकता हूं कि सम्बन्धित अधिकारियों की संख्या कितनी है और उन के विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

श्री अ० कु० सेन : मैं संख्या तो बता सकता हूं परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि सभा इस पर चर्चा नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय : संख्या बता दी जाये।

श्री अ० कु० सेन : मैं संख्या बता दूंगा। 6 अधिकारी हैं।

Shri Y. S. Chaudhary : May I know what action is being taken against Shri C. B. Gupta, who was at the helm of affairs in the election, and does not come under the definition of officers in the whole case and who was fully responsible for this ?

Shri A. K. Sen : I would request that such questions should not be raised here.

Shri Y. S. Chaudhary : Why should not be raised ? Whether all things without the permission of Shri C. B. Gupta...............

Mr. Speaker : Order, Order.

Shri Y. S. Chaudhary : If this question does not arise, why was this question allowed to be asked ?

Mr. Speaker : He should know better as to why this question was asked. What do I know ? The question is that everything is being said against one man. Either there should be an election petition against him, which was made, or if he had committed any criminal offence, any man can report the matter and he may say anything he likes. But has this house or Government any right to take any action against any man ?

Shri Bade : My submission is that this question does arise because it has been mentioned that the Election Commission is holding an enquiry against

them. In view of it, the question arises as to why enquiry has not been made against Shri C. B. Gupta. If this question is not to be asked then what is to be asked ? यह बहुत महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपूर सिंह ।

श्री कपूर सिंह : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में सरकार की अक्षमता के सम्बन्ध में जो अभी आपने मत व्यक्त किये हैं, क्या मैं यह बता सकता हूं कि सरकार ऐसी हालत में किसी सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 137 के अधीन कार्यवाही कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

Shri Y. S. Chaudhary : What I mean to say is that it has been mentioned in the decision that the Government of U.P. or the Chief Minister of U.P. had appointed Shri Nigam from the post of collector to the post of commissioner of Gorakhpur Division and he had defeated Shri Dandekar in the election. It has thus been mentioned in it that he was the officer. How does the name of Shri C. B. Gupta not come in it ?

Mr. Speaker : I said that if he has committed any criminal offence, disciplinary action can be taken against him in the court. But it is not clear from what has so far been said. I do not remember the wording of the section referred to by Shri Kapur Singh. I, therefore, do not want to give any direct reply whether it is correct or incorrect.

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि आप ने हमेशा यह विनिर्णय दिया है कि इस सदन में राज्य सरकारों से सम्बन्धित किसी विषय पर चर्चा नहीं होगी और यह भी कि सम्बन्धित व्यक्तियों को अपने बचाव करने का कोई अवसर नहीं है, इसलिए न ही व्यक्तिगत विषयों पर और न ही राज्य सरकारों से सम्बन्धित विषयों पर यहां चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस में अन्तर किया जा सकता है । श्री शर्मा यह बात अनुभव करेंगे कि यहां एक निर्वाचन याचिका थी और न्यायाधिकरण ने कुछ मत व्यक्त किये हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि इस विषय में निर्वाचन आयोग कुछ सरकारी अधिकारियों के कार्यों के सम्बन्ध में जांच कर रहा है ? सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मुख्य मंत्री भी, जब वह पद पर आसीन हैं, सरकारी कर्मचारी हैं । इसलिये यदि उस ने भी कोई अनियमितता की है तो मेरे विचार में इस बारे में जांच करना निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिये ।

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : मुख्य मंत्री का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ।

श्री शिंकरे : एक औचित्य प्रश्न यह है कि यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित है । मुख्य मंत्री इस में कैसे आते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना ठीक है ।

श्री रंगा : निर्वाचनों, उपनिर्वाचनों अथवा सामान्य निर्वाचनों के समय स्थानीय सरकार ही एक अधिकरण होता है जिस के द्वारा निर्वाचन आयोग कार्य करता है । इस सीमा तक तो संघ सरकार और निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है । इस विषय में तो मुख्य मंत्री ने तात्कालिक प्रधान मंत्री को

लिखने का कष्ट किया था और तात्कालिक प्रधान मंत्री ने उन्हें आवश्यक जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कहा था कि अपराधियों को दण्ड दिया जाये । इस के अतिरिक्त जो कुछ निर्वाचन आयोग ने अब काम करना आरम्भ किया है, चाहे इस ने इस का सूत्रपात अपने आप किया है अथवा निर्वाचन अधिकरण की मंत्रणा पर, इस बारे में मैं यह सुझाव देता हूं कि तात्कालिक मुख्य मंत्री तथा उस के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले उन लोगों के आचरण की जांच करना संघ सरकार का कर्त्तव्य है, जिन के कारण ये सब निर्वाचन संबंधी गोलमाल हुए, जिन की ओर निर्वाचन अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस प्रकार है :

"क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुछ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्र ने जांच आरम्भ की है........"

में उठाये गये औचित्य प्रश्न से सहमत हूं । यहां प्रश्न केवल सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। इसलिये मुख्य मंत्री का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रंगा : मैंने अन्य प्रश्न पूछा है, अर्थात् यह कि भारत सरकार ने मुख्य मंत्री के आचरण की जांच करना क्यों उचित नहीं समझा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस में से नहीं उठता ।

कृषि सम्बन्धी शिक्षा

*409. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** +:
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए निश्चित किये गए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कृषि सम्बन्धी शिक्षा के प्रसार में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कृषि संबंधी शिक्षा के स्तर का अध्ययन करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई पुनर्विलोकन समिति ने अच्छे तरीकों के बारे में सुझाव दिये हैं ; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की ओर से चालू अनुसंधान योजनाओं के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने के बारे में क्या व्यवस्था की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) डिग्री स्तर तक कृषि शिक्षा देने वाली संस्थाओं में दाखिले की क्षमता जो कि दूसरी योजना के अन्त में 5600 थी वह 1962-63 में बढ़कर 7500 तक पहुंच गई जब कि योजना में इसके लिए लक्ष्य 6200 निर्धारित किया गया था ।

(ख) इस समिति की रिपोर्ट अभी आनी है ।

(ग) अब तक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् उन कृषि विश्वविद्यालयों को, जो कि इसकी ओर से अनुसन्धान सम्बन्धी योजनाओं पर कार्य करते हैं, आधे-आधे के हिसाब से वित्तीय सहायता देती रही है। परन्तु हाल ही में, परिषद् ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में इन अनुदानों की मात्रा को बढ़ाकर शत-प्रतिशत कर दिया जाएगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह जानती है कि छोटे किसानों की आय में अन्तर तभी लाया जा सकता है जब उनको परिष्करण, विपणन तथा निर्माण कार्यों को करने दिया जाये, यदि हां तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि सम्बन्धी शिक्षा में एक प्रकार का नवीकरण लाना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : प्रश्न का सम्बन्ध कृषि सम्बन्धी शिक्षा की प्रगति से है। निःसन्देह, माननीय सदस्य ने एक आवश्यक प्रश्न पूछा है, परन्तु मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि आया यह प्रश्न इस के अन्तर्गत आता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : शिक्षा से पुनरुस्थापन भी होता है।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : निश्चय ही, अन्य किसी भी बात से कोई भी सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। यह शिक्षा भी उन्नति का प्रश्न है, तृतीय योजना में लक्ष्य प्राप्ति के बारे में है जिस के लिये 6200 संख्या निर्धारित की गयी थी और हम 7500 संख्या तक पहुंच गये हैं। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, हम शिक्षा के स्तर और अन्य बातों के बारे में पुनरीक्षा समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करेंगे।

श्री प्र०रं० चक्रवर्ती : जहां तक अनुसंधान योजनाओं का सम्बन्ध है, क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि प्रेरणा और प्रोत्साहन के प्रश्न पर भी जोर दिया जाना है और यदि हां, तो इस बारे में क्या किया गया है ?

श्री० चि० सुब्रम्हण्यम : यह बड़ा तकनीकी प्रश्न है क्योंकि मुझे यह पता नहीं है कि जहां तक अनुसन्धान का सम्बन्ध है, प्रेरणा से क्या तात्पर्य है। यदि इस का तात्पर्य उनको अधिक शैक्षणिक स्वातंत्र्य देना और अनुसंधान छात्र वृत्तियों को मान्यता दे कर प्रोत्साहन देना है तो इस सब को ध्यान में रखा जाता है।

Shri Onkar Lal Berwa : Sir, May I know the number of agricultural colleges functioning at present and in view of the shortage of manure, whether this number is proposed to be increased ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : तीसरी योजना में छः कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने थे और ये छः विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं। एक दूसरी योजना में स्थापित किया गया था। अतः इस प्रकार सात विश्वविद्यालय चल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि पशु-चिकित्सा क्षेत्र में पिछले वर्ष 19 कालिजों का तृतीय योजना लक्ष्य पूरा किया गया था और फिर भी इन कालिजों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन संस्थाओं की क्षमता से बहुत कम है, यदि हां, तो कृषि विद्यार्थियों में पशु-चिकित्सा शिक्षा में रुचि के अभाव के क्या कारण हैं ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : जहां तक पशु-चिकित्सा स्नातकों का सम्बन्ध है, उनकी अभी भी कमी है। यह केवल इस कारण है कि इन कालिजों में जाने के लिये विद्यार्थियों के लिये संभावनायें आकर्षक नहीं हैं। अतः उनके वेतन स्तर पर विचार करना पड़ेगा और उसमें काफी वृद्धि करनी होगी ताकि ये विद्यार्थी इन कालिजों में प्रवेश लें।

Shri Y. S. Chaudhary : In my opinion the question relates to the Ministry of Education but it has been transferred to the Ministry of Food and Agriculture. This is the general complaint in the country about the agricultural education that agriculture graduates have only theoretical knowledge and they are not aware of the conditions in villages. Will the Food Ministry advice the Ministry of Education or the agency imparting such education, that persons intending to take agricultural degree, would have to spend at least one year out of four year course in villages ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और हम कृषि शिक्षा में व्यावहारिक जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुनरीक्षा समिति भी इस पर विचार कर रही है और उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हम उस पर विचार करेंगे।

Shri Gulshan : May I know whether at the time of admissions in these agricultural colleges, those students are considered who had been working in the farms for ten years ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : इन कालिजों में प्रवेश के लिये कुछ शिक्षा अर्हता आवश्यक है। विद्यार्थियों ने विज्ञान के साथ हायर सेकेण्डरी या इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हुई हो। मैं नहीं समझता कि दस वर्षों से खेती का काम करने वाले को यह अर्हता प्राप्त होगी। यदि इस शैक्षणिक अर्हता और खेती के व्यावहारिक ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है तो उस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री पु० र० पटेल : हमारा अनुभव यह है कि कृषि शिक्षा के बाद ये विशेषज्ञ कृषि के बजाये सेवा में चले जाते हैं। इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं कि जो कृषि शिक्षा लें वे खेतों में कृषि की ओर ध्यान दें न कि नौकरी की ओर ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : अब सेवा के लिये जिन लोगों की आवश्यकता होती है वे केवल लिखा-पढ़ी ही नहीं करते। उनको विशेषतः सामुदायिक विकास क्षेत्रों में विस्तार कार्य करना होता है। अतः जब वे सेवा में जाते हैं तो केवल लिखा-पढ़ी के लिये नहीं बल्कि तकनीकी काम के लिये जाते और उस काम के लिये उनकी आवश्यकता होती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच नहीं है कि ये अधिकांश विद्यार्थी, जिन्हों ने यह शिक्षा-पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, बेरोजगार हैं क्योंकि उन्हें कहीं भी उपयुक्त रोजगार नहीं मिल रहा है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : उपयुक्त अर्हता प्राप्त कृषि स्नातकों में बेरोजगारी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि कृषि शिक्षा स्नातकोत्तर कालिज पाठ्यक्रम तक बढ़ा दी गयी है। क्या सरकार को पता है कि जिन विद्यार्थियों को माध्यमिक प्रक्रम पर कृषि सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है, उनको कृषि स्कूलों और कालिजों में शिक्षा नहीं मिल पाती और इस प्रकार उनकी सामान्य शिक्षा बेकार हो जाती है ?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : माध्यमिक पाठ्यक्रम के दौरान जिन विद्यार्थियों ने कृषि सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया हो और वे कृषि कालिजों में प्रवेश लें तो इस बात को सदैव ध्यान में रखा जाता है लेकिन उपलब्ध स्थानों की संख्या सीमित होने से उन सबको स्थान नहीं दिया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कम मूल्य पर अनाज देने वाली दुकानें

*410. { **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े नगरों में ऐसे अल्प आय वाले वर्गों के लिये जिनको स्पष्टत: पहचाना जा सकता है, वर्तमान उचित मूल्य की दुकानों के स्थान पर कम मूल्य पर अनाज देने वाली दुकानें खोलने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्ह्ण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बड़े पत्तन

*411. { **श्री महाराजकुमार विजय आनन्द :** **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय योजनावधि के दौरान बड़े पत्तनों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिये निश्चित की गई धनराशि का अधिकांश भाग उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3568/64**]

उचित मूल्य की दुकानों का कार्यकरण

*412. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोफेसर बी० एम० दांडेकर के नेतृत्व में बनाये गये दल ने जिसको उचित मूल्य की दुकानों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने, इन दुकानों के द्वारा बेचे जाने वाले अनाज के भाव निश्चित करने तथा अनाज के बाजार पर अनाज की बिक्री के सामान्य प्रभाव का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था, इस बीच अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक पेश किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) 1965 के शुरू में ।

दिल्ली में स्कूटर-रिक्शाओं के लिये भाड़ा-मीटर

*413. **श्री यु० सिं० चौधरी :** क्या परिवहन मंत्री 21 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्कूटर-रिक्शाओं में भाड़ा मीटरों का लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) प्रदेश परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली ने यह निर्णय किया है कि नये परमिट उन्हीं नये ओटो-रिक्शाओं को दिये जायेंगे जिन पर अनुमोदित किराया-मीटर लगे हों। चूंकि ये मीटर काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, अतः उक्त प्राधिकरण ने इस निर्णय को मुल्तवी कर दिया है।

बाद में मैसर्स इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेन्टस लिमिटेड, बंगलौर, ने 250 रु० में एक मीटर देना कबूल किया है और इस मीटर की अब राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में जांच की जा रही है। इस प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने पर ओटो-रिक्शाओं पर अनिवार्य रूप से किराया-मीटर लगाने के प्रश्न पर प्रदेश परिवहन अधिकरण विचार करेगा।

सहकारी विपणन समितियां

*414. **श्री धर्मलिंगम :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सहकारी विपणन समितियों तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिये कदम उठायें ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से निम्न उपाय करने के लिए कहा गया है :—

(1) सहकारी विपणन समितियों को चाहिए कि वे थोक उपभोक्ता भण्डारों की खाद्यान्नों सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें और परस्पर स्वीकृत शर्तों पर उनकी थोक खरीद के लिए प्रबन्ध करें।

(2) स्थानीय उपभोक्ता सहकारी समितियों को विपणन समितियों के माध्यम से खाद्यान्न खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(3) राज्य विपणन समितियों और राज्य थोक सहकारी भण्डार संघ के निदेशक मण्डलों में पारस्परिक प्रतिनिधित्व द्वारा ताल-मेल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(4) राज्य स्तर पर एक संयुक्त समन्वय समिति स्थापित की जाए जिसमें सहकारिता विभाग और दो शीर्ष संस्थाओं अर्थात् राज्य सहकारी विपणन समिति और थोक सहकारी भण्डार संघ के प्रतिनिधि हों।

(5) अन्तर्राज्य समन्वय की दिशा में अविशेष क्षेत्रों की शीर्ष विपणन समितियों को चाहिए कि वे विभिन्न राज्यों के थोक भण्डारों के निकट सम्पर्क में काम करें।

राज्य सरकारें ऊपर सुझाए गए उपायों से सामान्य रूप से सहमत हैं और इन्हें लागू करने के लिए कदम उठा रही हैं।

3—5 Lok Sabha/65

राजधानी में चीनी का वितरण

*415. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चीनी के वितरण का तरीका बहुत दोषपूर्ण है तथा ऐच्छिक चीनी वितरण प्रणाली के असंतोषजनक रूप से कार्य करने के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) ऐच्छिक संगठनों द्वारा शर्करा के कार्ड जारी न करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रत्युपाय किये गये थे । सरकारी शर्करा कार्डों के जारी करने और वितरण प्रणाली में सुधार करने के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है ।

"ए" और "बी" किस्म की चीनी के तैयार करने पर प्रतिबन्ध लगाना

*416. श्री काशीनाथ पांडे :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आदेश के द्वारा "वैकुम पान" पद्धति द्वारा चीनी बनाने वाले चीनी कारखानों में बनाई जाने वाली चीनी की विभिन्न श्रेणियों में से "ए" और "बी" किस्म की चीनी तैयार करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लाभ होने की आशा है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस प्रतिषेध आदेश के कारण अनेक कारखानों की कार्बोनेशन विधि के स्थान पर सल्फीटेशन विधि से चीनी तैयार करनी पड़ेगी जिस के परिणामस्वरूप न केवल चीनी की अच्छी किस्मों का मिलना दुर्लभ हो जायेगा अपितु विधि के बदल जाने के कारण हज़ारों कर्मचारियों की छटनी भी हो जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो बेरोजगारी की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए इस के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं कि वे लोग बेरोजगार न हों ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) मोटे दाने की शर्करा बनाते समय, दुबारा गलाने और उबालने की प्रक्रिया में शर्करा की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है । इन दो ग्रेडों की शर्करा के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने से ईंधन (बगैसे) की भी बचत होगी । उपभोग में भी, कुछ शर्करा व्यर्थ जाती है क्योंकि मोटा दाना धुलने में अधिक समय लेता है ।

(ग) यह ठीक नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के बाजारों में धान

*417. **श्री यशपाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश के बाजारों में धान बहुत कम आ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि हाल ही में निश्चित किए गए धान के भाव कुछ ऊंचे कर दें ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) उत्तर प्रदेश की मंडियों में अक्तूबर और नवम्बर में धान की आमद गत वर्ष के इन्हीं महीनों की अपेक्षा कम थी। दिसम्बर में आमद बढ़ी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चुनाव प्रक्रिया

*418. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या विधी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने, नई दिल्ली में तीन महीने पहले राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में हुई बातचीत के अनुसार चुनाव कानून, नियम तथा प्रक्रिया में संशोधन करने के निश्चित प्रस्ताव बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन विधियों, नियमों और प्रक्रिया के संशोधन के लिये अभी तक कोई निश्चित प्रस्थापनायें नहीं बनाई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिनलैंड में जहाजों का निर्माण

*419. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैंड सरकार ने ऋण पर भारत के लिये तीन जहाज बनाने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस ऋण का उपयोग जहाज बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) फिनलैंड की सरकार से ऐसी कोई आफर नहीं प्राप्त हुई है । परंतु गैर सरकारी क्षेत्र के एक फिनिश शिपयार्ड ने निम्नलिखित उधार की शर्तों पर तीन माल जहाज (कोलियरस) प्रत्येक 13,000 सकल टन धारिता का 32.4 लाख पौंड (4.32 करोड़ रुपये) की कुल कीमत पर देने का वचन दिया है :--

मूल्य का 5 प्रतिशत--आर्डर देने पर अदायगी

„ 10. „ --जहाजों के प्राप्त होने पर

„ 85 „ --जहाजों के मिलने पर 10 वर्ष की अवधि में शेष धन राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक दर ब्याज सहित ।

(ग) लेकिन चूंकि फिलहाल और कोलियरस खरीदना उचित नहीं समझा जा रहा है अत: फिनलैंड में यात्री जहाज और अनेमी पोत (ट्राम्प) बनाने की संभावना पर छानबीन की जा रही है ।

गन्ने के भाव

*420. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री दाजी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने इस वर्ष गन्ने के न्यूनतम भाव निश्चित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) गत मार्च में घोषित भावों से इन में कितना अन्तर है तथा पहले के चीनी के उत्पादन तथा वर्तमान उत्पादन में क्या अन्तर होगा;

(ग) क्या १९६२ में हुए उत्पादन से अधिक उत्पादन पर चीनी के उत्पादन शुल्क में कोई छूट दी जायेगी ; और

(घ) उत्पादन लागत में वृद्धि का कितना भार कारखानों पर पड़ने की संभावना है तथा चीनी का भाव बढ़ा कर इसका कितना भार उपभोक्ताओं पर डाला जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्च, 1964 में घोषित, कारखाने के दरवाजे पर गन्ने का निर्धारित मूल न्यूनतम भाव 10.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर रु० 5.36 प्रति क्विंटल है जबकि पहले 9.4 प्रतिशत

या इससें कम उपलब्धि पर रु० 4.96 प्रति क्विंटल था । उपलब्धि दर में अन्तर वैसा ही है, अर्थात मूल उपलब्धि जो कि अब 10.4 प्रतिशत है, से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर 4 पैसे प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी ।

(ग) जी हां । अक्तूबर-नवम्बर, 1964 के महीनों में 1962 के इन्हीं महीनों से जितना अधिक शर्करा का उत्पादन होगा उस पर उत्पादन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

(घ) गन्ने की कीमत की सारी वृद्धि सरकार द्वारा निर्धारित शर्करा के कारखाने से निकासी भावों में डाल दी जाती है ।

कृषि अनुसन्धान

*421. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने "गामा किरणों" के प्रयोग के द्वारा अधिक उत्पादन वाले अनाजों की कुछ नई किस्मों का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई तकनीक से कितना उत्पादन बढ़ने की संभावना है ; और

(ग) इनको किसानों में वितरित करने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां । "गामा किरणों" के प्रयोग से गेहूं की एन०पी० 836 नामक एक नई किस्म का विकास किया गया है ।

(ख) पिछले 3 वर्षों में हुए प्रयोगों में एन०पी० 836 से एन०पी० 799 नामक मूल किस्म के मुकाबले में 5 से 10 प्रतिशत अधिक उपज हुई है ।

(ग) इस किस्म के बीजों का प्रवर्धन बिहार में हो रहा है । ये बीज कृषकों को बांटे जा रहे हैं ।

वाणिज्यिक फसलें

*422. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 लाख एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करके वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक निगम स्थापित करने के बारे में सरकार ने निर्णय किया है ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री उनके मन्त्रालय पर ज़ोर डाल रहे हैं कि अधिक निर्यात के लिये तिलहन का उत्पादन बढ़ाने में सहायता दें ;

(ग) क्या मन्त्रालय ने सिफारिश की है कि तुंगभद्रा, नागार्जुन सागर, हीराकुद तथा भाखड़ा नंगल बांधों के क्षेत्रों में तिलहन के उत्पादन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो गेहूं तथा अन्य फसलों के साथ मूंगफली की दो फसल उगाने को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) देश की कुछ बंजर भूमिका सुधार करने तथा उसमें प्रारम्भिक रूप में निर्यात हेतु फसलें उत्पन्न करने के लिये एक निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

(ग) यह सिफारिश खाद्य और कृषि मन्त्रालय में स्थापित कार्यकारी ग्रुप ने वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिये की है।

(घ) सम्बन्धित राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे मूंगफली की दुहरी फसल के रूप में उत्पादन की सम्भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिये चालू योजना के दौरान में नये सिंचित क्षेत्रों में मूंगफली के लिये मार्गदर्शी पैकेज यूनिटों के बारे में कार्य शुरू करें।

बिहार में कृषि उत्पादन

1082. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कृषि उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त न किये जा सकने के क्या मुख्य कारण हैं ;

(ख) बिहार को उत्पादन बढ़ाने के लिये समय समय पर क्या परामर्श दिया गया और उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या बिहार में कृषि उत्पादन में कमी पर्याप्त धन और तकनीकी परामर्श के अभाव के कारण हुयी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में खाद्यान्न के उत्पादन में, वर्ष 1960-61 के उत्पादन की अपेक्षा खराब मौसम के कारण कोई वृद्धि नहीं हुई है। 1962-63 में, आरम्भ में कम वर्षा और अगस्त-सितम्बर, 1962 में बाढ़ के कारण, चावल, गन्ना, पटसन और मेस्ता का उत्पादन कम हुआ। उसी वर्ष वर्षा की कमी के कारण रबी फसल को हानि हुई। फिर 1963-64 में वर्षा की कमी और शीत लहर के कारण रबी फसल को काफी हानि हुई।

(ख) और (ग) संयुक्त केन्द्रीय दल ने 1963 और 1964 में राज्य का दौरा किया और राज्य सरकार के योजना कार्यक्रमों की पुनरीक्षा के बाद अनेक सुझाव दिये। मुख्य सुझाव ये हैं :

(1) बीज गुणीकरण फार्मों के कार्यकरण में कार्यकारी सुधार ;

(2) विशेषत: ऊरिया उर्वरकों को लोकप्रिय बनाने की ओर अधिक ध्यान देना ;

(3) भू-संरक्षण के लिये अधिक आवंटन करना ;

(4) अच्छे उपकरणों के अधिक इस्तेमाल और पौधा संरक्षण के लिये कार्यक्रम बनाना ;

(5) कृषि प्रशासन में समन्वय और कार्य-निश्चित करना ; और

(6) सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना और उनका पुनर्गठन करना।

राज्य सरकार को छोटी सिंचाई, भू-संरक्षण और कृषि उत्पादन कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिये अधिक आवंटन भी किया गया।

यह कहना सही नहीं है कि बिहार में अपर्याप्त धन और तकनीकी परामर्श के कारण कृषि उत्पादन में कमी हुई।

केरल में परिवहन सहकारी समितियां

1083. { **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अब तक पंजीकृत की गयी परिवहन सहकारी समितियों की संख्या क्या है ; प्रत्येक समिति में कितने सदस्य हैं और प्रत्येक समिति में कितने व्यक्ति नियोजित किये गये हैं ;

(ख) क्या केरल मोटर कराधान अधिनियम, 1963 की धारा 22 के अन्तर्गत सहकारी समितियों को करों में कोई रियायत दी गयी है, यदि हां, तो उन समितियों के क्या नाम हैं जो अब तक करों में रियायत पाने की अधिकारी हुई हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि परिवहन सहकारी समितियों को धारा 22 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में काफी कठिनाई होती है ; और

(घ) क्या इस अधिनियम में संशोधन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं तथा यदि हां, तो परिवहन सहकारी समितियों को कर रियायत देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 21 । प्रत्येक समिति के सदस्यों तथा कर्मचारी सदस्यों के ब्योरे सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिए हुए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3569/64]**

(ख) अधिनियम की धारा 22 में परिवहन सहकारी समितियों को कोई विशेष रियायतें नहीं दी गई हैं। परन्तु अधिनियम की धारा 21 में समितियों के करों में 50 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था है । निम्नलिखित चार समितियों को यह रियायत अब तक दी गई है :

(1) पारावूर प्राइवेट मोटर वर्कर्स कोआपरेटिव सोसायटी (नम्बर क्यू० 97) ।

(2) केरल गुड्स ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम ।

(3) भूतपूर्व सैनिकों के लिए मलाबार मोटर ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड ; कोजीकोड ।

(4) भूतपूर्व सैनिकों के लिये मलाबार मोटर ट्रांसपोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी, लिमिटेड (पालघाट ब्रान्च) ।

(ग) राज्य सरकार को यह बता दिया गया है कि परिवहन सहकारी समितियां केरल मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम की धारा 21 की शर्तें नहीं पूरा कर सकती हैं ।

(घ) जी हां । राज्य सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

गुलाब की अनिर्मित किस्म

1084. **श्री राम हरख यादव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में एशेन्श्यल आयल प्लांटेशन ने गुलाब की एक अनिर्मित किस्म बनाई है जिसको स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो किस्म का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इस नई किस्म को बनाने के लिये कई विदेशी गुलाब के पौदों को आपस में मिलाया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ऐसा समझा गया है कि देहरादून के निकट एक गैर सरकारी प्लान्टेशन ने गुलाब की एक नई किस्म बनाई है जिसको स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया जायेगा ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि अभी यह किस्म नहीं बनी है ।

पश्चिमतटीय सड़क पर पुल

1085. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री नम्बियार :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल के कासरगोड तथा कोजीकोड डिवीजनों में पश्चिम तटीय सड़क पर कौन से पुल बनाने का विचार है ;

(ख) अब तक कौन से पुल बनाये गये हैं तथा तीसरी योजना की शेष अवधि में कितने बनने की संभावना है ; और

(ग) शेष पुलों के निर्माण में शीघ्रता लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3570/64]

चौदह पुल बन गये हैं तथा शेष तेरह में से 10 बन रहे हैं।

(ग) यथासंभव शीघ्र शेष पुलों को पूरा करने के सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। आशा है कि दो वर्षों में सभी पुल बन कर पूरे हो जायेंगे ।

मुर्गीपालन

1086. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **खाद्य** तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढोरों तथा मुर्गियों के पालन के लिये 'केश प्रोग्राम' के अन्तर्गत केरल में मुर्गी-पालन के लिये तीन बड़ी योजनायें स्वीकार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है तथा वे कब तक क्रियान्वित होंगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) तीन योजनायें (1) पेट्टा (त्रिवेन्द्रम) में विस्तृत मुर्गीपालन विकास खण्ड की स्थापना, (2) चैंगनूर में अंडा एकत्रीकरण केन्द्र तथा स्टोरेज डिपों की स्थापना, तथा (3) मुर्गीपालकों को ऋण सुविधायें देना केश प्रोग्राम के अन्तर्गत केरल के लिए स्वीकार की गई है। इनके लिये 1964–66 में 25.97 लाख रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तीनों योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने का विचार है।

कृषि उत्पादन

1087. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन कार्यक्रम की क्या प्रगति है ; और

(ख) महाराष्ट्र के किन जिलों में खाद्य उत्पादन के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं तथा उनसे कृषि खाद्य उत्पादन में अनुमानतः तथा वास्तविक कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में खाद्यान्नों का उत्पादन (1960–61) में 63.66 लाख टन था जिसको 1965–66 में बढ़ा कर 63.66 लाख करने का विचार है। महाराष्ट्र में खाद्यान्नों का उत्पादन 1961–62, 1962–63 तथा 1963–64 में क्रमशः 60.20, 65.23 तथा 67.49 लाख टन था। 1961–62 में उत्पादन सितम्बर-अक्तूबर 1961 अधिक वर्षा के कारण कम हो गया था। परन्तु 1962–63 में कृषि उत्पादन बढ़ गया और 1963–64 में और बढ़ा।

(ख) जानकारी राज्य सरकार से मंगाई गई है तथा मिलने पर पटल पर रख दी जायगी।

सिंगापुर-मद्रास शिपिंग सर्विस

1088. **श्री थेनगौंडर :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तथा नागपट्टिनम से सिंगापुर के लिये जाने वाले जहाजों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होता है तथा बहुत से यात्रियों को यात्रा के लिये स्थान पाने में प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या मद्रास और सिंगापूर के बीच अतिरिक्त यात्री जहाज चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। भारत तथा मलाया के बीच यात्री सेवा 'ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड' तथा शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड चलाती है। इनके एस० एस० राजौला तथा एस० एस० 'स्टेट आफ मद्रास' जहाज चलते हैं। इन दोनों की यात्री क्षमता नीचे दी जाती है :—

	एस० एस० राजौला	एस० एस० स्टेट आफ मद्रास
सैलून .	172	150
बन्क . . .	426	231
डैक (अच्छा मौसम . . .	1,310	736
(खराब मौसम)	973	698

मद्रास तथा नागपट्टिनम में जल डमरु मध्य के बन्दरगाहों के लिये सैलून तथा बन्क दर्जे में पर्याप्त स्थान उपलब्ध होता है। शिपिंग कम्पनीज इस सेवा के लिए प्रतीक्षा सूची नहीं बनाती है। हमेशा दो जहाज चलते रहते हैं जिनमें पर्याप्त खाली स्थान रहता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय मद्रास तथा सिंगापुर के बीच अतिरिक्त यात्री जहाज चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मद्रास सिंगापुर शिपिंग सर्विस

1089. **श्री थेनगौंडर :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तथा सिंगापूर के बीच चलने वाले जहाजों के 'डैक' यात्रियों के लिये पर्याप्त 'सैनिटरी' सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं । शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया को जहाज 'स्टेट आफ मद्रास' में यात्री जहाज नियम 1964 के अनुसार 'सैनिटेशन' की पूरी पूरी व्यवस्था है जब कि ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नैवीगशन कम्पनी लिमिटेड के जहाज एस० एस० 'राजौला' को उक्त नियमों के नियम 24 (1) (क) तथा (ख) से छूट दे दी गई है क्योंकि जहाज बहुत पुराना है ये 1926 में बना था, इसलिये इसमें 7 वाश बसिन तथा 3 शोफर लगाना बड़ा कठिन था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंगापुर-मद्रास जहाज यात्रा के लिये टिकट

1090. **श्री थेनगौंडर :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक मांग के कारण सिंगापुर में 'स्टेट आफ मद्रास' जहाज के टिकट सिंगापुर से मद्रास तथा नागपट्टिनम के लिए जाने वाले यात्री काले बाजार में खरीदते हैं इसकी शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जनता से सामान्य प्रकार की शिकायत मिली हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी छानबीन करना कठिन हुआ । परन्तु शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, जिसका यह जहाज है, ने ऐसी विस्तृत प्रक्रिया अपनाई है जिससे टिकट काले बाजार में न बिके ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंगापुर-मद्रास शिपिंग सर्विस

1091. **श्री थनगौंडर :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास तथा नागपट्टिनम से सिंगापुर जाने वाले 'स्टेट आफ मद्रास' जहाज के यात्रियों के टिकट में यात्रियों को दिए जाने वाले भोजन का भार भी शामिल है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या टिकट में से भोजन का भार निकालने का कोई प्रस्ताव है जिससे यात्रियों में इस बारे में कोई असंतोष न रहे ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) जी हां ।

(ख) कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कृषि के लिये क्रैश प्रोग्राम

1092. **श्री वै० तेवा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्यपालन तथा कृषि विकास के 'क्रैश प्रोग्राम' के अन्तर्गत 1964-65 में मद्रास राज्य के लिये क्या आवंटन किए गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शहानवाज खां) : मत्स्यपालन, कृषि तथा पशुपालन के विकास के लिये केन्द्र द्वारा आरंभ किए गए विशेष विकास कार्यक्रम (क्रैश प्रोग्राम) के अधीन मद्रास राज्य के लिये अब तक निम्नलिखित राशि स्वीकार की गई है :

	राशि (लाखों में रुपये)	अवधि
(1) मत्स्यपालन .	41·91	1964–65
(2) कृषि (उद्यान विकास) .	1·07	1964–65
(3) पशुपालन, मुर्गीपालन तथा सूअरपालन .	188·27	1964–65
(4) भेड़ तथा ऊन विकास	20·26	1964–65

चेरुवतूर-कासरगोड़ सड़क का विकास

1093. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टे काट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेरुवत्तूर से कासरगोड तक की सड़क को केरल की बड़ी जिला सड़क बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चन्द्रगिरी नदी के आर पार एक पुल बनाने का कोई प्रताव है ; और

(ग) काम कब आरंभ होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी हां। ऐसा मालूम हुआ है कि राज्य सरकार का विचार इस सड़क को बड़ी जिला सड़क बनाने का तथा चन्द्रगिरी नदी पर पुल बनाने का है।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में।

एरणाकुलम तथा कुन्नामकुलम के बीच नई तटीय सड़क

1094. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टे काट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन क्षेत्र के तटीय क्षेत्र से होकर एरणाकुलम तथा कुन्नामकुलम को मिलाने के लिये नई तटीय सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरंभ होगा ; और

(ग) सड़क की अनुमानित लागत क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) जी हां। केरल राज्य सरकार का विचार चौथी योजनावधि में एरणाकुलम तथा कुन्नामाकुलम को मिलाने के लिये सड़क बनाने का है परन्तु उनको इस योजना के अपने कार्यों में शामिल करना होगा। परियोजना की अनुमानित लागत 142 लाख रुपये है।

Road accidents in Delhi

1095. Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattanayak :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(*a*) the total number of road accidents which occurred in Delhi during the last one year; and

(*b*) the number of accidents in which the D.T.U. buses were involved ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (*a*) 7867 (from 1-12-1963 to 30-11-1964).

(*b*) 1557.

Propagation of Khadi

1096. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the work of propagation of Khadi and the membership of Khadi Commission have become the monopoly of some individuals; and

(*b*) if so, the steps taken for popularising it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao: (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

Children Act, 1960

1097. Shri M. L. Dwivedi :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(*a*) the progress made in the implementation of the provision of the Children Act, 1960 ;

(*b*) whether certain amendments in the Act have been found necessary as a result of the working of this Act; and

(*c*) if so, when the amending Bill is likely to be brought forward ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (*a*) The Children Act, 1960 extends to all the Union Territories including Goa, Daman and Diu and Pondicherry. It is being implemented

fully in the Union Territories of Delhi and Himachal Pradesh. Manipur Administration has framed rules under this Act. Administrations of Pondicherry, Goa, Daman and Diu and Tripura are taking steps for the establishment of requisite Institutions and services as contemplated under the Act.

(*b*) Not so far.

(*c*) Does not arise.

बाढ़ के कारण खराब हुई फसल

1098. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० क० दास :
श्री बृजराज सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री पु० सिं० चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (1) बाढ़ तथा (2) अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण देश में (राज्यवार) इस वर्ष विभिन्न फसलों में अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : अपेक्षित जानकारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से इकट्ठा की जा रही है तथा इकट्ठा होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

यात्रा विकास योजना तथा सेवायें

1099. **श्री नारायण दास :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1964 में प्रेग में हुए 'यात्रा विकास योजना तथा सेवायें' संबंधी गोष्ठी में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी में किसने प्रतिनिधित्व किया था ; और

(ग) किन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया था ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । सरकारी यात्रा संगठनों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के तत्वावधान में 12 से 16 अक्तूबर, 1964 तक प्रेग में यात्रा अनुसंधान गोष्ठी हुई थी। इसमें भारत ने प्रतिनिधित्व किया था।

(ख) भारत सरकार की ओर से श्री एस० एन० छिब, महानिदेशक, पर्यटन विभाग, परिवहन मंत्रालय ने उसमें भाग लिया था। गोष्ठी में उनको अतिथि के रूप में भाषण देने के लिये तथा कार्यसूची की विभिन्न मदों में चर्चा के लिये बुलाया गया था। विश्व के विभिन्न भागों के लगभग 145 प्रतिनिधियों ने गोष्ठी में भाग लिया था।

(ग) जिन विषयों पर विचार किया गया वे ये हैं :

मुख्य विषय :

(एक) पर्यटन योजना की परिभाषा।

(दो) पर्यटन के विकास में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का भाग।

(तीन) पर्यटन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त तथा विनियोजन।

कार्यकारी दल की बैठक

(एक) पर्यटन के विकास की योजना तैयार करना :

(क) मैक्सिको में राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन योजना का विकास।

(ख) लैंग्यूडोक के विकास से उत्पन्न कुछ प्रशासनिक आर्थिक तथा वित्त सम्बन्धी समस्यायें

(ग) पर्यटक स्थल के विकास के सम्बन्ध में कुछ निर्माण सम्बन्धी बातें।

(दो) परंपरागत आवास :

(क) होटलों के कानूनों सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन।

(ख) सरकार द्वारा चलाये गये होटलों की श्रृंखला—ट्यूनिसिया में किया गया प्रयोग।

(ग) बुलगारिया में होटलों का निर्माण।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर होटलों की श्रृंखला।

(तीन) अनपुरक आवास तथा सेवायें :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत तथा सूचना सेवायें।

(ख) प्रादेशिक स्तर पर पर्यटकों के लिये स्वागत तथा सूचना सम्बन्धी सेवायें।

(ग) पर्यटक स्थलों में कुछ सत्कार सम्बन्धी उपसुविधायें।

(घ) अनुपूरक आवास-स्थान तथा राष्ट्रीय उद्यान।

उपर्युक्त विषयों में से भारत सरकार ने जो विषय प्रस्तुत किया वह यह है :

'राष्ट्रीय स्तर पर सत्कार तथा सूचना सम्बन्धी सेवायें'

जिस प्रकार की सेवाओं का पर्यटन संगठनों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रबन्ध किया जा सकता है या किया जाना चाहिये उन पर चर्चा की गई थी और ये परिणाम निकले :

(एक) पर्यटन-क्षेत्रों के विषय में तथा वहां तक पहुंचने के साधनों, उपलब्ध ठहरने के स्थानों, सीमा-शुल्कों, मुद्रा तथा अन्य सम्बन्धित विनियमों तथा ऐसी घटनाओं के बारे में जिस में पर्यटक दिलचस्पी रखते हों, जानकारी देने के लिये ऐसे देशों को चुना जाना चाहिये जहां से अधिकतम पर्यटकों के आने की आशा हो।

(दो) जानकारी, राष्ट्रीय पर्यटन संगठन के शाखा कार्यालयों, चुने गये पर्यटन अभिकर्त्ताओं, वाहकों, संस्थायों, क्लबों तथा सम्बन्धित देशों में राजकीय स्थानों से ली जानी चाहिये।

(तीन) जहां कोई कार्यालय न हो वहां पर्यटन उद्योग के मुख्य सदस्यों की एक डाक सूची बनाई जानी चाहिये और उन्हें पर्यटन साहित्य की नमूना प्रतियां निरन्तर भेजी जानी चाहियें जिन के साथ भेजे जाने वाले पत्र में यह लिखा हो कि आपको जितनी प्रतियां अपेक्षित हों उतनी मंगवा सकते हैं।

(चार) आतिथेय देश के खर्चे पर अध्ययन यात्रा के लिये चुनी गई यात्रा एजेंसियों को निमंत्रित किया जाना चाहिये। ताकि वे जिस देश का कार्य कर रही हैं उस के बारे में नवीनतम सूचना पा सकें।

(पांच) देश में प्रवेश करते समय विदेशी पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधायें बहुत ऊंचे स्तर की होनी चाहियें तथा उन का स्वरूप स्वागत तथा अतिथि सत्कार का होना चाहिये।

(छह) जिस देश में विदेशी पर्यटक जाने की सम्भावना है वहां के सभी सरकारी विभागों में पूर्णतः अर्ह तथा जानकर कर्मचारी होने चाहियें।

(सात) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिये जाने वाले फैलोशिप (अधिछात्रवृत्तियों) तथा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत पर्यटक कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाया जाना चाहिये।

(आठ) केन्द्रीय पर्यटन संगठन को प्रादेशिक केन्द्रों से निकट संपर्क रखना चाहिये तथा उन्हें सारे देश के बारे में जानकारी तथा साहित्य से अवगत करते रहना चाहिये।

उड़ीसा विधान सभा के चुनाव

1100. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री कोया :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने उड़ीसा विधान सभा के मध्य अवधि चुनावों को स्थगित करके उन्हें आम चुनावों के साथ करने के लिये चुनाव आयोग से कोई लिखा पढ़ी की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में निर्णय करने से पहले प्रमुख विपक्षी दलों की राय भी ली जायेगी ; और

(ग) इस विषय में अन्तिम रूप से निर्णय करने के लिय कितना समय लगेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं श्रीमन्। उड़ीसा की राज्य सरकार ने उड़ीसा विधान सभा के मध्य अवधि चुनावों को स्थगित करके उन्हें आम चुनावों के साथ करने के लिये चुनाव आयोग से कोई लिखा पढ़ी नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Development Blocks

1101. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Sidheshwar Prasad :

Will the Minister of **Community Development** and **Cooperation** be pleased to state :

(*a*) whether some more schemes have been prepared in regard to the development blocks on the basis of the statement made by the Prime Minister in Lok Sabha ;

(*b*) if so, what are those schemes and when they will be implemented; and

(*c*) whether a revised programme has been sent to these development blocks regarding the increase in agricultural production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (*a*) to (*c*) : The Prime Minister's statement does not envisage taking up any new schemes but emphasises concentration of the activities of the C. D. Organisation on increased food production. Instructions have been issued to the State Governments to organise kharif and rabi campaigns with full mobilisation of local resources and effort through the Panchayati Raj institutions and the Extension Agency.

Cattle Breed

1102. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Brij Raj Singh Kotah :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state:

(*a*) whether Government have under consideration any scheme for improving the breed of cattle in the country; and

(*b*) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (*a*) and (*b*) A Statement is laid on the Table of the House. **Placed in Library**. *See* No. LT-3571/64].

नेल द्वीप से इमारती लकड़ी का निस्सारण

1103. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपसमूह के नेल द्वीप से इमारती लकड़ी को निकालने के लिये मेसर्स कमल एण्ड कम्पनी के साथ हुए ठेके की शर्तों के अन्तर्गत अन्दमान वन विभाग को नेल द्वीप से इमारती लकड़ी के वहन के लिये एल० सी० टी० नौका देनी पड़ेगी ;

(ख) क्या वन विभाग ने ठेकेदार को कोई नौका दी है; यदि हां, तो अब तक कितनी बार ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि उन को अधिक मिल सकता था यदि ठेकेदारों को यह पता होता कि वन विभाग उपर्युक्त द्वीप से इमारती लकड़ी के वहन के लिये इल० सी० टी० नौकायें देगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं । ऐसा अनिवार्य नहीं है ।

(ख) जी हां, अब तक एल० सी० टी० नौकाओं के नौ बार चक्कर लग चुके हैं ।

(ग) अन्दमान वन विभाग के पास इतनी नौकायें नहीं हैं कि वह उन्हें गैर-सरकारी ठेकेदारों को वहन-कार्य के लिये दे सकें, इसलिये टैन्डर नोटिस में यह उल्लेख करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि

ठेकेदारों को वहन के लिये एल० सी० टी० नौकायें दी जायेंगी। तथापि अन्दमान वन विभाग की नौकायें, यदि वे उपलब्ध हों, विभाग के कार्य में हानि पहुंचाये बिना, निर्धारित सामान्य किराये की दर पर ठेकेदारों को दी जा सकती हैं।

उचित मूल्य की दुकाने

1104. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सेक्रियान :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों से देश में (राज्यवार) कितनी उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं ; और

(ख) क्या उनके कार्य-संचालन के बारे में कोई शिकायतें भी मिली हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 31 अक्तूबर, 1964 को समाप्त होने वाले तीन महीनों की अवधि में विभिन्न राज्यों में खोली गई उचित मूल्य की दुकानों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 3572/64]

(ख) राज्य सरकारों को कुछ शिकायतें मिली थीं तथा उन्होंने अपचार के मामलों पर उचित कार्यवाही की।

दिल्ली दुग्ध योजना

1105. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 8 सितम्बर, 1964 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दुग्ध योजना ने दूसरे साधनों से दूध की कमी को पूरा करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाजखान) : 8 सितम्बर, 1964 को लोक-सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के भाग (क) के उत्तर में यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खोलि गई सहकारी दुग्धशालाओं के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में दिल्ली दुग्ध योजना के लिये दूध के सम्भरण में कोई कमी होने की सम्भावना नहीं है। तथापि यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में गत ग्रीष्म ऋतु से दूध की कमी चल रही है। योजना द्वारा दुग्ध संग्रह को बढ़ाने के लिये जो उपाय किये गये हैं या किये जाने का विचार है, वे ये हैं :—

(1) किठोर में चालू किया गया नया शीत केन्द्र उत्तर प्रदेश सहकारी दुग्धशाला संघ लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया है।

(2) दुग्ध आयुक्त, पंजाब तथा सहकारी समितियों के पंजीयक, पंजाब के परामर्श से पंजाब की सहकारी समितियों के जरिये दूध को एकत्र करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

(3) करनाल क्षेत्र में दुग्ध संग्रह करने का सुझाव है। वहां की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के संचालक इस के मार्ग दर्शक होंगे।

(4) उत्तर प्रदेश के सहकार समितियों के रजिस्ट्रार से कहा गया है कि वह मुरादाबाद जिले में गजरोला गांव के समीप सहकारी तरीके पर दुग्ध एकत्र करने का प्रबन्ध करे।

4—5 Lok Sabha/65

(5) मेरठ जिले में विभागीय स्तर पर दुग्ध एकत्र करने के लिये एक योजना तैयार की जा रही है, तथा

(6) उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में अन्य क्षेत्रों में दुग्ध संग्रह के लिये नये केन्द्रों को स्थापित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

उद्यान-विकास

1106. **श्री दलजीत सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उद्यान-विकास के लिये 1964-65 में पंजाब सरकार को कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी गई अथवा देने का विचार है ; और

(ख) तृतीय योजना की अवधि में पहले कितना धन दिया गया है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ किये गये विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान विकास के लिये जो वार्षिक सहायता पंजाब सरकार को दी गई वह यह है :

			रु०
(1)	1964-65	ऋण	4,20,000
		अनुदान	94,644
(2)		ऋण	20,000
		अनुदान	2,45,456

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में राज्य सरकार को इस कार्य के लिये और कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

शिक्षण प्रणाली

1107. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलनोयस विश्वविद्यालय ने भारत सरकार को एक अमरीकी विशेषज्ञ प्रो० फ्रेंक एच० शूमन की रिपोर्ट भेजी है तथा इस में यहां की शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके मुख्य सुझाव क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Breeding of Pigs and Horses

1108. **Shri Vishram Prasad :**
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Bade :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have formulated a programme for breeding pigs, horses and mules and for starting piggeries; and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Piggery Development

Under the Second and Third Five-Year Plans, three Regional Pig Breeding Stations have been set up in U.P., West Bengal and Maharashtra, while one more is being set up in Andhra Pradesh. Each station is expected to produce about 1,000 stud boars annually for distribution to State Pig Breeding Units/Piggery Development Blocks. All these four stations are expected to have bacon factories attached to them.

23 pig breeding units each with a foundation stock of 30 sows and 6 boars of exotic breed have been set up all over the country. The superior stock produced at these units is distributed in the piggery development blocks 74 of which have been established.

Under the Special Development Programme recently sponsored by the Government of India, the establishment of pig breeding station-*cum*-bacon factory has been approved for Bihar, Kerala, Punjab and Rajasthan at an estimated cost of Rs. 76.70 lakhs in 1964-66. The establishment of two pig breeding farms in Madras and U.P. has also been approved at an expenditure of Rs. 5.96 lakhs during these two years.

Horse and Mule Breeding

A scheme for the establishment of an Equine Breeding Farm at an estimated cost of Rs. 12.89 lakhs has been sanctioned under the Third Five-Year Plan with the object of evolving a suitable breed of equines for the hilly areas for transport purposes. Site for the location of the farm has, however, not yet been finalised.

बीज फार्म

1109. **श्री कृष्णापाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में बने हुए प्रयोगात्मक, प्रदर्शनात्मक, बीज फार्मों तथा यंत्रीकृत फार्मों की संख्या क्या है जिन्हें आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से संघ सरकार से सहायता मिलती है ; कितनों में लाभ हो रहा है तथा कितनों में हानि ; 1963–64 में इन फार्मों पर सरकार के लाभ अथवा हानि के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार उन फार्मों को जो कि लाभदायक नहीं हैं किसानों को अथवा सहकारी कृषि समितियों को हस्तान्तरण करने पर विचार कर रही है ; यदि हां तो ऐसे फार्मों की संख्या क्या है ; और

(ग) उन पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्मों की संख्या क्या है, जिनको केन्द्रीय सरकार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय सहायता देती है । हर एक फार्म में पशुओं की संख्या और नस्लें तथा हर एक पर वार्षिक लाभ अथवा हानि क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी राज्यों तथा केन्द्रीय संघटनों से एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

मछली पकड़ने के बन्दरगाह

1110. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार बड़े तथा छोटे बन्दरगाहों पर मछली पकड़ने के पत्तनों के विकास के सुझाव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस विषय में निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड ने बड़े तथा छोटे बन्दरगाहों पर स्थान उपलब्ध करने तथा मछली पकड़ने की नावों के लिये पत्तन बनाने की बात स्वीकार कर ली है। इस काम का खर्चा केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय करेगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संघटन ने इस सम्बन्ध में स्थानों का निरीक्षण करने तथा विनियोजन से पहले का सर्वेक्षण करने के लिये एक सर्वेक्षण दल भेजा है। कई बन्दरगाह परियोजनाएं विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर की जा रही हैं। यह कार्य राज्यों की तृतीय योजना में आरंभ की गई परियोजनाओं के अतिरिक्त होगा।

(ग) सरकार ने यह लिखित निर्णय किये हैं (1) विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्दरगाह विकास के लिये योजनाओं की मंजूरी ; और (2) संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से मछली पकड़ने के लिये बन्दरगाहों के लिये सर्वेक्षण आदि के लिये सहायता प्राप्त करना। खाद्य तथा कृषि संघटन के विशेषज्ञ इस के लिये योजना बना रहे हैं।

Bridge on river Gomati

1111. **Shri Vishram Prasad** : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that construction work of a bridge is going on the River Gomati on the National Highway between Varanasi and Ghazipur;

(b) whether it is also a fact that some alteration has been made in the plan of the bridge; and

(c) if so, the reasons and extent thereof and the time by which the bridge is likely to be completed ?

The Minister of Transport (Shri Rai Bahadur): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Some minor alterations in the design of the substructure and superstructure of the bridge have been made due to some tilt and shift, which

occurred in the well foundations during their sinking. The changes are minor and are in the nature of adjustment of span lengths. The bridge is likely to be completed by March 1966.

केरल में हरिजन कल्याण योजनायें

1112. { श्री प० कुन्हन :
श्री नम्बियार :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960–61, 1961–62, 1962–63, तथा 1963–64 में केरल राज्य में हरिजन कल्याण योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई ; और

(ख) इन वर्षों में कितनी कितनी राशि उपयोग में लायी गई ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) जानकारी इस प्रकार है :—

(लाखों में राशि)

वर्ष	राशि नियत की गई	राशि उपयोग में लायी गई
1960–61	82.22	71.44
1961–62	24.23	17.28
1962–63	19.35	17.57
1963–64	24.55	16.28
योग 1960–64	150.35	122.57

तुरन्त तैयार हो जानेवाला भोजन

1113. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी हितों तथा भारतीय हितों के बीच इस विषय पर बातचीत चल रही थी कि भारत में केलों, निम्बू, आम, टमाटार तथा दुग्ध से तुरन्त तैयार हो जाने वाले खाद्य वस्तुऐं बनाने की एक योजना बनायी जाये, यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या इस प्रकार की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) जी, हां। रामकदा भवन, अहमदाबाद के श्री पुंडरीक अलमौला ने केले, नींबू, आम, टमाटा व दूध से शीघ्र तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ के उत्पादन के लिये गुजरात के सूरत जिले के बलसर में अमरीकी सहयोग से एक कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई है। उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत श्री पुंडरीक अलमौला को दिसम्बर, 1963 में लाइसेन्स दे दिया गया। कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष केले, नीबू, आम, टमाटर व दूध से बना 1000 मिट्रिक टन शीघ्र तैयार होने वाले (कम नमी को) खाद्य पदार्थ बनाने की होगी। कम्पनी को 25% प्रतिशत तैयार माल निर्यात करना होगा।

(ख) जी, हां ।

मिरया खाड़ी बन्दरगाह

1114. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से रत्नागिरी जिले में मिरया खाड़ी को एक बड़ा बन्दरगाह बनाने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । राज्य सरकार ने रत्नागिरी की मिरया खाडी में एक सर्व कालीन परिरक्षित पोत-बंधन बनाने की परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया है । उन्होंने हाल ही में प्रस्ताव किया है कि मिरया खाड़ी में कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना होने की सम्भावना और अन्य सम्भाव्य विकास के कारण यातायात में वृद्धि होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए मिरया खाड़ी में जहाजों के ठहरने की सुविधाओं का विकास होना चाहिए और इसको एक बड़ी बन्दरगाह घोषित कर देना चाहिए ताकि आर्थिक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले ।

(ख) अक्तूबर, 1964 में पंजिम में हुई राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की बैठक में इस विषय पर विचार किया गया और वह तय हुआ कि राज्य सरकार इस विषय पर परियोजना संबंधी प्रतिवेदन तैयार करके भेजे जिससे कि प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा सके ।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

1115. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63 और 1963–64 में कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियां तथा विपणन समितियां पंजीकृत की गई ;

(ख) इन समितियों की सदस्य संख्या और एकत्रित अंश राशि क्या है ;

(ग) क्या बहुत सी उपभोक्ता समितियों ने अभ्यावेदन दिये हैं कि इनको सीधे खाद्य-पदार्थ नहीं मिल रहे है ; और

(घ) क्या इन समितियों को प्रोत्साहन देने के लिये शिखर बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की कोई सीमा निश्चित की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

खाद्य गोदामों पर छापे

1116. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक सम्भरण विभाग द्वारा देहली में खाद्य गोदामों पर मारे गये छापों में अधिकार में लिये गये या मुहर लगाये गये लगभग 4000, क्विटल खाद्यान्न कीड़ों द्वारा खराब कर दिया गया है और प्रतिदिन खराब हो रहा है ;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में अधिकार में लिया गया या मुहर लगाया गया अन्न बेचा नहीं गया और गोदामों में सड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस भारी हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) दिल्ली प्रशासन से की गयी पूछ-ताछ से पता चला है कि असैनिक सम्भरण विभाग ने कोई स्टाक या खाद्यान्न अधिकार में नहीं लिया और न ही उस पर मुहर लगाई। फिर भी दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेन्स देना आदेश (2) 1964 का उल्लंघन करने के अपराध में कुछ व्यापारियों के लाइसेन्स निलम्बित कर दिये गये थे और सम्बन्धित व्यापारियों से माल बेचने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर उनको माल बेचने की अनुमति दे दी गई। दिल्ली प्रशासन को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली जिससे पता लगे कि इस माल को कोई क्षति पहुंची है।

(ख) और (ग) अधिकतर राज्य सरकारों संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना से ज्ञात होता है कि जहां कहीं भी खाद्य भंडारों को अधिकार में लिया गया था वहां उनको बेचने के लिये समय पर कदम उठाये गये और कोई हानि नहीं हुई। असम तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार से उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

पंचायती राज निर्वाचन समिति

1117. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायती राज निर्वाचन समिति ने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) सरकार को कब तक प्रतिवेदन दिये जाने की सम्भावना है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) समिति आजकल पंचायती राज संस्थाओं के गठन तथा उनके लिए चुनाव के ढंग का अध्ययन करने के लिये विभिन्न राज्यों का दौरा कर रही है एवं उनके सदस्यों, कार्यकर्ताओं और राज्य सरकारों के विचार ज्ञात कर रही है। यह अब तक आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुकी है।

(ख) आशा है कि समिति 31-3-1965 तक अपना प्रतिवेदन सरकार को दे देगी।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये कुएं

1118. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों को पानी देने की सुविधा के लिये केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत 1962-63, 1963-64 और 1964-65 में उत्तर प्रदेश में कितने कुए बनाये गये ; और

(ख) उन पर कितना धन व्यय हुआ ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) 'कुओं के निर्माण' की योजना केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है ; यह एक राज्य योजना है। राज्य के क्षेत्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत

1962–63 और 1963–64 के (जुलाई, 1963 के अन्तिम सप्ताह तक) 3194 कुएं बनाये गये। 1964–65 और 1963–64 की शेष अवधि के लिये सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 33.868 लाख रुपये।

अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की उत्तर प्रदेश की यात्रा

1119. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने 1962–63 और 1963–64 में उत्तर प्रदेश की कितनी बार यात्रा की ; और

(ख) वे कौन कौन से स्थानों पर गये तथा वहां क्या समस्यायें देखीं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने 1962–63 और 1963–64 में उत्तर प्रदेश की दो बार यात्रा की ; वे अगस्त, 1962 में भंगियों और सफाई करने वालों की स्थिति का अध्ययन करने बनारस गये तथा एक बार मार्च, 1963 में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के रूप में अपने कार्य हेतु इलाहाबाद गये।

उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता सहकारी भण्डार

1120. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 1964–65 में उत्तर प्रदेश के किन किन नगरों को उपभोक्ता सहकारी भण्डार स्थापित करने के लिये चुना गया है ;

(ख) 1963–64 में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के जो नगर आये थे क्या वहां भण्डारों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) इस प्रकार के कितने भण्डार कार्य कर रहे है और प्रत्येक भण्डार से कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1964 में 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश के 15 नगरों में थोक भण्डार स्थापित किये गये है। वित्तीय वर्ष 1964–65 में इस कार्य के लिये कोई नया नगर नहीं चुना गया। एक पूरी सूची सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3573/64]**

(ख) जी, हां।

(ग) सब ही 27 थोक भण्डार तथा उनके 338 प्राथमिक केन्द्र कार्य कर रहे है। क्योंकि बिक्री सदस्यों व गैर-सदस्यों दोनों को की जाती है इसलिये यह कहना सम्भव नहीं है कि कितने लोगों को लाभ पहुँचा है।

जापान से हथकरघों के उपकरण

1121. **श्री हिम्मतसिंहजी :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 29 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 450 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दस्तकारों के उपयोग के लिये उपकरणों तथा सामान का चुनाव करने के लिये भारतीय हथकरघा बोर्ड के जिस अधिकारी को जापान भेजा गया था क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) अधिकारी ने अभी तक प्रतिवेदन नहीं दिया है। भारत में हथकरघा उद्योग के मशीनीकरण करने के लिये उसने उपकरणों और सामान की एक सूची तैयार की है।

उत्तर प्रदेश में नल-कूप

1122. **श्री कृ० चं० पन्त :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार को हर वर्ष नल-कूप योजना से भारी हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन उपर्युक्त हानियों के कारणों की छानबीन की है ; और

(ग) उपर्युक्त हानिओं का क्या कारण है तथा उनकी कम करने के लिए क्या उपाय सुझाये गए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) जी हाँ। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के ट्यूबवेलों के निर्माण तथा संधारण का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है इन हानियों के मुख्य कारण हैं--ट्यूबवेलों के निर्माण तथा संधारण की लागत में वृद्धि, रिहन्द बांध से बिजली का न मिलना, बिजली की ऊँची दरें और ट्यूबवेल से सिंचाई के पूर्ण विकास में लगनेवाला समय, जबकि इसी अनुपात में सिंचाई की दरों में वृद्धि नहीं की गई है।

इन हानियों को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :--

(1) ट्यूबवेल के पानी का भली प्रकार तथा पूर्ण उपयोग करने के लिये राज्य के ट्यूबवेलों से पानी की नालियाँ 2 मील तक पक्की तथा 3 मील तक कच्ची बना दी जाती हैं जबकि पहले इनकी लंबाई 1 मील तथा 2 मील क्रमशः होती थी ; पानी के वितरण के पुराने तरीके में सुधार करने के लिये लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे बिना किसी कठिनाई के ट्यूबवेल का पानी जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक पहुंच जाए ; यह भी विशिश्चय किया गया है कि राज्य सरकार ही पानी की कच्ची नालियों की देखभाल करे जो कि अब तक किसान किया करते थे। इसके अतिरिक्त उत्तरी भारत नहर तथा जलोत्सारण अधिनियम में संशोधन करके एक कानून बनाया गया है जिससे खेतों की नालियाँ बनाने का काम राज्य सरकार शीघ्रता से हाथ में ले सके जहाँ पर ऐसी सुविधा प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस प्रकार की नालियां स्वयं नहीं बनाते हैं।

(2) ट्यूबवेल के पानी के उचित उपयोग आदि के संबंध में किसानों को बताने के लिये ट्यूबवेलों पर कृषि विस्तार सेवा चालू की गई है।

(3) ट्यूबवेल से की जाने वाली सिंचाई के शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए ट्यूबवेल चालकों तथा मिस्त्रियों को पारिश्रमिक दिया जाता है।

चीनी अनुसंधान संयंत्र

1123. **श्री रामसेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीनी मिल मालिकों के सहयोग से एक चीनी अनुसंधान संयंत्र लगाने के विषय में सोच रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो मिल मालिक इस उपक्रम में कहाँ तक भाग लेने के लिए तयार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय मालवाही नौका का समुद्र में डूब जाना

1124. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ओडम नौका 'जलराजन' मंगलौर के निकट 8 नवम्बर, 1964 को समुद्र में डूब गई थी ;

(ख) क्या इस दुर्घटना की परिस्थितियों की जाँच की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हाँ। 2 नवम्बर, 1964 को (8 नवम्बर को नहीं) अकाटि द्वीप से मंगलोर की यात्रा के दौरान जब ओडम नौका "जलराजन्" कुम्बला से विदा हो रही थी उसको बुरे मौसम का सामना करना पड़ा और वह डूब गई।

(ख) और (ग) वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत इस संबंध में प्रारंभिक जाँच की जा रही है और उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है। इस दुर्घटना में कोई जन-हानि नहीं हुई थी।

Ajanta Caves

1125. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tourists have to experience great difficulty at Ajanta caves in the matter of supply of foodstuffs;

(b) whether it is also a fact that eatables are sold at high prices in the Government-run canteen there; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) With the functioning of the Restaurant-*cum*-retiring rooms at Ajanta with effect from the 9th October, 1964, the position in regard to the availability of foodstuffs at the Ajanta caves has improved considerably.

(b) and (c) The prices for the supply of tea, coffee and a few snacks, which are at present being served at the above establishment, are indicated below:

1. Tea per cup	0·12 paise
2. Coffee per cup	0·25 paise
3. Milk per cup	0·25 paise
4. Tea in pot (2 cups) served in tray	0·25 paise raised to 0·35 paise from 23-11-64.
5. Chivda (1 chhatak)	0·25 paise
6. Pakodas (1 chhatak)	0·25 paise
7. Puri (8—10 puries)	0·75 paise
8. Sabji for puries	0·12 paise
9. Biscuits-each (Glucose)	0·05 paise

The prices charged at present are not considered high particularly in view of the fact that supplies for the canteen have to be procured from distant places such as Jalgaon or Aurangabad, involving higher overhead charges.

A number of other items will shortly be added to the above list.

वृद्धावस्था पेन्शन योजना

1126. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृद्धवस्था पेंशन योजना को क्रियान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र से कोई वित्तीय सहायता माँगी है ;

(ख) कितनी धन-राशि माँगी है ; और

(ग) क्या केन्द्र की ओर से इस संबंध में कोई सहायता दी गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

लंका के लिए भैंसों का भेजना

1127. **श्री फ० गो० सेन :**
श्री राम सेवक :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत ने लंका को एक हजार नस्लीं भैंसे देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो परिवहन का भार कौन वहन करेगा ; और

(ग) इन भैंसों से कितना दूध प्राप्त होने की आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) लंका की प्रधानमंत्री के अनुरोध पर 1000 अभिजात भैंसे 250 भैंसों की 4 वार्षिक किश्तों में देना स्वीकार किया गया है।

(ख) भारत सरकार।

(ग) 300 या अधिक दिनों में 3,000 पौंड।

मिल्क बूथ

1128. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकद भुगतान के आधार पर दूध देने को सुविधाजनक बनाने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत और दुग्ध डिपो खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितने डिपो खोले जायेंगे और उनपर क्या खर्च आयेगा ; और

(ग) उनसे मामले में कहां तक सहायता मिलेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जीं, हां।

(ख) वर्तमान दुग्ध डिपोओं का काम का भार कम करने के लिये अभी तक 24 अतिरिक्त दूध डिपो खोले गये हैं। अधिक डिपो खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। प्रत्येक दुग्ध डिपो का अनावर्ती व्यय

लगभग 1565 रु० है और प्रत्येक डिपो पर रखे गये कर्मचारियों का आवर्ती व्यय लगभग 170 रु० प्रति मास है।

(ग) अतिरिक्त डिपो से ग्राहकों के समय में बचत हो सकेगी और दिल्ली दुग्ध योजना उनकी सेवा ज्यादा अच्छी कर सकेगी।

चीनी पर से नियंत्रण हटाना

1129. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गन्ने की अच्छी फसल को देखते हुए चीनी मिल मालिकों ने चीनी पर से नियन्त्रण हटाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) चीनी मिल मालिकों ने चीनी पर प्रवर नियन्त्रण के लिये अनुरोध किया है।

(ख) प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है।

इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन

1130. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63 और 1963–64 में इन्डियन एयर लाइन्स कारर्पोरेशन ने कितना लाभ अर्जित किया ; और

(ख) गत वर्ष किन किन मार्गों पर किराये बढ़ाये गये हैं और उसके क्या कारण हैं?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इन्डियन एयर लाइन्स कॉर्पोरेशन ने 1962–63 और 1963–64 में क्रमशः कुल 60.91 लाख रु० और 104.42 लाख रु० का लाभ अर्जित किया।

(ख) गत वर्ष जिन मार्गों पर किराये बढ़ाये गये हैं उनको बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3574/64]** ईंधन पर करों में वृद्धि तथा विमानों के फालतू पुर्जों की कीमत में निरन्तर वृद्धि के कारण किराये बढ़ाये गये थे। मार्गों में परिवर्तन करने, सेवाओं का नवीकरण करने/अथवा वैदेशिक क्षेत्रों पर की उड़ानों पूर्वनिर्धारित मार्गों को लागू करना तथा उनमें परिवर्तन करने के कारण भी किराये बढ़ाये गये हैं।

Minor Irrigation Schemes

1131. **Shri Ram Harkh Yadav :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission proposes to allocate additional funds to certain States for minor irrigation schemes in the current year; and

(b) if so, the names of those States and the total amount to be allocated?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): (a) Yes.

(b) Additional allocation of Central assistance amounting to Rs. 12.85 crores for minor irrigation and agricultural production programmes for the current financial year, 1964-65, was made to various States in May 1964 as detailed below:

Name of State	Additional allocations for minor irrigation and agricultural production (Rs. in crores)
1. Andhra Pradesh	1·40
2. Assam	0·10
3. Bihar	1·40
4. Gujarat	0·20
5. J. & K.	0·10
6. Kerala	0·35
7. Madhya Pradesh	1·50
8. Madras	0·40
9. Maharashtra	0·90
10. Mysore	2·50
11. Orissa	0·25
12. Punjab	0·80
13. Rajasthan	0·75
14. Uttar Pradesh	1·30
15. West Bengal	0·90
	12·85

Considering the scope for further acceleration of minor irrigation programme during the current financial year 1964-65, proposals for making further additional allocations are under consideration.

सहकारी समितियों की सहायता

1132. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनाज को खरीदने तथा उसको स्टोर करने के लिये ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों को कितनी सहायता दी गई ; और

(ख) क्या देश में इस प्रयोजन के लिये कुछ अतिरिक्त सहकारी समितियां भी स्थापित की जायेंगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अनाज के खरीदने तथा उसको स्टोर करने के लिये ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों को कोई विशिष्ट सहायता नहीं दी गई है। हाँ, इस दृष्टि से कि ग्राम समितिया उत्पादन के लिये आवश्यक वस्तुओं को स्टोर कर सकें, अपने सदस्यों में उनका वितरण कर सकें तथा अपने सदस्यों के कृषि उत्पादन को स्टोर कर सकें, जिसमें अनाज भी शामिल है, राज्य सरकार गौदामों के बनाने के लिये 10,000 रु० से 12,500 रु०

प्रति गोदाम की दर से लगभग 100 टन की क्षमता के प्रत्येक गांव के गोदाम के लिये चुनी हुई ग्राम समितियों को वित्तीय सहायता दे रही हैं । 75 प्रतिशत सहायता दीर्घकालीन ऋण के रूप में है और शेष 25 प्रतिशत सहायता वित्तीय सहायता के रूप में ।

(ख) जी, नहीं ।

Purchase of Jowar

1133. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of **Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) the extent to which co-operative societies in Maharashtra have undertaken the procurement of jowar;

(b) whether the Central Government have given any incentives in this regard; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy): (a) A scheme of monopoly procurement of jowar through cooperatives has been introduced in Maharashtra with effect from 15-11-64 only. According to the information received from the State Government, the cooperatives have procured till 21-11-64, that is within a week of the implementation of the scheme, 492m. tons of jowar valued at Rs. 2.16 lakhs.

(b) No specific incentives have been given by the Central Government to the cooperatives exclusively for the purchase of jowar. However, certain incentives have been given in general to the cooperatives for undertaking marketing of foodgrains including jowar.

(c) The incentives given are:—

(1) Under the scheme of outright purchases of agricultural produce by selected marketing cooperatives, Government will contribute at the rate of 2% of the value of outright purchases by these cooperatives. The Government contribution for this purpose will be mointained in a price fluctuation fund opened at the level of Apex Marketing Society of each state.

(2) Cooperative Marketing Societies selected for making outright purchases of agricultural produce including foodgrains will get additional government contribution to their share capital at the rate of Rs. 25,000 per society

कोसी बांध

1134. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में बरेली को अमीनगांव से मिलाने के लिये जो सड़क बनाई जा रही है उसके बिहार वाले भाग पर प्रस्तावित कोसी पुल का मार्ग निर्धारण अनुमोदित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो पुल का स्थान चुनने के लिये सर्वेक्षण कब किया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) माननीय मंत्री शायद दरभंगा और पोबेसगंज के बीच की सड़क के मार्ग-निर्धारण में कोसी नदी पर पुल बनाने का का ज़िक्र कर रहे हैं । आवश्यक जांच और क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद इस पुल के लिये स्थान चुना जायेगा ।

(ख) सर्वेक्षण चालू है और आशा है कि इसमें लगभग 6 महीने लगेंगे ।

नालागढ़ समिति

1135. **श्री द० चं० सोय :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सहित अनेक राज्यों में जिला स्तर के प्रशासन तथा ग्राम स्तर पर काम करने वालों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा के कार्य में नालागढ़ समिति की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) और (ख) जानकारी संबंधी राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुलमर्ग का विकास

1136. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर सरकार ने गुलमर्ग और इसके आसपास के स्थानों का शर्द ऋतु में रहने की नवीनतम जगह के रुप में विकसित करने के लिये एक विशाल मास्टर प्लान तैयार किया है और इस योजना की क्रियान्विति के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विकास योजना की मुख्य बात क्या हैं और सहायता के लिये राज्य की प्रार्थना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) गुलमर्ग तथा इसके आस पास के क्षेत्र के शर्द ऋतु के समागम स्थान के रुप में एकीकृत तथा समन्वित विकास के लिये पर्यटक विभाग द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसके साथ कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार का भी संबंध है।

पर्यटन के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार तीसरी योजना में एक योजना शामिल की गई है जिस पर अनुमान है कि 1 करोड़ रुपया खर्च आयेगा। यह योजना गुलमर्ग पर शर्द ऋतु की क्रीड़ाओं के विकास के लिये तैयार की गई है। इसमें निम्नलिखित सुख सुविधाओं की व्यवस्था है :--

(एक) टंगमार्ग से गुलमार्ग तक एक सड़क का निर्माण करना जिस पर कि मोटरें भी चल सकती हों।

(दो) गुलमर्ग से खिलनमार्ग तक एक रज्जू पथ स्थापित करना ।

(तीन) गुलमर्ग में एक केफेटेरिया तथा होटल का निर्माण जिसमें कि अन्दर से गर्म किये जाने की व्यवस्था हो।

(चार) गुलमर्ग में एक अभ्यास 'स्काई लिफ्ट' तथा स्काई प्रशिक्षण केन्द्र।

(पांच) गुलमर्ग में सहायक सुविधाएं, जसे कि बिजली घर, कर्मशाला, रिहायशी तथा दफ्तरों की इमारत आदि।

इस परियोजना का सारा खर्च केन्द्र देगा सिवाय इसके कि टंगमार्ग से गुलमर्ग तक जो सड़क बनाई जायेगी उसका 50 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। गुलमर्ग में वर्तमान सुविधाओं में सुधार करने तथा नई सुविधाएं देने, जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था, वस्तुएं खरीदने के केन्द्र, एक पर्यटक स्वागत केन्द्र, एक आवास बस्ती आदि, के लिये अनेक अतिरिक्त पर्यटक योजनाएं भी जम्मू तथा काश्मीर की राज्य योजना में शामिल की गई हैं। उक्त सुविधाओं के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिये मास्टर प्लैन की तैयारी के लिये गठित दल ने जून, 1964 में गुलमर्ग का दौरा किया। आशा है कि प्रतिवेदन 6 मास में तैयार हो जायेगा।

दिल्ली जोधपुर के बीच विमान सेवा

1137. **श्री तन सिंह :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जोधपुर के बीच विमान सेवा बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या जोधपुर के अब किसी अन्य मार्ग से मिलाने का विचार है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस विमान सेवा में यात्रियों की संख्या बहुत कम थी और यह अलाभदायक थी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

बिहार को खाद्य का सम्भरण

1138. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 17 नवम्बर, 1964 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य को आरम्भ में नियत किये गये खाद्य के सम्भरण में कमी के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) अमरीका में एक बन्दरगाह में अकस्मात हड़ताल हो जाने के कारण सितम्बर में गेहूं का निर्यात हमारी प्रत्याशा से कम रहा । इसी कारण कमी वाले राज्यों को जिसमें बिहार भी सम्मिलित है, सितम्बर में गहूं का पूरा कोटा नहीं दिया जा सका । काण्डला बन्दरगाह में गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण अक्तूबर में बिहार को नियत किये गये गेहूं के कोटे के सम्भरण में कमी रही ।

(ख) किसी विशेष मास के लिये भिन्न भिन्न राज्यों का गेहूं का कोटा केन्द्रीय सरकार के पास गेहूं की उपलब्धता और राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को देख कर ही नियत किया जाता है । इस नियत किये गये कोटों के पूरे पूरे सम्भरण के लिये प्रयत्न किया जाता है । इस प्रबन्ध के अनुसार पिछले महीनों में हुई कमी को पूरा करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी

1139. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री बसवन्त :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के तत्वावधान में बम्बई में अखिल भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी होने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी का मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वहां क्या क्या प्रदर्शित किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड बम्बई में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर रहा है । परन्तु नवम्बर-दिसम्बर 1964 में

बम्बई में होने वाले यूकैरिस्टिक सम्मेलन के दौरान शिल्पी केन्द्र, बम्बई द्वारा 'अवर "हेरिटेज" के नाम से भारतीय हस्तशिल्प की एक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। तथापि बोर्ड ने इस प्रदर्शनी के शिल्पी केन्द्र को निम्नलिखित सहायता दी है :

सहायतानुदान	15,000 रुपये
ऋण	35,000 रुपये

बोर्ड ने इस प्रदर्शनी में दिखाये जाने के लिये 32,333.59 रुपये के मूल्य की वस्तुएं भी पारेषण आधार पर भेजी हैं।

एर्नाकुलम में हवाई अड्डा

1140. **श्री मणियंगाडन** : क्या असैनिक उड्डयान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम में या उसके निकट एक असैनिक हवाई अड्डा बनाये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस हवाई अड्डे के लिये स्थान निश्चित कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

असैनिक उड्डयान मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एर्नाकुलम में या उसके निकट कोई हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रति व्यक्ति चीनी का कोटा

1141. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री चुनी लाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति चीनी का कोटा नगर-क्षेत्र के लिये एक किलो और ग्रामीण क्षेत्र के लिये 125 ग्राम नियत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वितरण में इस असमता के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) यदि राशन कार्ड जारी किये गये हों, तो चीनी की मात्रा और वितरण की प्रणाली राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये निर्धारित की जाती है। चीनी का यह प्रति व्यक्ति कोटा भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है और कुछ राज्यों में तो भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न है।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

RE: CALLING ATTENTION NOTICES

ध्यान दिलाने वाली सूचना के विषय सम्बन्धी मामलों पर सदन से बाहर वक्तव्य देने का औचित्य

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्वशासी जिले) : इस से पूर्व कि आप सभा में कार्यवाही आरम्भ करें मैं इस से सम्बन्धित एक प्रश्न के बारे में आपको राय जानना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध सभा की कार्यवाही से है। कल मैंने एक सूचना दी थी जिसके द्वारा सरकार का ध्यान एक भगोड़े व्यक्ति के कथित प्रवेश . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं बता सकता हूं . . . .

श्री स्वैल : कृपया मेरी बात सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक इसी बात के लिये मैं उन से कह रहा हूं।

श्री स्वैल : सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने अथवा उन्हें लम्बित रखने की आपकी शक्ति पर मैं आपत्ति नहीं उठा रहा हूं। परन्तु आज समाचार पत्रों में आया है कि विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने प्रेस को पहले ही सूचना दे दी है जिसमें कि उन्होंने भूतान के अधिकारियों द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। उन्होंने इस स्थिति की पृष्ठ भूमि भी बताई है। यहां मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य मेरी बात सुनें तो वे सन्तुष्ट हो जायेंगे। कल मैंने इस सूचना को विचारार्थ रख लिया था और आज जो कुछ भी समाचार पत्रों में आया है उसके कारण मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और इस पर चर्चा की जायेगी। इस पर व्यवस्था का प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री स्वैल : मुझे सूचना भेजे हुये 24 घंटे हो गये हैं। प्रेस में बयान देने से पहले सरकार को सभा में बयान देना चाहिये था। क्या यह सभा का अपमान नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह है कि इसमें सभा का कोई अपमान नहीं हुआ है। मैंने यह सूचना स्वीकार कर ली है और सरकार की ओर से सभा में इस बारे में शीघ्र बयान दिया जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है परन्तु यह निश्चय ही सभा के विशेषाधिकार का प्रश्न है। जब सभा का सत्र हो रहा हो, आपको कोई सूचना दी गई हो और उस बारे में सभा में वक्तव्य दिया जाना हो, तो विदेश मंत्रालय का कोई अधिकारी किस तरह से प्रेस में पहले बयान दे सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इस बारे में बहुत भावुकता नहीं दिखानी चाहिये। यदि इस आरोप का खण्डन करना आवश्यक था और इस कारण प्रेस में बयान दिया गया तो इस में कोई हानि नहीं है। विस्तृत बयान तो सभा में ही दिया जाता है। हमने पहले ही यह प्रथा बनाई है कि नीति सम्बन्धी सभी वक्तव्य, यदि सभा का सत्र हो रहा हो, तो सभा में ही दिये जायेंगे। और क्योंकि इस विषय पर पहले ही सूचना दी जा चुकी थी इसलिये सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये था। परन्तु यदि किसी बात को शीघ्र ही खण्डित करने की आवश्यकता हो तो उस स्थिति में बाहर भी बयान दिया जा सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस बारे में आप हमारे विचार से सहमत ही हैं। फिर भी आपने यह कहा है कि यह एक संक्षिप्त वक्तव्य था और इस में विदेश मंत्रालय विलम्ब नहीं कर सकता था। मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने यह वक्तव्य कल ही सभा में क्यों नहीं दिया। यदि सरकार ऐसा करती तो आज यह स्थिति उत्पन्न न होती।

श्री नाथपाई (राजापुर) : जिस विषय से सभी लोग चिंतित हैं उस पर हमारे प्रस्ताव को आपने स्वीकार कर लिया है। यदि विदेश मंत्रालय के पदाधिकारी के पास इस आरोप के खंडन करने के लिये कुछ सूचना थी तो अवश्य ही वह सूचना मंत्री महोदय के पास भी होती और वह सभा को आसानी से दी जा सकती थी। एक ओर तो सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं का इस कारण उत्तर नहीं दिया जाता कि सरकार ने उसके लिये जानकारी एकत्रित करनी होती है और दूसरी ओर वे प्रेस में बयान दे देते हैं। इस से सरकार का क्या अभिप्राय है ?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में यह धारणा बन रही है कि यह पदाधिकारी नीति सम्बन्धी वक्तव्य देते हैं जो कि उन्हें नहीं देने चाहियें। अणु शक्ति विभाग के अधिकारी ने अणु बम के बारे में वक्तव्य दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार इन पदाधिकारियों द्वारा चलाई जा रही अथवा मंत्रियों, लोकसभा और राज्य-सभा द्वारा ?

श्री भागवत झा आजाद : आपने पहले भी सभा में कई बार यह कहा है कि जब कोई सूचना स्वीकार की जा चुकी हो अथवा लम्बित हो तो सरकार को सभा से बाहर पहले बयान नहीं देना चाहिये। परन्तु अभी आपने यह कहा कि यदि किसी बात को खण्डित करना आवश्यक हो तो सरकार एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकती है। क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि इस विषय में कोई बात ऐसी महत्वपूर्ण नहीं थी कि सरकार 12 या 15 घंटे पहले ही यह वक्तव्य दे देती। इसलिये सरकार पर आपका यह विनिर्णय बाध्य होना चाहिये कि वह, यदि सभा का सत्र हो रहा हो, तो ऐसे नीति सम्बन्धी वक्तव्य सभा के बाहर नहीं दे सकती।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : जहां तक मुझे विदित है विदेश मंत्रालय के कुछ भागों में कल इस बात की खुशी मनाई गई। उन्होंने कहा कि सभा इस बारे में सचेत नहीं थी और उन्होंने भूटान में उत्पन्न हुई इस असामान्य स्थिति की ओर ध्यान नहीं दिलाया। इससे पता लगता है कि वे सभा की उपेक्षा करना चाहते हैं और उन्होंने प्रेस को एक विस्तृत विवरण दिया। उनकी यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : आपके इस कथन के बारे में कि यह बयान एक पदाधिकारी द्वारा दिया गया मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारी सरकार एक लोकतन्त्रात्मक सरकार है और इसलिये पदाधिकारी द्वारा दिये गये बयान के लिये मंत्री उत्तरदायी है जब तक कि मंत्री महोदय सभा में उस बयान का खण्डन न करें।

श्री बड़े (खारगोन) : जब हम आपको ध्यान दिलाने वाली सूचना भेजते हैं तो आप उन्हें सदैव मंत्री महोदय को भेज देते हैं और मंत्री महोदय को पता होता है कि ध्यान दिलाने वाली सूचना सभा में विचाराधीन है। फिर सभा के बाहर क्यों बयान दिया जाता है। इससे तो सभा का विशेषाधिकार भंग होता है।

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि मंत्री महोदय कुछ कहें मैं एक बात की ओर उनका ध्यान दिलाऊंगा ताकि उन्हें इस बारे में तथ्यों का पता लग जाये। जहां तक इन व्यवस्था के प्रश्नों का सम्बन्ध है मैं ने पहले भी कहा है कि जब सभा का सत्र हो रहा हो तो सरकार को नीति सम्बन्धी बयान सभा के बाहर नहीं देने चाहियें। परन्तु किसी समय तत्काल बयान देना भी आवश्यक हो जाता है और इस पर जो आपत्ति सभा में उठाई गई है इससे मैं सहमत नहीं हूं। दूसरी बात जो केवल इसी मामले से सम्बन्धित है यह है कि सभा में ध्यान दिलाने वाली सूचना विचारार्थ प्रस्तुत थी। मैंने उसे मंत्री महोदय को भेज दिया था और मंत्रालय को यह पता था कि इस बारे में सूचना आई है। इसलिये यदि कोई बयान देना आवश्यक था तो वह पहले यहां दिया जाना चाहिये था। भविष्य में इस बारे में सावधानी बर्ती जानी चाहिये। मैं ने इस सूचना को मंत्रालय में भेज दिया था परन्तु आज सुबह तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई थी। क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण था और मेरे पास इस सम्बन्ध में मंत्रालय से कोई भी जानकारी नहीं आई थी इसलिये मैं ने और अधिक प्रतीक्षा किये बिना आज सुबह इस सूचना को स्वीकार कर लिया। मेरा माननीय मंत्रियों से यह निवेदन है कि जब उनके पास ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सूचना आई हो और वे यह समझें कि उस बारे में अवश्य ही तत्काल बयान देना चाहिए तो ऐसी सूचनाओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। इस विशेष विषय के बारे में जानकारी तो सभा को यदि मध्याह्नपूर्व नहीं तो मध्याह्न पश्चात् दी जा सकती थी।

गृहकार्य-मंत्री (श्री नंदा) : जो प्रक्रिया आपने निर्धारित की है उस पर सावधानी से और श्रद्धा पूर्वक कार्य होना चाहिये। जहां तक इस वर्तमान विषय का सम्बन्ध है किसी का भी यह आशय नहीं

[श्री नंदा]

था कि सभा की प्रथा को तोड़ा जाये। परन्तु यदि ऐसा हुआ है तो यह खेदजनक है। मैं इस विषय से सम्बन्धित तथ्यों की जांच करके सभा को इसकी जानकारी दूंगा। यदि यह समस्या किसी भूल के कारण उत्पन्न हुई है तो भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी।

श्री कामत (होशंगाबाद) : अधिकारियों द्वारा दिये गये वक्तव्य के लिये मंत्री उत्तरदायी हैं या नहीं ?

श्री नन्दा : जी हां, वे उत्तरदायी हैं।

सभा पटल पर रखें गयें पत्र

[PAPERS LAID ON THE TABLE]

दिल्ली में गेहूं की भाव बढ़ने के बारे में वक्तव्य

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : मैं दिल्ली में भाव के बढ़ने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3563/64**]।

भारतीय विमान (तीसरा संशोधन) नियम

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं श्री कानूनगो की ओर से विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14–क के अन्तर्गत दिनांक 21 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1655 में प्रकाशित भारतीय विमान (तीसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3564/64**]।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक 23 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1658 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर प्रतिन्बध) दूसरा संशोधन आदेश, 1964।

(दो) दिनांक 19 अक्तबर, 1963 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1673 में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, 1963 को रद्द करने वाली दिनांक 24 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1694।

(तीन) दिनांक 27 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1695 में प्रकाशित मध्य प्रदेश चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1964।

(चार) दिनांक 21 दिसम्बर, 1959 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1401 में प्रकाशित, चावल (पूर्वी क्षेत्र) लाने ले जाने पर नियंत्रण आदेश, 1959 को रद्द करने वाली दिनांक 27 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1696।

(पांच) दिनांक 27 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1697 में प्रकाशित पश्चिमी बंगाल चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1964।

(छ:) दिनांक 27 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1698 में प्रकाशित उड़ीसा चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, 1964। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3565/64]**।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1288 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (पन्द्रहवां संशोधन) योजना 1964।

(दो) दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1399 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सोलहवां संशोधन) योजना, 1964।

(तीन) दिनांक 3 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1415 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (सत्तरहवां संशोधन) योजना, 1964।

(चार) दिनांक 17 अक्तूबर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1500 में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (अट्ठारहवां संशोधन) योजना, 1964। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3566/64]**

(2) कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, 1952 की धारा 1 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 26 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1398 की जिसके द्वारा उक्त एक्ट को कुछ प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है, एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3567/64]**

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1964-65

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA), 1964-65

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में, वर्ष 1964-65 के लिये केरल राज्य की अनुपूरक अनुदानों की मांगों तथा उस के लिये प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों पर, मतदान तथा अग्रेतर चर्चा होगी। अब श्री रंगा अपना भाषण जारी रखें।

श्री रंगा (चितूर) : मैं कल यही कह रहा था कि केरल में सभी राजनीतिक दलों को संयुक्त शासन बनाने का समय समय पर अवसर मिला है। वहां पर बहुसंख्यक दल की सरकार भी रही है। परन्तु ऐसा शासन वहां पर असफल रहा है। इस लिये अब भारत सरकार, संसद् तथा जनता को कोई ऐसा नया तरीका अपनाना चाहिये जिस से वहां पर सफलतापूर्वक कार्य चल सके।

इस के लिये लोकतंत्रात्मक देश स्विट्ज़रलैंड में प्रचलित तरीके का हम अनुकरण कर सकते हैं। वहां पर भारत की तरह बहुसंख्यक दल की सरकार नहीं होती है। वहां संसद् के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाती है। यह समिति जहां तक संभव

[श्री रंगा]

हो एकमत निर्णय के आधार पर कार्य करती है। यदि उनका एकमत न हों तो वे बहुमत के आधार पर निर्णय कर लेते हैं। यदि बहुमत भी न हो तो वे निर्णय को तब तक के लिये स्थगित कर देते हैं जब तक उन में बहुमत हो जाये।

मैं यह सुझाव इस लिये दे रहा हूं क्योंकि केरल में पहले दो बार बहुसंख्यक दल की सरकार असफल रही है तथा जिस के लिये राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा। इसलिये यदि अब भी सरकार वहां पर निर्वाचन के द्वारा या निर्वाचन के बाद दूसरे दलों को मिलाकर बहुसंख्यक दल बना कर प्रशासन करना चाहती है तो मेरे विचार से वह समय दूर नहीं होगा जब राष्ट्रपति को तीसरी बार शासन सम्भालना पड़ेगा। और ऐसा करना मेरे विचार से केरल तथा भारत के लिये अच्छा न होगा।

यदि वहां पर होने वाले निर्वाचनों को सरकार डेढ़ या दो साल के लिये इस आशा पर स्थगित कर भी दे कि वहां की जनता पुरानी और वर्तमान त्रुटियों को भूल जायेगी और भविष्य में भी उन्हीं के दल को वोट देगी तो ऐसा करना भी सामाजिक अर्थव्यवस्था तथा संसदीय राजनीतिक ढांचे को बिगाड़ना होगा।

यदि समिति की सरकार वाला तरीका जो मैंने बताया है अपना लिया गया तो यह निर्वाचनों में भी सहायक सिद्ध होगा। आजकल हमारे देश के बहुत से लोगों में यह कमी है कि वे सत्तारूढ़ दल को हीं मत देना चाहते हैं। चाहे वे उस के कृत्यों से सन्तुष्ट न भी हों परन्तु वे मतदान उसी दल के लिये करेंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति ने हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है। इस लिये यदि इस प्रकार की प्रवृत का अन्त करना है तो हमें यह नया तरीका अपनाना चाहिये जिस से हम लोगों को आश्वासन दे सकें कि किसी दल के कितने भी सदस्य निर्वाचित हो कर आयें सभी दलों के प्रतिनिधियों को शासन करने का अवसर मिलेगा न कि केवल दो या तीन दलों को मिलाकर ही सरकार बन जायेगी। इस तरह से लोगों की यह कमी दूर की जा सकती है तथा उन्हें ऐसे व्यक्ति को मतदान देने का अवसर मिल सकता है जिस में उन को पूर्ण विश्वास हो। मैं यह सुझाव अभी केरल राज्य के लिये ही दे रहा हूं न कि सारे देश के लिये।

यदि सरकार केरल में राष्ट्रपति के शासन की अवधि को बढ़ाना चाहती है तो मेरे विचार से यह एक तरफा निर्णय अच्छा न होगा। यदि वे खाद्य संकट को दूर करने के लिये दूसरे बड़े बड़े राजनीतिक दलों की अनुमति के बिना ही इस अवधि को बढ़ाना चाहते हैं तो भी यह ठीक बात न होगी। यदि यह सरकार कांग्रेस दल के द्वारा जिसको राष्ट्रपति को मंत्रणा देने का अधिकार है इस अवधि को बढ़ाने के लिये चाहती है तो ऐसा करना लोकतंत्रात्मक परम्परा का उल्लंघन करना होगा। इस लिये मुझे विश्वास है कि वे ऐसा नहीं करेंगे।

मुझे पता लगा है कि एक मेरे मित्र जो कि अब मंत्री हैं तथा जो वोट लेने में चतुर माने जाते हैं केरल में गये थे। वह वहां किसी निजी प्रयोजन के लिये नहीं गये थे। वह वहां पर संसद् की ओर से बल्कि यह कहना चाहिये कांग्रेस दल की ओर से या वर्तमान सरकार की ओर से कुछ अध्ययन करने के लिये गये थे और अब आ कर उन्होंने अपनी सलाह उनको दी है। वह सलाह जैसे कि आज सुबह एक प्रसिद्ध समाचार पत्र में भी था ठीक नहीं है। परन्तु सरकार उस मंत्रणा पर निर्णय लेना चाहती है। इस लिये मैं सरकार को चुनौति देता हूं कि उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिये और अपने पूर्व निश्चित निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिये यदि वे निर्णये में परिवर्तन करना भी चाहते हैं तो उनको दूसरे राजनीतिक दलों की अनुमति से करना चाहिये।

मेरे माननीय मित्रों ने पूछा था कि यह नया तरीका कैसा है।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही बता दिया गया है।

श्री रंगा : यह नया तरीका जिस को मैं पहले बता चुका हूं स्विटजरलैंड में 70–80 वर्ष से सफलतापूर्वक चल रहा है। इस के अतिरिक्त ऐसा तरीका इंग्लैण्ड में भी प्रचलित हैं परंतु वहां पर इस तरीके से वहां की सरकार नहीं कार्य करती बल्कि स्थानीय निकाय करते हैं।

किसी ने मुझ से पूछा कि मंत्रिमंडल कौन बनायेगा क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार बहुसंख्यक दल का नेता बनाता है। केरल तथा मद्रास राज्य में ऐसे अवसर आये हैं जब कि एक अधिकतम संख्यावाले के दल के नेता ने, चाहे उस का अपना दल बहुसंख्या में नहीं था, मंत्रिमंडल बनाया है। इस लिये संविधान के अनुसार भी यह तरीका अपनाया जा सकता है।

श्री हनुमन्तैया (बंगलोर नगर) : श्रीमन्, जैसा स्वतंत्र दल के नेता श्री रंगा ने सुझाव दिया है कि समितियों द्वारा सरकार का काम चलना चाहिये, मेरे विचार से संविधान में संशोधन किये बना ऐसा करना संभव नहीं होगा। मैं उन से सहमत हूं कि कोई नया तरीका अपनाया जाना चाहिये चाहे हमें इस के लिये संविधान में संशोधन क्यों न करना पड़े। अब ऐसा प्रतीत होता है कि हम ऐसी अवस्था पर पहुंच गये हैं जिससे केरल के लिये हल निकाले जा सकता है क्योंकि जब वहां पर राष्ट्रपति के शासन को लागू करने के बारे में चर्चा हो रही थी तो सभी एकमत थे।

वहां पर विशेषकर साम्प्रदायिक झगड़े हैं। दुर्भाग्यवश केरल में दो बार संसदीय पद्धति से चुनी गई सरकार का शासन असफल रहा है। दो बार मध्यकालीन निर्वाचन करने पड़े। दोनों बार ही जब राष्ट्रपति का शासन वहां पर लागू हुआ तो कांग्रेस दल ही सत्तारूढ़ था परन्तु आन्तरिक झगड़े के कारण असफल रहा था। दूसरे दलों को केरल की जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है जिस से वे बहुमत ग्रहण कर के स्थायी सरकार बना सके। यदि वे आम चुनावों में बहुमत होने से सरकार बना भी लें तो भी यह सन्देह की बात है कि वे इन साम्प्रदायिक झगड़ों को समाप्त कर सकेंगे तथा पांच वर्षों की अवधि के लिये स्थायी रूप से सरकार बनाये रखेंगे। इस लिये हमें इस के लिये कोई नया तरीका निकालना चाहिये सरकार के नेता जो नया तरीका निकलने के लिये सामर्थ्य हैं उन को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

सब से पहले ऐसी स्थिति को हल करने में जो त्रुटिया होती हैं मैं उन को लूंगा जैसे ही मंत्री-मण्डल को हटाया जाता है तो सरकार का सारा कार्य नौकरशाही शासन व्यवस्था के हाथ में चला जाता है। आजकल शासन का इस प्रकार से नोकरशाही के हाथो मे चला जाना संविधान की भावना तथा स्वतंत्रता के पश्चात अपनाये गये मूल सिद्धांतो का विरोध करना होगा। मुझे विश्वास है कि सभी दल, चाहे कम्यूनिस्ट दल हो या कांग्रेस या कोई अन्य, इस एक प्रकार की नौकरशाही शासन व्यवस्था को पसन्द नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी व्यवस्था को लोगों पर लागू करना संविधान के सिद्धांतो का अपमान करना है।

दूसरे नौकरशाही में मानसिक सुस्ति आ जाती है। इस में हम स्वयं प्रयास न करके आई० सी० एस० अधिकारीयों पर निर्भर करते हैं। संविधान तथा लोकतंत्रात्मक सिद्धांतो के आधार पर सचिव का कार्य सरकार की नीति तथा अन्य कार्यक्रमों इत्यादि में सहायता करना होता है। उस का काम सरकार को प्रशासन चलाने के लिये मंत्रणा देना नहीं है। यदि हम मान लें कि सलाहकार स्वामी से अच्छा है तो एक दिन ऐसा भी आयेगा जब कि सलाहकार को ही लोग पसन्द करेंगे।

मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि राज्यपाल को किसी भी अवधि के लिये केरल राज्यपर प्रशासन करने की लिये शक्ति दी जाये। मैं इस बात को भी पसन्द नहीं करता कि प्रशासन चलाने के लिये भारतीय सीवील सेवा के अधिकारी राज्यपाल को मंत्रणा देने के लिये जाये। ऐसा करना

[श्री हनुमन्तैया]

लोकतंत्र की भावना के विपरित कार्य करना है। सदा पुरानी रीति पर चलने से यह प्रतित होता है कि हम कोइ नया तरीका अपनाने के लिये असमर्थ हैं। मेरा पहला सुझाव यह है कि केरल के लोगोंपर लोक तंत्रात्मक ढंग से प्रशासन होना चाहिये। इस सभा मे निर्वाचित होकर आय केरल के भी सदस्य है। इस लिये इस अवधि मे जब तक नया मंत्रीमंडल नहीं बनाया जाता केरल के संसदसदस्यों की एक सलाहकार समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इस समिति को कोई भी नाम दिया जा सकता है। अतः वहां के विधान कार्य का उत्तरदायित्व इस समिति को सौंपा जा सकता है। ऐसा करना संविधान के अनुकुल भी होगा।

इस लिये केरल के संसदसदस्यों को वहां के शासन का उत्तरदायित्व दे दिया जाना चाहिए। इस के लिय संविधान में संशोधन भी करना पड़े तो भी संकोच नही होना चाहिये। उन के लिये नइ प्रथा भी अपनाइ जा सकती है। यदि वे आपस में से बिना किसी पक्ष के झगडे के एक या दो व्यक्ति चुन लें तो उनको आइ० सी० एस० के अधिकारियों के स्थान पर राज्यपाल के सलाहकार के रुप में भेजा जा सकता है।

मैं सरकार को एक सुझाव देता हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि वह केरल मे एक और आइ० सी० एस० अधिकारी सलाहकार के रुपमे भेज रही है सरकार इन अधिकारियों को हर रोग की दवा समझती है और यह बात उनके लिये श्रेयस्कर नहीं है। लोक तंत्र मे सचीव को सचिव ही रखा जाना चाहिये क्योंकि सरकार का इस सभा मे बहुत बड़ा बहुमत है इसलिये मैं उनसे अपील करुंगा कि वह लोक तंत्रीय सिद्धांतो की आत्मा को नष्ट न करें और इसे सूखी नौकर शाही न बनाये स्वतंत्र पार्टी के नेता के अनुसार बुरे दिन को टालने का विचार गलत है। उनका विचार हैं की चुनाव चाहे अभी हों अथवा कुछ दिनों पश्चात कांग्रस पार्टी को डर है कि वह बहुमत प्राप्त नहीं कर सकेगी। यह उन्हींका विचार है। मैं न सरकार और न ही विरोधी नेता के मनकी बात जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति हैं।

श्री हनुमन्तैया : इसलिये मैं एक निष्पक्ष सुझाव रखता हूं। सरकार के हित मे मैं यह कहता हूं कि बार बार चुनाव पर व्यय करना ठीक नहीं है। राजनैतिक दल भी चुनाव पर काफी व्यय करते हैं। भ्रष्टाचार के भी कइ मामले सामने आते हैं जिनके लिये बाद में जांच आयोग नियुक्त करने पड़ते हैं। इसलिये हम चनाव को बहुत लाभदायक नही समझना चाहिये। संविधान के अनुसार पांच वर्ष बाद ही चुनाव होने चाहिये। केरल में मध्यकालीन चुनाव हुये जिन से उस राज्य की सरकार में स्थिरता लाने म हम असफल रहे इसलिये यह माना जा सकता है कि चुनाव ही किसी प्रश्न का हल नहीं हो सकता।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह भी तो देश के लिये उतना ही अच्छा है कि हम बिना चुनाव के यहीं बैठे बैठे राज्य करें।

श्री हनुमन्तैया : यदि माननिय सदस्य ने मेरा भाषण ध्यानपूर्वक सुना हो तो मैंने पहिले ही कह दिया है कि चुनाव पाच वर्ष बाद आवश्य होने चाहिये! मैंने यह कभी नहीं कहा कि चुनाव हों ही नहीं। मैं ने पहले ही एक सुझाव दिया हैं जो हर प्रकार लोकतंत्रीय होने के साथ ही स्वतंत्र पार्टी के नेता के विचारों का कुछ हद तक उत्तर भी है। इसलिये चुनाव पांच वर्ष बाद ही होने चाहिये और उसपर व्यय और उसके परिणामों का विचार भी किया जाना चाहिये इसीलिये मैं कहता हूं कि चुनाव कराने मे शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : और केरल को नौकरशाही पर छोड़ देना चाहिए।

श्री हनुमन्तैया : मुझे पता है कि केरल मे यदि छः मास के अंदर चुनाव हो भी जाये तो भी वहां टिकने वाली सरकार नहीं बन सकती––केरल के सदस्य भी यह कह चुके हैं। यह मेरा विचार

न होकर सभा मे पहले हुये बाद विवाद में प्रकट किया गया विचार है। इसलिये यदि चुनाव स्थगित किये जाते हैं तो चिंता की कोइ बात नही है। इसलिये हम सब सरकार तथा सभी दल——कोई तरीका निकाले जिस से ऐसी सरकार बने जो केरल की जनता की दिन प्रति दिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ लोक तंत्र के बुनयादि ढांचे को बनाये रखे।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद विवाद मे भाग न लेता यदि मैं कल और परसों केरल न गया होता। हमे प्रो० रंगा की तरह इस विषय पर मन धड़क बातें नहीं कहनी चाहिये। हम इस समय केरल की पूरक मांगों के अनुदान पर विचार कर रहे हैं और इन मांगों को पारित करने का अधिकार दूसरी ओर के कुछ सदस्यों के हाथ में है और इस बात पर भी श्री हनुमन्तैया जी से सहमत हूं।

जब केरल मे राष्ट्रपति शासन लागू हो तो मेरे विचार में वहां को संसद् सदस्य केरल की स्थिति को जानते हुये इन मांगों की काट छांट करते हैं यदि ऐसा है तो यह कार्य सरकार को करना चाहिये क्योंकि वहां कोई विधान मंडल नही है। और क्योंकि यह सभा के दोनों ओर केरल के संसद् सदस्य हैं इसलिये उन्हें एक प्रकार की अनौपचारिक समिति बनाकर कार्य करना चाहिये जब कि वहां की पूरक मांगों के अनुदान का प्रश्न हमारे सामने है परन्तु मेरे विचार से ऐसा नही किया गया।

जैसा की हनुमन्तैया ने कहा हम नौकरशाही तरीकों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, मैं 200 वर्ष पुराने शासकों के पद चिन्हों पर चलने की नीति नहीं समझ पाता। जब राष्ट्रपति राज्य का शासन अपने हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पुराने समय में कोई राज्यपाल 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा हो और संविधान में भी वही पुरानी भाषा रख दी गयी है और फिर भी हम इसे अपनी सब से पवित्र भावनाओं का प्रतीक मानते हैं। नौकरशाही पर सरकार की निर्भरता के विवेकहीन पग ने ही केरल में कांग्रेस को इस स्थिति तक पहुंचाया है।

केरल में अपार प्राकृतिक सौन्दर्य है वहां सब धर्मों का अपूर्व मिलाप है और साक्षरता सब से अधिक है जिस से पता चलता है वहां के लोक राजनैतिक रुपसे कितने जागरुप है। वहां बनी सरकार की अस्थिरता वहां की जनता की बनायी हुई तो नहीं है। यह तो वहां के प्रशासन के कार्य पर निर्भर है और इसका कारण वहां कांग्रेस का अपने आदर्शों पर न चलना है। हम केरल में देश भर के प्रश्नों का सार मिलता है और आशा है कि वहीं से ही उनका हल भी मिलेगा। वहां कांग्रेस मर चुकी है और इसलिये वह वहां चुनाव नहीं चाहती। हमें समाचार पत्रों द्वारा यह जान कर बहुत चिन्ता हुई है कि सरकार वहां राष्ट्रपति शासन बनाये रखना चाहती है। पता नहीं श्री हनुमन्तैया ने यह कैसे कहा है कि चुनाव पांच वर्ष से पहले न हों और मध्यकालीन चुनाव भारी व्यय के कारण नहीं होने चाहिये। संविधान में तो संसद् की पांच वर्ष की अवधि के बारे में ही कहा गया है। परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं कि जब मध्यकालीन चुनाव आवश्यक हों फिर भी न कराए जाय। व्यय का विचार श्री हनुमन्तैया जी ने सरकार को चुनाव न कराने के अस्त्र रुप में दिया लगता है। परन्तु उस भारी व्यय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा जो सरकार आपात का सहारा ले कर अक्तूबर-नवम्बर, 1962 से किया जा रहा है। अभी ही समाचार या कि कितने ही उप सचिव और बनाये जा रहे है, क्या उन पर करोड़ों रुपये खर्च नहीं होंगे? इसलिये केरल के चुनाव पर व्यय की बात निराधार है।

ब्रिटेन के हाऊस आफ कामनस् अपनी अवधि आसानी से पांच वर्ष से अधिक तक बढा सकता है परन्तु वहां जनता की राय जानने के लिये इस अवधि से पहले ही चुनाव कराना आवश्यक समझा जाता है। श्री हनुमन्तैया जा रहे है परन्तु वह. . . . .

श्री नम्बियार : अब वह लौट आये हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि हम पांच वर्षों के बाद ही क्यों चुनाव करायें चुनाव तो जब भी जनता की राय जानने की अवश्यकता हो कराये जाने चाहिये चाहे यह जितना भी शीघ्र हो। केरल में चुनाव इसलिये कराये जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस सरकार में त्रुटियां आ गई थीं और अब के चुनाव में वह फिर जनता के सामने आयेगी और खरा उतरने पर ही शासन संभाल सकेगी। इसलिये उचित यहि है कि बिना विलंब चुनाव कराये जाय और राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाये।

केरल में राजनैतिक गठबंधन अनोखे प्रकार के होते हैं और वहां के लोगों की अपनी ही राजनैतिक जागरुकता है। उन्हे अपनी राय प्रगट का पूरा अधिकार है इसलिये जैसा श्री रंगा जी ने कहा कि वहां चुनाव बिना विलंब होने चाहिये।

मैं ने वहां देखा है कि लोग कांग्रेस प्रशासन से ऊब चुके हैं और उनके दुःखों का अन्त करने के लिये शुभचिन्तक व्यक्तियों को प्रशासन संभालना होगा। इस संबंध में कई प्रयोगों के बारे में कहा गया है जिसमें स्विट्ज़रलैंड वाला भी है और कभी सुझाव श्री हनुमन्तैया जी ने भी दिये हैं। मैं यह नहीं समझ पाता कि राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन संभालते हैं ऐसा समितियां क्यों नहीं बनाते जिन में जनता के प्रतिनिधि हों और चुनाव न भी कराये गये हो फिर भी जनता के प्रतिनिधियों का चुनाव कठिन नहीं होता इसके विपरीत वह वरिष्ट आई० सी० एस० अधिकारीयो की सहायता लेकर अपनी विवेकहिनता ही प्रदर्शित करते हैं। इसलिये हमें संसदिय प्रणाली पर प्रयोग करना बंद करना होगा और कुछ क्षेत्रों में निकले अनोखे परिणामों के होते हुये भी ठीक पग ही उठाना चाहिये जो केरल में तुरन्त चुनाव कराना है। सरकार को समाचारों का खंडन करके चुनाव की तिथि पर अपना निर्णय तुरन्त दे देना चाहिये। और यदि ऐसा न हुआ तो हो सकता है कि केरल के लोगों को इतनी ठेस लगे कि उसकि कीमत चुकाना श्री हनुमन्तैया जी के लिये भी कठिन हो। और यह कीमत सरकार को अपने राजनैतिक और नैतिक व्यवहार को बनाये रखने के लिये देनी होगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि केरल में विधान सभा के भंग हो जाने से अनुदानों की मांगों पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया जा सकता है। अतः राज्य में राष्ट्रपति का शासन समाप्त करके प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव करायें जायें और विधान सभा की स्थापना की जाये। मैं अनुरोध करता हूं कि अनुदानों की मांगों को स्वीकृति के लिये सभा के सामने रखने से पहले सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि राज्य में राष्ट्रपति का शासन उस अवधि से अधिकसमय तक जारी नहीं रखा जायेगा जिसका इस समय संविधान में उपबन्ध है। केरल में मध्यकालीन आगामी चनावों की तारीख घोषित की जा चुकी है तथा मतदान संबंधी व्यवस्था करने के लिये चुनाव आयुक्त राज्य का दौरा भी कर चुके हैं। मंत्रिमंडल के एक मंत्री द्वारा चुनावों को स्थगित करने का समाचार हम सबके लिये बड़े दुख की बात है। इस समय केरल में कांग्रेस की स्थिति डावांडोल है। उसे भय है कि इस समय चुनाव करवाने से वहां कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः मैं समझता हूं कि यदि यह समाचार सच है कि चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं तो यह निर्णय कांग्रेस दल के राजनीतिक हितों को ध्यान में रख कर किया गया है। इससे यह साबित होता कि सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिये राज्य में एक अच्छी सरकार कायम करना नहीं चाहती है। 1962 के आम चुनावों से छः महीने पहले उड़ीसा में भी मध्यकालीन चुनाव करने पड़े। यद्यपि उस समय राज्य की जनता चाहती थी कि आम चुनावों तक मध्यवर्ती चुनाव स्थगित किये जायें किन्तु स्वर्गीय प्रधान मंत्री के कहने पर उड़ीसा में मौसम खराब होने के बावजूद भी मध्यवर्ती चुनाव कराये गये।

सरकार का यह सोचना निराधार है कि किसी दल को बहुमत प्राप्त होने पर ही स्थायित्व कायम किया जा सकता है। स्थायित्व स्थापित करने के लिये प्रशासन का कार्यकुशल तथा ईमानदार होना आवश्यक है। केरल में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था किन्तु फिर भी वह असफल रही। इसकी असफलता का मुख्य कारण प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है।

देश के लिये सरकार का संसदीय स्वरूप स्वीकार किया जा चुका है। पंचायतों से लेकर संसद् तक चुनावों द्वारा सदस्य चुने जाते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि अब केरल में किसी प्रयोगात्मक उपाय को अपनाये बिना ही यथाशीघ्र चुनाव कराये जाने चाहिये। अन्यथा खाद्य स्थिति राजनीतिक रूप ले सकती है जो घातक होगा।

सरकार द्वारा सारे देश से केरल को अनाज भेजे जाने के बावजूद भी राज्य की जनता को जितनी मात्रा में राशन दिया जा रहा है वह न्यूनतम आवश्यकता से भी बहुत कम है। यह आश्चर्य की बात है कि राज्य की उचित मूल्य वाली राशन की दुकानों में चावल एक समान मूल्यों पर नहीं बेचे जा रहे हैं। सरकार बताये कि वहां वितरण व्यवस्था ठीक ढंग से कार्य कर रही है अथवा नहीं।

यह आश्चर्य की बात है राज्य में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर कोई पुल नहीं है। इससे जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार को इस राजपथ पर यथाशीघ्र सड़क पुल बनाने चाहिए।

यद्यपि केरल राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक लोग साक्षर है किन्तु वहां तकनीकी संस्थाओं की कमी है। सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में केरल में अधिक तकनीकि संस्थायें स्थापित करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

Shri Y. S. Chaudhary (Mahendragarh) : Mr. Speaker, a decision has already been taken to hold mid-term elections in Kerala in February-March next year. But the statement given by Shri S. K. Patil few days back created a sort of confusion in public mind in this regard.

We have accepted the democratic set up of Government in this country. Therefore efforts should be made to ensure that elections are held in a democratic manner in every state and Governments in every state should be formed by the members elected by the people.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

The food situation in Kerala is very grave at present. The President's rule in any State can only be regarded successful when problems like that of food etc. are solved smoothly. But it has not proved successful in the case of Kerala. Therefore elections should be held in Kerala without any further delay so that several outstanding problems may be solved in that state.

We could not become self-sufficient in the matter of food even after 17 years of independence. One of the reasons responsible for it is that the agricultural policy of the Government is basically wrong. It is not in the interest of the agriculturists to provide them small pieces of land. The heavy burden on land can be reduced by establishing small-scale industry.

The problems of Kerala can never be solved in a way Government has been adopting. It can only be solved on all India basis and by introducing land reforms there.

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड़) : एक ओर तो सरकार केरल में मध्यवर्ती चुनावों की तारीख घोषित कर चुकी है और चुनाव आयुक्त चुनावों के लिये व्यवस्था करने के हेतु राज्य का दौरा कर रहे है। दूसरी ओर ऐसा कहा जाता है कि केरल में चुनाव कुछ समय बाद तब होंगे जब देश के अन्य भागों में आम चुनाव होंगे। मंत्री महोदय सभा के सामने यह स्पष्ट करें कि इस प्रकार का निर्णय पहले उस

[श्री अ० क० गोपालन्]

समय क्यों नहीं किया गया था जब केरल में साम्यवादी सरकार समाप्त की गई थी। सरकार ने उस समय भी चुनावों को आम चुनावों तक स्थगित करने की बात क्यों नहीं सोची थी। इस समय चुनावों को स्थगित करने का एक मात्र कारण यही हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल को पूर्ण विश्वास है कि यदि इस समय चुनाव कराये गये तो उसकी हार होगी और उसे बहुमत प्राप्त नहीं होगा। सरकार स्पष्ट रूप से बताये कि क्या वास्तव में उसने मध्यवर्ती चुनावों को स्थगित करने का निर्णय किया है अथवा फरवरी में ही चुनाव होंगे, जैसा कि पहले निर्णय किया गया था। यदि मध्यवर्ती चुनाव स्थगित किये गये तो केरल राज्य की बहुत सी समस्याएं बिना सुलझाये ही रह जायेंगी।

सरकार को केरल में तन्नीरमुक्कम बांध की ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए। यदि वह बांध बनकर तैयार हो जाये तो इससे बहुत सी भूमि में सिंचाई की जा सकेगी और उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। किन्तु अभी तक यह बांध पूरा नहीं हो सका है। इस बांध पर केवल पांच-छः लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है जबकि इस समय राज्य के लिये बाहर से अनाज मंगाने पर लगभग 30-40 लाख रुपये खर्च किये जाते हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार इस बांध पर पांच-छः लाख रुपये खर्च क्यों नहीं करना चाहती। इसी प्रकार अन्य कई योजनायें हैं जिनकी ओर सरकार ने तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

जहां तक राज्यपाल के प्रशासन तथा सालाहकारों के शासन का संबंध है, राज्य में इनके कार्य की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। राज्य में एक प्रकार की अराजकता सी फैली हुई है जिससे जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। किसी व्यक्ति द्वारा कोई मामला प्रस्तुत किये जाने पर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उस राज्य के संसद् सदस्यों को वहां के प्रशासनिक मामलों में सलाह देने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति का मुकदमा न्यायालय में चलते रहने के दौरान भी पुलिस द्वारा उसे गैर कानूनी रूप से तंग किया जाता है। सरकार को इन सब मामलों की ओर ध्यान देना चाहिए।

आगामी मध्यवर्ती चुनाव घोषित किये गये समय के अनुसार करवाये जाने चाहिये। यदि चुनावों को वर्ष 1967 में आम चुनावों तक स्थगित किया गया तो राज्य में एक और समस्या पैदा हो जायेगी। चौथी पंचवर्षीय योजना निकट भविष्य में तैयार होने जा रही है जिसमें राज्य के प्रतिनिधियों का राज्य के लिये योजना तैयार करने में किसी प्रकार भी हाथ नहीं होगा।

मुझे डर है कि कोचीन में द्वितीय जहाज निर्माण परियोजना का भी वही हाल होगा जो फाइटो-केमिकल परियोजना का हुआ है। सरकार द्वितीय जहाज निर्माण कारखाने के बारे में पिछले चार वर्षों से यही कहती आ रही है कि जापान तथा अन्य देशों के साथ बातचीत चल रही है। परन्तु अभी तक परिणाम कुछ नहीं निकला। जब तक सरकार इस बारे में कोई आश्वासन नहीं देती तथा उसे कार्यान्वित नहीं करती तब तक हम यही समझेंगे कि यह परियोजना भी एक न एक दिन त्याग दी जायेगी। तेल शोधक कारखाने के प्रस्ताव का भी वही हाल हुआ है। केरल एक समस्या प्रधान राज्य है फिर भी उसके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है। वहां पर कोई भी कारखाना स्थापित नहीं किया जा रहा है।

इस समय चौथी योजना के बारे में विचार किया जा रहा है। केरल की समस्यायें अन्य राज्यों की समस्याओं से कुछ भिन्न हैं। यह कहा जाता है कि केरल में स्थायी सरकार नहीं बन पाई है। परन्तु यह कोई तर्क नहीं है कि जब तक इन समस्याओं के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं कर लिया जाता तब तक साल, छः महीने के लिये वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रहने दिया जाये। एक अन्य तर्क यह दिया जाता है कि चूंकि वहां पर कोई स्थायी सरकार बनने की संभावना नहीं दिखाई देती, इस लिये वहां पर इस समय चुनाव नहीं होने चाहिये। यदि सरकार की यही मंशा है तो उन्हें संविधान में संशोधन कर देना चाहिये कि यदि सत्तारूढ़ दल यह समझता है कि उसके किसी राज्य में चुनावों में जीतने की संभावना नहीं है तो वहां पर कोई चुनाव नहीं होंगे। वर्तमान संविधान के अधीन हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी राज्य में निर्वाचित सरकार के फेल हो जाने पर वहां पर राष्ट्रपति का शासन थोड़े समय के लिये ही लागू

किया जाता है। यदि यह समाचार, कि सरकार केरल में अभी चुनाव कराने नहीं जा रही है, ठीक है तो यह बहुत ही अनुचित बात है। सरकार को इस बारे में तुरन्त घोषणा कर देनी चाहिये कि वहां पर चुनाव कब होंगे। हमें लोगों की इच्छा जानने के लिये भी वहां पर चुनाव तुरन्त कराने चाहिये।

केरल की खाद्य स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वहां की सहकारी समितियों के पास धन नहीं है और इसी लिये वे गेंहू नहीं खरीद सकती हैं। यही कारण है कि वे राशन में गेंहू नहीं दे पा रही हैं। वितरण व्यवस्था बहुत खराब है। कई स्थानों पर लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। कुछ स्थानों पर निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य लिये जाते हैं। सरकार को राज्य पाल द्वारा बुलाई गई खाद्य परामर्श-दात्री समिति के सर्वसम्मति से किये गये निर्णय को मान लेना चाहिये। समिति ने कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू करने तथा सरकार द्वारा अनाज की वसूली किये जाने की मांग की है। सरकार को दो एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से अनाज की वसूली करनी चाहिए। कानूनी राशन व्यवस्था अनाज की वसूली किये बिना सफल नहीं हो सकती।

कृषि श्रमिकों को केरल के कुछ भागों में मजूरी अनाज की बजाय नगद राशि में दी जाती है। इसलिये मेरी खाद्य मंत्री से प्रार्थना है कि जनवरी से उन्हें राशन देना बन्द नहीं किया जाता चाहिये। अन्यथा स्थिति और अधिक गम्भीर हो जायेगी।

केरल राज्य के नान-गजेटेड कर्मचारियों ने अभी एक दिन की हड़ताल की थी। उनकी मांग है कि उन्हें अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों के समान वेतन मिलने चाहियें। सरकार को उनकी उचित मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिये अन्यथा वे हड़ताल करने पर मजबूर हो जायेंगे। केरल के सरकारी तथा गैर-सरकारी अध्यापकों के वेतन भी अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम हैं। उन्होंने भी सरकार को चार महीने पहले से यह सूचना दी हुई है कि यदि उनकी शिकायतें दूर नहीं की गईं तो वे हड़ताल करने के लिये बाध्य हो जायेंगे। सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

एन० एम० आर० के 2000 श्रमिक पिछले पांच दिनों से हड़ताल पर हैं। यदि हड़ताल जारी रही तो काम ठप्प हो जायेगा। उनकी मांगें बहुत सरल हैं और सरकार को उन्हें स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो अन्य उद्योगों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जहां तक परिवहन का प्रश्न है, वैस्ट कोस्ट रोड का केरल वाला भाग अभी पूरा नहीं हुआ है जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाई होती हैं।

मंत्री महोदय को अपने उत्तर में यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि केरल में चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं अथवा नहीं।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : इन मांगोंका केरल के चुनावों से कोई सम्बन्ध नहीं है। केरल में इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए केरल की कोई पार्टी यह दावा नहीं कर सकती कि उसे बहुमत प्राप्त होगा। जहाँ तक केरल की कांग्रेस पार्टी का संबंध है, वह किसी अन्य पार्टी से गठबन्धन जोड़ना नहीं चाहती अपितु वह अपने बल पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। यहां पर संविधान में संशोधन करने की बात कही गई है। परन्तु इस बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि केरल में साम्यवादी सरकार के समय एकमात्र दुख यही था कि वहां पर संविधान का पालन नहीं किया जा रहा था।

केरल की खाद्य स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है। वहां पर सब लोगों को कम से कम छै औंस चावल तो दिया ही जाना चाहिए। चावल की मात्रा बिना विलम्ब बढ़ाई जानी चाहिये। वहां पर अनाज का रक्षित भंडार बनाना बहुत जरूरी है परन्तु वह राशन के कोटे में कमी करके नहीं बनाया जाना चाहिये अपितु ऐसा बाहर से अनाज का आयात करके अथवा किसी अन्य तरीके से किया जाना चाहिये।

[श्री मणियंगाडन]

मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि संसद्-सदस्यों को, यह जरूरी नहीं है कि वे केरल से ही संबंध रखते हो केरल के प्रशासन कार्यों में हाथ बटाना चाहिये। इस समय चौथी योजना तैयार की जा रही है। बहुत सी ऐसी बाते हो सकती है जिनकी ओर वहां के प्रशासन का ध्यान न जाये। इसलिये उनपर विचार करना तथा उन्हें चौथी योजना में सम्मिलित करना जरूरी है।

केरल की समस्या साम्प्रदायिक समस्या नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां की प्रति व्यक्ति आय भारत के अन्य भागों से कम है। यह एक आर्थिक समस्या है अतः हमें इसी दृष्टिकोण से वहां के स्थिति पर विचार करना चाहिये। वहां पर कारखाने खोलना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम वहां पर बेरोजगारी तथा कम आय आदि की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पिछली योजनाओं में केरल की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। फाइटो-कैमिकल कारखाना स्थापित करने का विचार छोड़ दिया गया है। कोचीन में द्वितीय जहाज निर्माण कारखाने के दूसरी योजना में स्थापित किये जाने की संभावना थी परन्तु वर्तमान संकेतों के अनुसार उसके चौथी योजना में स्थापित किये जाने की आशा भी नहीं दिखाई पड़ती।

केरल में अधिकतर वाणिज्य फसलें उगाई जाती है जिनसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। वहाँ पर नारियल की फसल को कोई रोग लग गया है और अभी तक उसका कोई उपचार नहीं किया जा सका है। इसलिये इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

केरल की एक समस्या समुद्र द्वारा भूमि का कटाव भी है। इसे हल करने के लिये बहुत अधिक राशि की आवश्यकता है। राज्य सरकार इतना खर्चा सहन नहीं कर सकती है। इसलिये केन्द्रीय सरकार को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिये ताकि कटाव को रोकने के काम को उचित ढंग से किया जा सके।

श्री शाम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : भूतपूर्व 'ख' श्रेणी के राज्यों के कर्मचारियों को वास्तव में कम वेतन मिलता हैं। इस लिये सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये और जब भी संभव हो उनकी इस मांग को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मुझे मालूम नहीं है कि मंत्रिमंडल द्वारा केरल में चुनाव के प्रश्न पर हाल ही में विचार किया जाता है अथवा नहीं। मंत्रिमण्डल के सामने जो भी प्रस्ताव होगा उस पर यहां पर विचार किया जायेगा और अन्तिम निर्णय इस सदन द्वारा ही किया जायेगा। इसलिये सदस्यों को समाचारपत्रों में छपे किसी समाचार से इतना अधीर नहीं हो जाना चाहिए। जहां तक संविधान में संशोधन करने का प्रश्न है, यदि संविधान में कोई संशोधन करना आवश्यक समझा जायेगा तो उस पर विचार किया जा सकता है। परन्तु उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो संविधान की भावना के विपरीत हो।

जहां तक नौकरशाही शासन का प्रश्न है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमें ऐसा करने में कोई प्रसन्नता नहीं होती। संविधान बनाते समय भी इस पर चर्चा की गई थी परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई चारा ही नहीं था। हमें मजबूरी के कारण ही निर्वाचित सरकार को हटा कर राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ता है। केरल का उत्तरदायित्व इस समय संसद् पर है और हम अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी योग्यता से निभा रहे हैं।

केरल के सामने मुख्य समस्या अनाज की है। यह खेद की बात है कि केरल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। अक्तूबर मास में स्थिति बहुत खराब थी, परन्तु फिर भी सरकार ने वहां लगभग 56,000 -60,000 टन चावल भेजा। इस महीने में वहां लगभग 65,000 टन चावल भेजा जायेगा—यह मात्रा इस आधार पर निर्धारित की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4 औंस तथा नगरीय क्षेत्रों में 6 औंस प्रति व्यक्ति दिया जायेगा। दिसम्बर के अन्त तक वहां पर लगभग 1,16,000 टन चावल भेजा जा चुका होगा और हमें आशा है कि उस महीने के अन्त में केरल प्रशासन के पास लगभग 75,000 टन चावल

बच रहेगा। स्वतंत्र पार्टी के नेता द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आंध्र प्रदेश के बन्दरगाहों पर अधिक टनभार क्षमता के जहाज नहीं जा सकते। दूसरे जहाज भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और चावल आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों से ले जाना होता है। इस समय माल गाड़ियों द्वारा अनाज ले जाना ही उचित होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार केरल को दिये गये अपने वचन को पूरा करने में समर्थ होगी।

श्री गोपालन ने सुझाव दिया है कि वहां पर अनाज की वसूली की जानी चाहिये। उन्होंने कहा है कि लगान (लेवी) तथा वसूली दो भिन्न चीजें हैं और उन्हें एक नहीं समझा जाना चाहिये। उनके इस सुझाव पर विचार किया जायेगा जहां तक कानूनी राशन व्यवस्था लागू करने का प्रश्न है, कठिनाई केवल यह है कि हम इस उत्तरदायित्व को पूरा भी कर सकेंगे अथवा नहीं। फिर भी मुझे विश्वास है कि खाद्य मंत्री इस पर अवश्य विचार करेंगे।

यह सुझाव भी दिया गया है कि राशन की मात्र में वृद्धि की जावे। शारीरिक काम करने वाले व्यक्तियों विशेषकर पत्तनों पर काम करने वाले श्रमिकों, को कुछ अधिक राशन दिया जाता है। परन्तु सरकार के लिए निकट भविष्य में 12 आंस चावल तथा चार औंस गेहूं देना संभव नहीं है। क्योंकि हम इस समय बाहर से चावल मंगाने की स्थिति में नहीं है और नही इस समय चावल उपलब्ध है। यदि हम राशन व्यवस्था का वचन दे देते है तो हमें गेहूं ही अधिक मात्रा में देना पड़ेगा क्योंकि गेहूं उपलब्ध करना संभव है।

श्री अ० क० गोपालन : केरल में 12 लाख टन चावल पैदा होता है। यदि उसमें से कुछ मात्रा लगान (लेवी) अथवा वसूली के रूप में प्राप्त कर ली जाये और केन्द्र वचन दी हुई मात्रा भेज दे, तो चावल के राशन में वृद्धि की जा सकती है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : केरल में अतिरिक्त माल की खपत करने के बारे में मेरे सहयोगी विचार करेंगे ताकि हम हर वस्तु को आयात करने के ओर से मुक्त हो सकें। जैसा कि मैंने कहा, मैं नही चाहता कि लोगों जनता को अकारण भय दिखायें। हम जानते हैं कि हमारे देश में हर व्यक्ति के लिये चावल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, और हम गेहूं का भी आवश्यकतानुसार आयात कर सकते हैं। किन्तु वितरण पद्धति में कहीं पर त्रुटि है जिससे यह गड़बड़ होती है। जहां तक केरल का प्रश्न है, हर सुझाव पर विचार किया जावेगा और उचित सुझावों को यथा सम्भव स्वीकृत किया जायेगा। जहां तक वर्तमान आश्वासनों का सम्बन्ध है हमें यकिन है कि हम उन्हें पूरा करेंगे।

माननीय सदस्य ने मूल्यों के विषय में भी चर्चा की। मूल्यों में अन्तर अवश्य है। सस्ती दुकान व अन्य अनाज को आम दुकान में एक ही किस्म के चावलों के मूल्य में अन्तर होता है। चूंकि अनाज की दुकान सबके लिये होती है किन्तु सस्ती दुकान केवल समाज के उन व्यक्तियों के लिये होती है जो कि ऊंचे मूल्य पर क्रय नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूँ कि सरकार स्थिति के प्रति पूर्ण जागरुक है। मैं दो एक बातों पर प्रकाश डालूंगा। छात्र एवं अध्यापकों का प्रश्न भी लाया गया था, सरकारी कॉलेजों में 1963-64 में लगभग 10,252 और गैर सरकारी कॉलेजों में 46,231 छात्र थे। 'एस. एस. एल. सी.' परीक्षा के परिणाम स्वरुप 1964 में 59,884 छात्र कालेज-शिक्षा के लिये उपयुक्त घोषित किये गये फलतः स्थिति गम्भीर हो गई। सरकार ने स्वयं एक कालेज कालीकट में खोल दिया है और लगभग 32 और नये कालेज खोलने की अनुमति दे दी है। हो सकता है कि केरल में अध्यापकों का वेतन कम हो किन्तु यह वेतन केरल में अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के अनुरुप है। वहां पर स्थानीय वेतन क्रम प्रायः एक समान हैं। अध्यापकों, अराजपत्रित (नॉनगजटेड) पदाधिकारियों आदि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में भी हम राज्य सरकार से पत्रव्यवहार कर रहे हैं। सामान्यतया राज्य आय-व्ययक का लगभग 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा व उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों में व्यय की जानी चाहिए, किन्तु एक ही समय पर हर वस्तु के लिये व्यय वहन करना बहुत कठिन होता है।

जहां तक औद्योगीकरण का प्रश्न है, मेरा यकीन है कि जहाज निर्माण कारखाने के बारे में हमारी जापान के साथ चल रही वर्तमान वार्ता में हमें सफलता मिलेगी, वीज़ाग में हम से जो गलती हुई है, कोचीन

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

अथवा केरल के अन्य किसी भाग में हम उसे फिर नहीं दुहारना चाहते हैं। हमें एक जहाज निर्माण कारखाने की आवश्यकता है जो कि आर्थिक दृष्टि से कम खर्चीला हो। यदि हमें इस सम्बन्ध में सहयोग प्राप्त हो जाता है तो हम शीघ्र ही इस मामले में कार्यवाही आरम्भ कर देंगे।

फोटो केमिकल्स की भी चर्चा की गई है। इस सम्बन्ध में 12 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं किन्तु इस परियोजना में सफलता मिलना अति कठिन है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से यह बहुत खर्चीली है। अतः व्यय की गई उक्त धनराशि का उपयोग किसी अन्य परियोजना को चालू करने में किया जायेगा।

जहां तक बिजली व शोधकशालाओं का सम्बन्ध है, योजना के क्रियान्वित होने के बाद केरल में बिजली की स्थिति बहुत सन्तोषजनक हो जायेगी। वर्तमान में केरल में स्थापित क्षमता 92.5 मेगावाट है। अगले वर्ष शोलायर उत्पाद और सवेरिगिरी परियोजना के दो एकक चालू किये जायेंगे जिनकी क्षमता क्रमशः 54 मेगावाट व 100 मेगावाट होगी जिससे वहां की स्थापित क्षमता बढ़कर 346 मेगावाट हो जावेगी। केरल में कुछ कारखाने हैं जिन्हें अप्रैल में बिजली नहीं मिलती है। अतः मैं अपने सहयोगी, सिंचाई और विद्युत मंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि वह कोचीन के निकट 100 मेगावाट का एक तापीय विद्युत घर (थर्मल स्टेशन) स्थापित करें चाहे उसके लिये हमें अधिक ही व्यय वहन करना पड़े। इससे वहां बिजली की हमेशा सप्लाई हो सकेगी और सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी कारखाने निर्माणकार्य करते रहेंगे। इस विषय पर हम बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनके बारे में मैं प्रकाश नहीं डाल पाया हूं। अतः माननीय सदस्य क्षमा करेंगे। हम वाद-विवाद के वास्तविक क्षेत्र से बाहर जा चुके हैं। जहां तक प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है ; मैं अवश्य ही इन मामलों पर विचार करूंगा। भारत सरकार ऐसे मामलों में उदासीन नहीं रह सकती है और वह इस सम्बन्ध में जागरुक है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 1, 7 से 16 तथा 18 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्विकृत हुए।

Cut motions Nos. 1, 7 to 16 and 18 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1964-65 के लिए केरल राज्य सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands for supplement Grants in respect of the state of Kerala for the year 1964-65 were put and adopted:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
10	जिला प्रशासन तथा विविध	100
13	पुलिस	100
16	विश्वविद्यालय शिक्षा	100
17	सामान्य शिक्षा	2,00,000
19	चिकित्सा	100
20	लोक-स्वास्थ्य	5,00,100
27	उद्योग	5,00,000
29	श्रम और रोजगार	100
31	आंकड़े तथा विविध	74,000
45	सहकारी समितियों तथा औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	12,50,100
47	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	5,000
55	सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	100

(25 सितम्बर को प्रस्तुत कि गई)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1964-65 के लिये केरल राज्य सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for supplementary Grants in respect of the State of Kerala for the year 1964-65 were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रूपये)
16	विश्वविद्यालय शिक्षा	100
17	सामान्य शिक्षा	200
25	पशु पालन	6,88,000
33	लोक-निर्माण कार्य	100
47	लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	200
48	अन्य निर्माणकार्यों पर पूंजी परिव्यय	100
55	सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	2,50,000

(२४ नवम्बर को प्रस्तुत की गई)

अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अध्यादेश 1964 के बारे में संविहित संकल्प तथा अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION REGARDING ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1964 AND ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रम्हण्यम) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बड़े को पहिले संकल्प प्रस्तुत करने दीजिये ।

श्री बड़े (खारगोन) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 5 नवम्बर, 1964 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) अध्यादेश, 1964 (1964 का संख्या 3) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : श्रीमान्, मैं यह तीसरी बार बोलने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे आशा है कि अब मुझे अनुमति मिल जावेगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 और दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[श्री चि० सुब्रम्हण्यम]

यह विधेयक राष्ट्रपति के 5 नवम्बर 1964 को लागू किये गये अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है। इस मास के अन्त तक उस अध्यादेश की अवधि समाप्त होने वाली है। इससे पूर्व कि मैं विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहूं मैं सामान्यत: खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस वर्ष के मध्य से ही सामान्य जनता का विचार है कि व्यापारी लोग तथा विचौलियों ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं कर रहे। उन लोगों के व्यवहार के कारण ही मूल्य सामान्य स्तर पर नहीं आ रहे हैं। राज्यों के मुख्य मंत्रियों के समक्ष भाषण देते हुए 16 अक्तूबर 1964 को प्रधान मंत्री ने कहा था कि व्यापारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। और जो लोग निर्धारित कीमतों से अधिक लेते हैं तथा नियन्त्रणों को सफलता पूर्वक कार्यान्वित किये जाने को सफल नहीं होने देते, उन्हें सजायें दी जानी चाहिए। उनके मामलों का निपटारा संक्षिप्त जांच अथवा सुनवाई करके ही कर देना चाहिए।

अध्यादेश प्रख्यापित करने तथा उसके स्थान पर, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम में धारा 12 क, तथा अपराध विधि संशोधन अधिनियम 1952 में धारा 8क जोड़ कर, वर्तमान विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि प्रथम श्रेणी के दण्डाधेश, जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष अधिकार दिये गये हैं, अथवा प्रेजीडैन्सी मजिस्ट्रेट के लिए, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप वाले लोगों की जांच करने के लिये, अपराध प्रक्रिया संहिता में निर्धारित संक्षिप्त जांच प्रक्रिया को अपना लेना अनिवार्य होगा। स्थिति ऐसी है कि सरकार खाद्य कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ा दंड देना जरूरी समझती है, इसी विचार से इस विधेयक के अन्तर्गत यह स्पष्ट व्यवस्था करने का उपबन्ध है कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा एक वर्ष से भी अधिक अवधि का कारावास का दंड दिया जाना वैध होगा। वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत यह उपबन्ध किया गया है कि एक मास तक के कारावास अथवा 2000 रुपये तक जुर्माने तक अथवा दोनों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध यदि खाद्य विधियों के अन्तर्गत अपराधों को उकसाने अथवा किसी अन्य प्रकार के आरोप हो तो उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जायेगा। अत: इसके लिए भी उसी प्रकार का उपबन्ध किया गया है और इसके लिए धारा 8क को जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपातकाल में सरकार को स्थिति का मुकाबला करने के उद्देश्य से सख्त कार्यवाही करने के लिए अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त अधिकार प्राप्त है। परन्तु यह भारत सुरक्षा अधिनियम एवं तत्सम्बन्धी नियम तो अस्थायी हैं। अत: उन नियमों में परिवर्तन करने के स्थान है यही ठीक समझा गया कि अत्यावश्यक पण्य अधिनियम जैसी स्थायी संविधा में परिवर्तन किये जाय।

इसके अतिरिक्त नये उपबन्धों के अन्तर्गत, जो अध्यादेश में नहीं है, सरकार को आदेश के अन्तर्गत अपराधों की जांच के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाने के प्रयोजनार्थ विशेष आदेश के रूप में काम करने के लिए और एक स्पष्ट आदेश का उल्लेख करने के लिये अधिसूचना जारी करनी होगी। इस लिए यह नियम बनाने का प्रस्ताव है कि जिन मामलों में कथित तिथि से पूर्व गवाहों की जांच न की गयी हो, उनकी संक्षिप्त जांच की जायेगी, यदि किसी मामलों में गवाहों का परीक्षण हो चुका है तो इस विशिष्ट मामले में संक्षिप्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

इसके साथ ही नये कानून की कड़ाई को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार है कि इस की काल अवधि निर्धारित होनी चाहिए। इस विधेयक में उपबन्ध है कि नये उपबन्ध 31 दिसम्बर, 1966 तक ही लागू रहेंगे। इसके अतिरिक्त एक विशेष उपबन्ध यह भी किया गया है कि नये उपबन्ध के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना को जिस में जांच के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया को लागू करने के प्रयोजनार्थ विशेष आदेशों का उल्लेख किया गया है। उसके जारी किये जाने के तुरन्त पश्चात संसद की दोनों सभाओं के सम्मुख रखा जायेगा। ऐसा करने से खाद्य वस्तुओं तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्धित व्यापार एवं वाणिज्य के विनियमन तथा मूल्यों के नियन्त्रण के लिये मूलभूत कानून में जो नये उपबन्ध किये जा रहे है, उनकी कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में संसद को सूचना मिलती रहेगी।

मैं इस बात की सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक के उपबन्धों पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Bade (Khargone) : Resolution, which I have moved is against the the Ordinance. I am of the opinion that there was no need of any ordinance of this type. I am not against the objects and reasons of the Bill as put forward by the honourable Minister. One thing is clear that anti-social element who want to make hay while the nation is in trouble should be given the severe possible punishment. Administration has tried to throw the responsibility on the shoulders of others. By issuing this ordinance Government want to demonstrate that it is doing everything possible to control the situation. Congress Government is very apt to give such shocks and try to divert the minds of the people who are appressed due to the food shortage. By issuing such an ordinance Government tried to before the people.

It has been stated that as the provisions of Defence of India Act and Rules, 1962 were temporary and liable to lapse in the revocation of proclamation of Emergency, it was considered advisible to effect amendments in permanent statutes, namely, the Essential Commodities Act 1955 and the Criminal Law Amendment Act 1952.

People of this Country are feeling that Congress Government is not going to end this present Emergency and the talk of its revocation seems to be false. People have began to feel that if emergency is not coming to an end what was the necessity of issuing this Ordinance.

Then comes the argument, that many traders and dealers are indulging in black marketing, they should be dealt with properly. For that the ordinance was necessary. Now the Government are making them accused, but as a matter of fact the fault lies with the Government. Their plan have not helped in increasing the production. I am quite confident that Government will be impeached by the people. Responsibility of all those who died of Starvation lies with the Government. Time is coming when Government will have to face the people.

Madhya Pradesh is a Surplus State and there was no such thing as it happened in Kerala. But the Sugar Situation was very bad. There were 142 cases. The notification regarding the movement of grains was not published in the State Gazette until I publicly demanded for its publication. The notification of dated 27th November 1964 are being placed on the Table today the 8th December 1964 by the Minister of food and Agriculture. This is how our Government are carrying on.

There is no use complaining against the traders. The rise in prices is due to the principle of supply and demand. It was stated by the Government that within the Third Five year plan, the agricultural production will have 30 per cent increase and 70 per cent in industrial production. Nothing has been done, and result has been the inflation. Our Government is resorting to deficit budget. Then who is at fault.

Now traders have no grains and they are willing to leave this trade. They say that we have to face several humiliation in this trade. The provision has been made in the Bill that traders cases will be decided by Summary trial and appeal

[Shri Bade]

will not be allowed. Why this ? This attitute of the Government is vindictive and revengeful. Administration has not got a clear conscience in this matter. According to Criminal Procedure Code only three months imprisonment is given in summary trial, but here the punishment is raised to one year. Similarly there is no appeal for the punishment of one month and the fine of Rs. 2,000. With these methods Government wants to maintain law and order.

It has been stated that Special Magistrate will be appointed and they will try the cases. But I may stress that only those persons should be appointed the magistrate who have got the experience of at least ten years. I have seen for the last thirty years that the people do not get justice by summary trial. So many minor offences will also come under the summary trial. I don't think people will be able to get justice by this method of summary trial.

Today we find that there is corruption everywhere from top to bottom. The deterrant punishment of this type will finish the incentive in man. I strongly oppose this measure.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं श्री बड़े के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और अध्यादेश के स्थान पर जो विधान बनाया जा रहा है उसका विरोध करता हूँ। अध्यादेश और विधेयक यह बताता है कि किस प्रकार प्रगति करने के स्थान पर हमारा देश अवनति की ओर जा रहा है। यह विधेयक न्याय लोक तंत्र इत्यादि सभी प्रकार के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इस वर्ष में कई इस प्रकार के गलत विधान पारित हुए है। वर्तमान अध्यादेश तथा विधेयक में संक्षिप्त जांच अथवा सुनवाई की व्यवस्था है, चाहे अपराध बड़ा है अथवा छोटा।

इस बारे में मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि व्यापारियों को यदि छोटे छोटे, तकनीकी प्रकार के अपराधों के लिए कठोर दंड दिये गये तो इससे वैध व्यवसाय करने के अधिकार को खतरा पैदा हो जायेगा। नयी धारायें ठीक है परन्तु विधिशासन के अनुसार किसी व्यक्ति की जांच उचित ढंग से की जानी चाहिए और उसके बिना किसी भी व्यक्ति को एक रुपया जुर्माना अथवा एक दिन की कैद की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। बहुत गम्भीर तरह के अपराधों तथा छोटे छोटे तकनीकी अपराधों में किसी प्रकार का अन्तर न करके सभी मामलों के लिए संक्षिप्त जांच का उपबन्ध कर देना सर्वथा अन्याय वाली बात है। इसके अतिरिक्त अपील करने का अधिकार भी लोगों को होना चाहिए। मेरा तो यह मत है कि अपील का अधिकार न देने के कारण संविधान में दिये गये व्यक्ति की स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारों से सम्बन्धित उपबन्ध बिलकुल निरर्थक हो जायेंगे। जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता उसे दोषी अथवा अपराधी नहीं कहा जा सकता। इससे तो बन्दी प्रत्यक्षीकरण की बात भी गलत हो जाती है।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सभी मामलों में संक्षिप्त जांच करने का उपबन्ध सर्वथा अनुचित है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अपील करने का भी अधिकार होना चाहिए। अपील का अधिकार न दिये जाने से संविधान में दिये गये व्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकारों से सम्बन्धित उपबन्ध निरर्थक हो जाते है। इसके साथ ही इस संदर्भ में विधान में 'खाद्य-पदार्थ' 'व्यापारी' तथा 'विक्रेता' जैसे शब्दों की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए थी, ताकि इनके बारे में किसी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश न रहती।

विधेयक में छोटे छोटे अपराधों, तकनीकी अपराधों तथा मूलभूत अपराधों में कोई अन्तर अवश्य रखा जाना चाहिए। मैं यह महसूस करता हूँ कि जनता को इस बात का मद है कि ईमानदार, मेहनती,

छोटा व्यापारी वर्ग वर्तमान विधान के परिणाम स्वरूप व्यापार क्षेत्र से निकाल दिया जायेगा। विधेयक के कारण उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक निर्बाध रूप से खाद्यान्न पहुँचने में भी बाधा आयेगी। सामूहिक रूप से मैं यह महसूस करता हूँ कि विधेयक आवश्यक रूप में बड़ा कठोर है।

अध्यादेश से संबंधित विवरण में केवल क्षिप्र परीक्षणों के उपबन्धों का ही ज़िक्र किया गया है परन्तु इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कुछ मामलों में अपील का अधिकार नहीं होगा। इसको क्यों दबाया गया है ? यह बात स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिये थी कि अपील का अधिकार नहीं होगा ।

विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया हैं कि यह विधेयक भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा।

विधेयक को देखने से पता चलता है कि केवल कुछ विशेष आदेशों के उल्लंघन के मामलों में परीक्षण का एक विशेष तरीका अपनाया जायेगा और अपील का अधिकार नहीं दिया जायेगा।

अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम की संबंधित धारा के अन्तर्गत समय समय पर कुछ विशेष अधिसूचनाओं को निकाल लिया जाता है और इस विशेष प्रयोजन के लिये विशेष अधिसूचना के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है। मुझे बताया गया है कि खाद्य पदार्थों, खाद्य तेलों से संबंधित सभी अधिसूचनाएं पहले भी इसी रूप में अधिसूचित की जा चुकी हैं और हर बार इस मामले को सामने रखने में सारभूत तथ्य को छिपाया जाता है।

मैं पूछना चाहता हूँ कि खाद्यपदार्थों की क्या परिभाषा है। ज्यों ही शीघ्र अदालती जांच (समरी ट्रायल) निम्नतम दण्ड, अपील के अधिकार से वंचित रखने का मामला आता है तो यह प्रश्न पैदा होता है कि वास्तव में अपराध का निश्चित स्वरूप क्या है। इसलिये खाद्यपदार्थों की परिभाषा का होना बहुत ही आवश्यक है।

जमाखोरी, सट्टे तथा मुनाफाखोरी की यदि कोई परिभाषा है तो वह क्या है। ऐसे खराब विधान के अन्दर इन परिभाषाओं का होना बहुत आवश्यक है। व्यापारी की परिभाषा क्या है। यदि कोई काश्तकार या खेती करने वाला मूल्य बढ़ने तक अपनी उपज को रोक लेता है तो उसका क्या होगा ? मैं ने यह देखा है कि किसान की आर्थिक हालत की एक बड़ी बात यह है कि अपनी उपज को अधिक समय तक रोके रखने के लिये उसकी क्षमता बहुत सीमित है। फसल के शीघ्र पश्चात ही वह अपनी पैदावार को बाजार में बेच देता है और करों, ऋण, किराये आदि का भूगतान कर देता है। इस प्रकार उसकी दशा में सुधार नहीं हो पाता है। अनेक बार कानूनों द्वारा उसकी दशा में सुधार करने का प्रयत्न किया गया है परन्तु उसमें कोई सफलता नहीं मिली है।

अब इस विधेयक के अन्तर्गत उस काश्तकार का क्या होगा जो यह कहता है कि मैं अब नहीं बेचता, मैं तो बाद में मूल्यों के बढ़ने पर बेचूंगा। क्या वह व्यापारी बन जाता है ? यदि नहीं तो फिर व्यापारी की परिभाषा क्या है ? क्या वह सट्टाखोर या मुनाफाखोर है ? क्या उसको इस प्रकार के कड़े दण्ड दिये जा सकते हैं।

फिर छोटे अपराधों, तकनीकी अपराधों और पर्याप्त अपराधों में कोई भेद नहीं है। परन्तु, इस प्रकार के विधानों में इन सब की परिभाषाओं का होना बुनियादी चीज़ है।

छोटे व्यापारियों पर, जो सदियों से व्यापार करते चले आ रहे हैं और अपने परिवारों का पेट पालते चले आ रहे हैं, इस विधेयक का बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब अचानक उन से यह कहा जाता है कि वे बेईमान हो गये हैं, अपराधी हो गये हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या काफी बड़ी है और

[श्री नारायण दांडेकर]

उनके मनों में अभी से यह अध्यादेश भय पैदा कर रहा है। मेरा विश्वास है कि अनाज के काश्तकार से थोक व्यापारी तक और बिचोलिये व्यापारी से खुदरा व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं तक खुल्लम खुल्ला आने जाने पर भी बुरा असर पड़ेगा। इस प्रकार का विधान केवल ऐसे समय में ही बनाना उचित है जब कि कोई संकट आया हो या ऐसी हालत केवल थोड़े समय तक ही हो। यह हालत तो 10-15 वर्षों से चल रही है और इसका कारण है गलत योजनाओं का बनाना। हमने अपनी योजनाओं में केवल भारी इंजीनियरिंग और सागरी क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं पर ही अधिक ज़ोर दिया है। ऐसे भूमि सुधार किये गये हैं जिनका परिणाम ठीक नहीं निकला है। और सब से विचित्र बात जो हुई है वह है खण्ड पद्धति का जारी किया जाना। एक राज्य से दूसरे राज्य और यहां तक कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में खाद्य लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। ऐसे प्रतिबन्ध तो उस समय भी नहीं लगाये गये जब कि भारत में कितने ही छोटे छोटे राज्य थे। और फिर यह तो संविधान में भी दिया गया है कि आन्तरिक व्यापार पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाना, जब तक कि यह लोक हित के लिये नहीं हो, असंवैधानिक है। और जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ये लोक हित में नहीं हैं। सरकार द्वारा उत्पन्न की गईं परिस्थितियों से आन्तरिक व्यापार में गड़बड़ी पैदा हुई है, और अब वह उसके लिये बलिका बकरा ढूंढती है। पिछले कुछ महीनों से सरकार देश भर में छापे मार कर नमायशी काम कर रही है और इस प्रकार के विधान अधिनियमित कर रही है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उसका न्यायालय से विश्वास उठ गया है या उन्हें न्यायालय से अधिकाधिक डर लगता है। यह सरकार प्रशासन व्यवस्था और मामलों की जांच करने की प्रणाली में भी विश्वास खो बैठी है। इन कारणों से यह प्रस्तावित विधान सर्वथा अनावश्यक, असभ्य, जंगली और क्रूर है।

श्री अ० चं० गुह (बारासाट) : 5 नवम्बर, 1964 को अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने के परिणामस्वरूप इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है। उस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के कारण उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में दिये गये हैं। पिछले कुछ महीनों में खाद्य के मूल्य लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गये हैं। बाज़ार में खाद्य की बड़ी कठिनाई हो गई है और घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इस में कोई सन्देह नहीं कि मौसम खराब होने के कारण खाद्य की उपज में कमी रही है परन्तु सम्भरण में कमी और खाद्य के बढ़े हुये मूल्य केवल मौसम की खराबी के कारण ही नहीं हैं। सरकार भी इस के लिये इसलिये उत्तरदायी है कि उसने आरम्भ में ही इस बारे में कड़े और प्रभावशाली उपाय नहीं किये और आज साधारण मनुष्य के लिये जीवित रहना भी कठिन हो गया है। साधारण मनुष्य के लिये दूसरी ओर से बड़े बड़े भाषण सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। साधारण मनुष्य के लिये आजकल से अधिक बुरी स्थिति कभी भी नहीं हो सकती। उसे खाद्य के लिये बहुत अधिक दाम देने पड़ते हैं और घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है। वह अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा का ध्यान नहीं रख सकता। इस स्थिति के लिये बेईमान व्यापारी उत्तरदायी हैं। बड़े व्यापारियों की बेइमानी के कारण छोटे व्यापारी भी बेईमान हो गये हैं क्योंकि इन्हें बड़े व्यापारियों से ही खाद्य बढ़े हुए भावों पर क्रय करना पड़ता है।

जहां तक कि इस अध्यादेश का सम्बन्ध है इसे जारी करने का पूर्ण औचित्य है। परन्तु माननीय मंत्री ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि स्थिति में सुधार करने के लिये उन्होंने पिछले एक मास में इस अध्यादेश का कितनी बार प्रयोग किया। यह सभा, सरकार को देश की इस समाज-विरोधी और दुष्ट समस्या को दूर करने के लिये शक्ति देती है परन्तु यदि सरकार उचित और प्रभावशील तरीके से उस शक्ति का प्रयोग न करे तो सरकार का भी इसमें कुछ दोष हो सकता है। कुछ दिन पूर्व **"योजना"** में, जो एक सरकारी प्रकाशन है, छपा था कि गृह-मंत्री कहते हैं कि हमें पता है कि प्रशासन को क्या करना चाहिये परन्तु हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और योजना पर ठीक अमल नहीं होता। और इस के लिये कड़े कदम उठाये जाने चाहियें। इस प्रकार गृह मंत्री ने सरकार की असफलता मानी है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार को यह शक्तियां दी जायें

परन्तु सरकार को इन शक्तियों का प्रयोग बड़े और प्रभावशाली तरीके से करना चाहिये। आज सारे देश भर का व्यापार कुछ व्यापारियों के हाथ में आ गया है और वे उपभोक्ता वस्तुओं के मनमाने दाम ले रहे हैं। सरकार की नीतियों और आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है। अभी अभी हमने विधि के शासन के बारे में सुना है। परन्तु विधि का शासन यह नहीं है जो आज देश के व्यापारियों में चल रहा हैं। क्या हम अपने देश में ऐसी स्थिति को और सहन कर सकते हैं जहां विधि का शासन न हो बल्कि जंगल का शासन हो? मूल अधिकारों और नैसर्गिक अधिकारों तथा न्याय का प्रश्न उठाया गया है। किसी व्यक्ति या जाति का पहला मूल अधिकार जीवित रहने का अधिकार है। हमारे सामने आज यहीं प्रश्न है कि हम जीवित रह सकते हैं या हमें यह समाज विरोधी तत्व समाप्त कर देंगे। खाद्य को अपमिश्रित किया जाता है और बेबी फूड के लिये मनमाने दाम लगाये जाते हैं और इस के बावजूद भी हम साधारण मनुष्य के नाम पर यह दलीलें सुन रहे हैं कि सरकार इतनी शक्तियां न ले। इसके लिये कड़े उपाय करने ही होंगे। कलकत्ता में एक लाख बेबी फूड के टिन पकड़े गये थे। आशा है कि माननीय मंत्री सभा को बतायेंगे कि उन टिनों और बोतलों का क्या हुआ। सभा को ज्ञात ही है कि पश्चिम बंगाल में खाद्य की समस्या बहुत कठिन है परन्तु इसके बावजूद भी बंगाल सरकार इस बारे में संतोषजनक प्रबन्ध कर रही है। परन्तु मुझे डर है कि केन्द्रीय सरकार उसे आवश्यक सहायता नहीं दे रही है। मुझे बताया गया है कि जब बंगाल सरकार ने मूल्य निर्धारित करने थे तो उसे इसके लिये अत्यावश्यक पण्य अधिनियम का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई और उसे इस हेतु एक स्थानीय अधिनियम बनाना पड़ा था। मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उन्हें अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन मूल्य निर्धारित करने की अनुमति क्यों नहीं दी?

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : किन वस्तुओं के मूल्य ?

श्री गुहा : खाद्य के।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : यह कब हुआ ?

श्री अ० चं० गुह : कुछ माह पूर्व जब वह खाद्य तथा कृषि मंत्री नहीं थे। वर्तमान अधिनियम में सम्पत्ति जब्त करने के बारे में उपबन्ध अधिक प्रभावकारी नहीं हैं, क्योंकि उनको न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है। न्यायालय के मापदंड वर्तमान स्थिति के लिये पर्याप्त नहीं हैं। अतः सम्पत्ति की जब्ती के बारे में सरकार को इस विधेयक में अधिक अधिकार मिलने चाहिये। शीघ्र अदालती जांच के बारे में उपबन्ध में यह दिया है कि यदि दण्ड एक मास के कारावास या 2,000 रु० के जूर्माने से कम है तो उसकी अपील नहीं होगी। इसका वांछित प्रभाव नहीं होगा क्योंकि इतना जूर्माना देना उनके लिये कठिन नहीं है और जेल में भी उनको सब सुविधायें प्राप्त होने की आशा है। अतः इस उपबंध में 6 महीने का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदण्ड होना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैने दो दफा घंटी बजा दी है।

श्री अ० चं० गुह : मै समाप्त कर रहा हूं। आवश्यक वस्तुओं न मिलनेकी पहले ही आशंका है। क्योंकि इनका व्यापार व्यापारियों के हाथ में है। सरकार को ऐसे पूर्वोपाय करने चाहिये कि यह वस्तुओं का संभरण रूकने न पावे। सरकार को यह अपने हाथ में लेने का भी प्रयत्न करना चाहिये। मैं इस विधेयक की सराहना करता हूं और यह आशा करता हूं कि सरकार इसके उपबन्धों को निष्ठुरता से और प्रभावकारी ढंग से लागू करेगी।

श्री शं० शा० मोरे : (पूना) : मैं मिश्रित भावना से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। श्री दांडेकर ने इसकी आलोचना करते हुये कहा है कि यह एक बर्बर विधेयक है। कुछ समय से व्यापारी मिलावट, मुनाफाखोरी और जमाखोरी कर रहे थे, वह असभ्य मनुष्यों की तरह आचरण कर रहे थे। अतः सरकार को भी इन लोगों के लिये बर्बर विधेयक लाना पड़ा। अब तक विरोधी सदस्यों का सरकार के विरुद्ध यह आरोप था कि वह व्यापारियों से नरमी से पेश आ रही है अब सरकार ने अपनी भूल का अनुभव करके इसके लिये विधान बना दिया है तो विरोधी सदस्य इसे बर्बर विधान का रुप दे रहे हैं। श्री दांडेकर उन्हीं व्यापारियों के समर्थन में बोले जो इस खाद्य संकट के लिये उत्तरदायी हैं। इस खाद्य संकट के लिये सरकार को नहीं अपितु उन व्यापारियों को दोष देना चाहिये जो खाद्य पदार्थों में कूड़ा और जहर मिलाते हैं; जो जमाखोरी कर रहे हैं। सरकार को जो दोष दिया जा सकता है वह यह कि उन्होंने व्यापारियों को प्रसन्न करने की नीति को बहुत अधिक समय तक अपनाया। परन्तु इस विधेयक से पता चलता है कि अब उन्होने इस नीति को त्याग दिया है। जब सरकार गज़ेट में इसके बारे में सूचना प्रकाशित करेंगी तो गांवों में छोटे छोटे उत्पादकों को इसके बारे में पता नहीं लगेगा और वह अनजाने में कोई अपराध कर बैठेंगे। कानून की बारीकियों को देखते हुये यह अपराध हो सकता है परन्तु जानबूझ कर यह अपराध नहीं किया गया।

[डा. सरोजनी महिषी पीठासीन हुई]
[Dr. Sarojini Mahishi in the Chair]

ऐसे अपराध के लिये कुछ कम सज़ा होनी चाहिये। एक मास के कारावास का दंड, बिना अपील के, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 के अनुरुप नहीं है। यह धारा शीघ्र अदालती जांच के बारे में है। अतः इस उपबन्ध में दण्ड को एक मास से बढ़ा कर तीन मास कर देना चाहिये। यह उपबन्ध ब्रिटिश सरकार ने कई वर्ष पहले बनाये थे। अतः श्री दांडेकर को इसके लिये वर्तमान सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिये।

डा० मा० श्री० अणे : श्री दांडेकर का विचार यह है कि जब यह उपबन्ध पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता में है तो सरकार को इसको बनाने की क्या आवश्यकता है।

श्री शं० शा० मोरे : मेरी प्रार्थना यह है कि दण्ड को बढ़ा कर तीन मास कर दिया जाय जिससे इसपर अपील की जा सके और 2,000 रुपये का जूर्माना समृद्ध व्यापारियों के लिये बहुत कम है। छोटे उत्पादकों के बचाव के लिये भी कुछ उपबन्ध करना चाहिये। जैसे, सरकार आदेश जारी करती है कि कोई भी किसान भूमि को खाली न छोड़े; यदि उसके पास जोतने के साधन न हुये तो उस पर इस अधिनियम का दुरुपयोग समझा जायगा। ऐसे मामलों में कठोर दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये। अतः सरकार को विधेयक का संशोधन कर देना चाहिये।

श्री यलमंदा रेड्डी (मारकापुरा) : यद्यपि मै इस विधेयक का समर्थन करता हूं फिर भी खाद्यान्न के मामले में सरकार की खोखली नीति को सभा के सामने लाना चाहता हूं। देश में खाद्य की स्थिति बहुत शोचनीय है। लोगों को एक किलो चावल के लिये घंटों लाईन में खडा रहना पड़ता है। सरकार इस सब को जानते हुये आवश्यक उपाय करने चाहिये थे। केरल में भी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, और मंत्री महोदय ने अपनी भूल स्वीकार कर ली थी। मेरे विचार में मंत्री महोदय को यह विधेयक बहुत समय पहले लाना चाहिये था। स्वतन्त्र और जन संघ दल के लोग इसका विरोध मूल अधिकारों और न्याय-शास्त्र के आधार पर कर रहे हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं यदि व्यापारी मनमाने मूल्य पर बेचें। श्री दांडेकर के आवेगपूर्ण भाषण को मैने ध्यानपूर्वक पढ़ा। उन्होने खाद्य के अभाव से पीडित जनता के लिये कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और उन व्यापारियों

के विरुद्ध कुछ नहीं कहा जो चोरबाजारी करते हैं। मुझे उनके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह यहां व्यापारियों की रक्षा के लिये हैं। सरकार अधिनियम तो बहुत से बना देती है, परन्तु उनको कार्यान्वित करने में ढिलाई करती है। सरकार ने घोषणा की प्रत्येक व्यक्ति के पास जितना भी चावल है सरकार को बताये, परन्तु कई मिल मालिकों ने उसकी खुलेआम अवहेलना की। यह किसी भी सरकार या मंत्री के लिये लज्जाजनक है कि उनके आदेशों की इस प्रकार अवहेलना हो। अब सरकार एक अध्यादेश ला रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस अध्यादेश की घोषणा के उपरान्त कितने मामले पकड़े गये हैं। मेरी सूचना अनुसार केवल दिल्ली में एक मामला पकड़ा गया था। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब भी वह कोई अधिनियम पास करे तो उसको लागू भी दृढ़ता से करें। मूल्यों के निर्धारण में भी सरकार मिल-मालिकों को अनुचित लाभ देती है। आन्ध्र प्रदेश में सरकार ने सब से उत्तम प्रकार के ८५० किलो चावल का मूल्य 404 रुपये निश्चित किया और थोक विक्रेता को 2 प्रतिशत लाभ दिया, परन्तु वास्तव में उन्होंने मूल्य इस प्रकार निश्चित किया कि थोक विक्रेता $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत लाभ उठा सकता है। सरकार को चाहिये कि जो भी कानून बनाये उसको दृढ़तापूर्वक लागू करे। भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अधीन सरकार ने 1,421 मामले चलाये जिनमें से 761 को सज़ा हुई। शीघ्र अदालती जांच के अध्यादेश के अन्तर्गत भी सरकार ने एक ही मामला पकड़ा है। मुझे बहुत दुःख होता है जब मंत्री महोदय कहते है कि बढ़ते हुये मूल्यों के बारे में वह कुछ नहीं कर सकते।

इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने खाद्य पर वादविवाद का उत्तर देते हुए विधान सभा में यह कहा था कि वह इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि व्यापारी बहुत चालाक लोग होते है और यदि कोई अधिनियम बनाया भी जाये तो वे इस के उपबन्धों की परिवंचना कर के दूसरे साधन जुटा लेते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या हम उस व्यक्ति का उल्लेख कर सकते है जो यहां उपस्थित नहीं है ?

श्री हरि विष्णु कामत : वह उस पर दोष तो नहीं लगा रहे हैं परन्तु केवल उन की कही हुई बात को उद्धृत कर रहे हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मैं आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में उपस्थित थी जब मुख्य मंत्री जी वादविवाद का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था। यदि उन्होंने यह कहा भी है कि व्यापारी चालाक होते हैं तो इस में गलत बात कौनसी है।

सभापति महोदय : मैं माननीय महिला सदस्य को अपना आसन ग्रहण करने के लिये कहूंगा जानकारी अशुद्ध हो सकती है परन्तु उन्होंने तो केवल कहा है कि मुख्य मंत्री ने ऐसा कहा।

श्री यलमंदा रेड्डी : मैं अभी संसद पुस्तकालय से आ रहा हूं। मैंने यह आन्ध्र पत्रिका से पढ़ा है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यदि एक तथाकथित अतिरेक वाले राज्य के मुख्य मंत्री ऐसा कहें और केन्द्रीय मंत्री जी कहें कि खाद्य के मूल्यों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब विधेयक किस लिये पुरःस्थापित किये जा रहे हैं। सरकार को ऐसे कठोर उपाय करने चाहिये जिस से व्यापारी लोग खाद्यान्न का सम्भरण सस्ते दामों पर करने के लिये आबद्ध हों।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : The food problem has been discussed in this House time and again and serveral suggestions have been made to ameliorate the situation but contrary to this, the food problem is deteriorating day by day.

[Shri Sinhasan]

The Government have failed to check the rise in prices which are going up daily. It is wrong to say that the Government have no powers to deal with the situation. They have already put on greater powers under section 3 of the Essential Commodities Act to check the prices. Laws are there but those are not being implemented vigorously with the result that we have not been able to solve this problem. The late Shri Rafi Ahmed Kidwai, former Food Minister had a great force in his warning and was able to solve the problem. He had simply warned the traders that the new foodgrain order that had been issued authorising Government to take over stocks at the procurement prices would be enforced if they did not bring down the prices. As a result of this warning the prices came down from Rs. 22/- a maund to Rs. 17½ a maund. But now we find that the warnings of the Food Minister and the Prime Minister have no effect on the traders. When the ordinance was promulgated in November, the Prime Minister said that the necessary powers had been given to the authorities concerned to deal with the situation and it was upto them how to solve the problem. But what happened afterwards ? The stock of wheat and rice went underground and were only available in black market at higher prices. It would, therefore, be better to act than to give warnings which have no effect. Yesterday the Food Minister admitted in the Rajya Sabha that he was helpless in this matter. If that be the state of affairs, I do not know how more legislation is going to solve the problem. It would be ridiculous to give more powers to the magistrates to the effect that the sentences upto one month's imprisonment and a fine of Rs. 2,000/- would not be appealable. No doubt, we want that stringent measures should be adopted and properties of such traders should be confiscated to ease the situation. But inspite of all these powers which have been given to the Government, they have failed to do anything better. What is the reason for this. The reason is that standard of the authorities through whom these laws are executed, has gone so low and unless a complete change is brought about in the Government machinery, we will not be able to solve this problem.

There is food scarcity in certain areas and there is lot of disparity among the prices prevailing at different places. I think it is all due to this zonal system. I would welcome if there are no food zones and the curbs on the movement of food grains from one district to another district an from one State to another State are lifted. As has been pointed out by the Finance Minister there is no shortage of food and we are importing food grains, but there is something wrong with the distribution system. It is all due to the zonal system and the Government should reconsider the whole question and should implement the laws passed by this Parliament with great zeal and determination so that the problem is solved and the people are not allowed to starve any more.

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : मैं श्री दांडेकर से पूरी तरह सहमत हूं कि इस विधेयक का अभिप्राय समुदाय के कुछ वर्गों पर चोट करना है, फिर भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह चोर बाज़ारी, जमाखोरी तथा समाज विरोधी गतिविधियों का दमन करने के लिये लाया गया है। जहां श्री बड़े ने देश की खाद्य स्थिति का बड़ा करुण चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है वहां उन्हों ने समाज विरोधी लोगों के दण्ड देनेका विरोध भी किया है।

श्री बड़े : मैं केवल यह चाहता हूं कि व्यापारियों को अपील करने का अधिकार होना चाहिये।

श्री अ० शं० आल्वा : जहां तक वर्तमान कानून का सम्बन्ध है दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दण्डाधिकारी को शीघ्र अदालती जांच का अधिकार है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 से 265 के अधीन एक दण्डाधिकारी तीन महीने का दण्ड तथा अर्थदण्ड भी कर सकता है, परन्तु कारावास

अथवा 200 रुपये से अधिक अर्थदण्ड में धारा 414 के अधीन अपील करने का अधिकार है। अब यह उपबन्ध किया जा रहा है कि अपील केवल एक मास से अधिक सजा देने अथवा 2000 रुपये से अधिक अर्थदण्ड करने पर ही की जा सकेगी। श्री दांडेकर जी ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि व्यापारियों को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होना चाहिये। इस बारे में वर्तमान अधिनियम के अनुसार कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 435 से 439 के अधीन कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय को प्रचालित कर सकता है और उच्च न्यायालय को दोष-सिद्धि को रद्द करने अथवा सज़ा को कम करने का अधिकार प्राप्त है। अतः इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि छानबीन करने की काफी गुंजाइश है और इस बारे में किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शीघ्र अदालती जांच का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक दो बैठकों में ही मामला समाप्त हो जाये। यदि संक्षिप्त सुनवाई नहीं होती तो अन्य प्रकार की सुनवाई अथवा जाँच में विलम्ब होगा और मामले को शीघ्र निपटाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। जिस किसी व्यक्ति की एक महीने तक के कारावास अथवा 2000 रुपये तक के जुरमाने का दण्ड मिलता है उसे उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि दण्ड इससे अधिक का है तो निश्चय ही उसे अपील करने का अधिकार भी प्राप्त है। अपील कानूनी आधारों पर ही की जानी चाहिये। संक्षिप्त सुनवाई के मामले में गवाहों का साक्ष्य नहीं लिया जाता, केवल निर्णय में वह संक्षेप में दिया जाता है। ऐसे मामलों मे हमें दण्डाधिकारियों से उचित न्याय की ही आशा करनी चाहिये और ऐसा नहीं सोचना चाहिये, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, कि वे सरकार अथवा धनवान व्यक्तियों के मित्र होते है। हमारे दण्डाधिकारी एवं न्यायाधीश निन्दा के पात्र नहीं हैं।

मेरे विचार में विधेयक में कुछ दोष है। नवीन धारा 12-क में केवल कारावास के दण्ड की व्यवस्था है, जुरमाने की नहीं। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में विधेयक में आवश्यक उपबन्ध करें क्योंकि अन्य कहीं ऐसा कोई और उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत दण्डाधिकारी किसी व्यक्ति को जुरमाने का दण्ड दे सके। खण्ड 4 में भी कुछ संदिग्धता है। उसमें यह नहीं बताया गया है कि संक्षिप्त सुनवाई के लिये कौन मुकदमों को सक्षम दण्डाधिकारी के पास भेजेगा। उसमें यह भी उल्लेख होना चाहिये कि मामला ऐसे दण्डाधिकारी को भेजा जायेगा जिसके कि अधिकारक्षेत्र में वह आता है; क्योंकि हमारा अनुमान है कि इस अधिनियम के अधीन कुछ निश्चित क्षेत्रों के लिये विशेष दण्डाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे।

श्री चि० सुब्रम्हण्यम : सक्षमता में ही अधिकार क्षेत्र भी सम्मिलित है, अन्यथा तो वह उसके लिये सक्षम होगा ही नहीं।

श्री अ० शं० आल्वा : सक्षम दण्डाधिकारी का अर्थ है ऐसा दण्डाधिकारी जिसे इस सम्बन्ध में अधिकार दिये गये हों; यह आवश्यक नहीं कि वह क्षेत्र उसके अधिकारक्षेत्र में हो ही। यह उपबन्ध करना भी उचित ही होगा कि सक्षम दण्डाधिकारी के पास कौन मामला भेजेगा, सरकार अथवा वह दण्डाधिकारी जिसके पास वह मामला इस समय है। अपील के सम्बन्ध मे तो पहिले ही पर्याप्त व्यवस्था है। न केवल कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है अपितु उच्च न्यायालय को भी स्वयं रिकार्ड मंगाकर उनकी जांच करने का अधिकार प्राप्त है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, इतने वर्षों तक खाद्यान्नों के उत्पादन सम्भरण और वितरण के साथ खिलवाड़ करने और मुनाफाखोरों, जमाखोरों और चोरबाजारी करने वालों जैसे समाजविरोधी तत्वों के भ्रष्टाचार तथा दुष्कर्मों की उपेक्षा करने के पश्चात् अब सरकार ने 5 नवम्बर को प्रख्यपित विधेयक के स्थान पर व्यवस्था करने के लिये यह कदम उठाया है। इस सम्बन्ध में दोष उन लोगों का है जो कि अपने काले कारनामों के अपराध के दण्ड से बच गये है और अब मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, व्यापारियों और उत्पादकों का नहीं। चीनी आक्रमण के पश्चात् भारत प्रतिरक्षा

[श्री हरि विष्णु कामत]

अधिनियम के अन्तर्गत समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये सरकार को पर्याप्त शक्तियाँ दे दी गईं थीं। मैंने और मेरे दल के लोगों ने सरकार से यह निवेदन किया था कि इन शक्तियों का उचित उपयोग किया जाये। परन्तु उनका उपयोग विरोधी दलों के सदस्यों को नजरबन्द करने के लिये ही किया गया। सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि चोरबाजारी करने वालों और मुनाफाखोरों को इस अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर कोड़े लगा कर कुछ ऐसे उदाहरण उपस्थित किये जायें जिसके कि अन्य समाज विरोध तत्व ऐसी कार्यवाहियाँ करने से रूक जायें, परन्तु इसे वित्त मंत्री महोदय द्वारा बर्बतापूर्ण कार्यवाही कट कर टाल दिया गया। सरकार इन दो वर्षों में समाज-विरोधी कार्यवाहियों को रोकने के लिये अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में पूर्णत: असफल रही है। अन्तरिम संसद में 1950-51 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि भारत आगामी पाँच वर्षों में खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर हो जायेगा। परन्तु उस घोषणा को पूरा करने के लिये अभी तक भी कुछ नहीं कहा गया है और हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा था कि खाद्य समस्या भारत में कई वर्षों तक बनी रहेगी।

गत सितम्बर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री महोदय भी उपस्थित थे, उसमें सरकार की ओर से यह प्रतिज्ञापूर्ण घोषणा की गई थी कि यह सम्मेलन खाद्य स्थिति का सामना करने के निमित्त अल्पकालीन उपायों पर चर्चा करने के लिये बुलाया गया केवल एक प्राथमिक सम्मेलन है और दीर्घकालीन उपायों पर चर्चा करने के लिये एक अन्य सम्मेलन बुलाया जायेगा। परन्तु उस वचन को पूरा करने के लिये अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मैंने एक प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें यह पूछा था कि उन दीर्घ-कालीन उपायों के सम्बन्ध में क्या किया गया है और उसका उत्तर मुझे यह प्राप्त हुआ है कि मेरा प्रश्न तथ्यों पर आधारित नहीं है। क्या हम ऐसी सरकार मे विश्वास कर सकते हैं जो कि इतना सफेद झूठ बोलती है, जो कि अपने वचन का पालन नहीं करती? यह सरकार जो कि ब्रिटिश सरकार के कदमों पर चल रही है कदाचित् उस सरकार का निकृष्टतम रूप है। यह बहुत विलम्ब से तथा अत्यन्त थोड़ी कार्यवाही करती है। सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री हैं कि एक मंत्री महोदय वादविवाद के दौरान ही बैठे बैठे झपकी ले रहे थे। यह सरकार पिछले दो वर्षों से इस सम्बन्ध में निष्क्रिय है। भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अतर्गत कठोर शक्तियाँ प्रदान कर दी गई हैं परन्तु अब वे तो उन्हें स्थायी परिनियमों में संशोधन करके प्राप्त करना चाहते है। सरकार के इरादे नेक नहीं प्रतीत होते। यदि सरकार वास्तव में ही समस्या को हल करना चाहती और यदि उसने स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया होता तो उसे चाहिये था कि सितम्बर सम्मेलन में इस स्थिति पर चर्चा होने के तुरन्त पश्चात् सितम्बर के ही संददीय सत्र में वह एक उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करती। परन्तु इसके विपरीत सरकार ने व्यापारियों को 15 दिन की छूट दे दी और इस छूट से लाभ उठाकर वह अपने अनाज के स्टाक को छिपाने में सफल रहे।

क्या सरकार ईमानदारी से यह कह सकती है कि अध्यादेश को तात्कालिक आवश्यकता की दृष्टि से प्रख्यापित किया गया था? 2 दिसम्बर को गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये एक प्रश्न के उत्तर से यह बात स्पष्ट होती है। उसमें यह कहा गया है कि अध्यादेश के अन्तर्गत अभी तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है और यह कि तीन राज्यों में तो अध्यादेश के अधीन संक्षिप्त सुनवाई की भी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं नहीं समझता कि सरकार ने उन राज्य सरकारों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। हमारे देश का शासनतंत्र आज हमारे दुर्भाग्यवश इतना कार्यपटु तथा ईनामदार नहीं है जितना कि होना चाहिये था। सदाचार समिति और सन्थानम समिति ने इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है कि सम्पूर्ण देश मे भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा बड़े बड़े उत्पादक व व्यापारी समाज-विरोधी कार्यवाहियाँ कर रहे हैं। परन्तु इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार बहुत उत्साहहीन तथा सुस्त रही है और बड़ी देर बाद उसने इस कार्यवाही को करने का विचार किया है।

मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि समाज-विरोधी लोगों के साथ निस्संदेह की कड़ा व्यवहार किया जाये परन्तु क्या सरकार के मंत्रीगण तथा सहयोगी अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि वे पूर्णतः निर्दोष हैं ?

सभापति महोदया, आपको याद होगा कि जब आप खाद्य अपमिश्रण विरोध सम्बन्धी समिति की अध्यक्षा थी तो समिति के सदस्यों ने एवं साक्षी के रूप में पश्चिम बंगाल की खाद्य मंत्री ने यह विचार व्यक्त किये थे कि इन समाज-विरोधी तत्वों के साथ सरकार की साँठ गाँठ है क्योंकि वे लोग चुनावों आदि के लिये धन देते हैं। हमारी प्रशासन व्यवस्था अत्यन्त अकुशल तथा भ्रष्ट है तथा इसमें चाटुकार एवं मूर्ख लोग भी कुछ स्थानों पर हैं। यही कारण है कि हम संक्षिप्त सुनवाई के बारे में शंकित हैं। यदि इस प्रशासन व्यवस्था में सक्षम, ईमानदार, भ्रष्टाचार से मुक्त तथा कर्तव्यपरायण व्यक्ति होते तो मैं इस संक्षिप्त कार्यवाही का पूर्ण समर्थन करता, परन्तु ऐसे व्यक्ति इस देश में कितने हैं ?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमन्, एक औचित्य प्रश्न है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपने भाषण को तभी रोकूंगा जब कि वह वास्तव में औचित्य प्रश्न हो, अन्यथा नहीं। सदस्य महोदय यह बताये कि किस नियम और अनुच्छेद के अधीन औचित्य प्रश्न उठाया जा रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : उन्होंने चाटुकार और मूर्ख (फ्लंकीज़ एण्ड डंकीज़) जैसे शब्दों का प्रयोग इण्डियन सिविल सर्विस के प्रत्येक सदस्य के लिये किया है जिसमें वह स्वयं भी किसी समय थे। क्या इसे उचित कहां जा सकता है ?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री नम्बियार : यह एक वाक्यांश है इसके भावार्थ को लेना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा : उन्हें इतने कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। अभिव्यक्तिकी भाषा इतनी कठोर नहीं होनी चाहिये। उपर्युक्त शब्दों का चयन किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह किसी गम्भीर भावना से नहीं कहा गया है। इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। श्री कामत अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने केवल यह कहा था कि कुछ स्थानों पर ऐसे व्यक्ति है। यदि हमें प्रशासन व्यवस्था में, उसकी कुशलता में, पूर्ण विश्वास होता तो हम इस विधी में निर्धारित दंड से भी अधिक दंड देने का सुझाव करते।

केरल में अभी कुछ महीने पहिले एक ऐसा मामला हुआ था जिसमें एलेप्पी के जिलाधीश ने एक व्यापारी को दंड किया था। परन्तु वहाँ मंत्री महोदय ने जिलाधीश के आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि वह व्यापारी केरल विधान सभा के उपाध्यक्ष का निकट सम्बन्धी था और इस प्रकार पक्षपात किया गया।

श्री मणियंगाडन (कोट्टायम): उस मामले में जिलाधीश के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय ने भी रद्द घोषित कर दिया था और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने मंत्री द्वारा की गई कार्यवाही को उचित ठहराया था।

श्री हरि विष्णु कामत : आप अभी अभी आये हैं और मेरे तर्क को समझे ही नहीं हैं। यदि किसी मंत्री को हीं कानून चलाना है तो फिर दूसरी बात है। रोजगारी के बातों में मंत्री या सरकार इस प्रकार हस्तक्षेप करके प्रशासन में चारित्रहीनता तथा चाटुकारिता उत्पन्न करते हैं।

[श्री हरि विष्णु कामत]

अध्यादेश प्रख्यापित करना उस समय आवश्यक नहीं था। यदि सरकार ने इस बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार किया होता तो सितम्बर के सत्र में ही कुछ कार्यवाही की होती। अध्यादेश जारी करने की सरकार की शक्ति तिरस्कार योग्य है ; हमने संविधान सभा में भी इसका विरोध किया था और अब भी करते हैं ; इससे सम्बन्धित अनुच्छद को यथासम्भव शीघ्र निकाल देना चाहिये। इस विधेयक का मैं आंशिक रूप से समर्थन करता हूँ, क्योंकि जब तक हमें यह आश्वासन न दिया जाये कि संक्षिप्त सुनवाई के अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा इससे छोटे छोटे व्यापारियों का दमन नहीं किया जायगा तब तक मैं और मेरा दल इसका समर्थन नहीं कर सकते।

श्री भागवत झा आजाद : (भागलपुर): जब भी कभी सरकार ने व्यापारी वर्ग को और आढ़तियों को यह प्रस्ताव अथवा परामर्श और साथ ही चेतावनी दी है कि वे लोग बढ़ते हुए मूल्यों को रोकें तभी उन्होंने इसके विपरित ही कार्य किया है और मूल्यों में वृद्धि की है। इसके अनेक उदाहरण हैं। प्रधान मंत्री ने चेतावनी दी थी कि यदि व्यापारियों ने पन्दरह दिन में मूल्यों में कमी नहीं की और उचित व्यवहार नहीं किया तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ; खाद्य मंत्री महोदय ने भी ऐसे अनेकों वक्तव्य दिये थे, परन्तु इन सबका कुछ भी प्रभाव न हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में जब यह घोषणा की गई कि सरकार मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये व्यापक शक्तियाँ लेगी तो व्यापारी वर्ग ने दिल्ली में ही कुछ वस्तुओं के मूल्य 20 प्रतिशत तक बढा दिये। जब अध्यादेश प्रख्यापित किया गया तो उसके दूसरे ही दिन गेहूं के मूल्य 6 रुपये प्रति क्विटल बढ़ गये। इन परिस्थितियों में सरकार के लिये समाज-विरोधी तत्वों, कानून का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों तथा उनके साथ साँठ-गाँठ करने वाले सब अधिकारियों के लिये संक्षिप्त जांच सम्बन्धी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक था। यह विधेयक वास्तव में बहुत देर से लाया गया है, सरकार को इसे पहिले ही लाना चाहिये था।

जून से देश में खाद्यसामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ गये हैं और उनके सम्भरण तथा वितरण की व्यवस्था खराब हो गई है तथा नितर्बाध व्यापार की आड़ में चोरबाजारी, मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी हो रही है। आज का निर्बाध व्यापार जन साधारण के हित के लिये नहीं हो रहा है अपितु कुछ मुट्ठी भर व्यापारियों के लाभ के लिये ही है जिन्हें कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से सहायता मिल रही है तथा बैंकों से ऋण मिल रहा है, ऐसे बैंक जो कि छोटे छोटे किसानों को कभी पेशगी धन अथवा ऋण नहीं देते। इन परिस्थितियों में सरकार को इन व्यापक शक्तियों के लेने की अत्यन्त आवश्यकता है। अपराधियों के लिये संक्षिप्त जांच की यह शक्तियाँ इसलिये ली जा रही हैं कि सामान्य प्रक्रिया में मामले उच्च न्यायालय तक भी चले जाते हैं, उनमें बड़ा भारी विलम्ब होता है तथा फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक अपराधी को दंड दे दिया गया है। आज जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के लोग जनसाधारण के हित के नाम पर शोर-शराफ मचा रहे है तथा कहते हैं कि मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं तथा न्याय व्यवहार समाप्त किया जा रहा है; वे विभिन्न परिभाषामें पूछ रहे हैं तथा इस सदन और इसके सदस्यों को उपदेश दे रहे हैं; यह सब बात उचित नही है। वास्तव में तो दण्ड सम्बन्धी शक्तियाँ बढा देनी चाहिये। बिना अपील कारावास की अवधि बढाकर छः मास की तथा जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जानी चाहिये। अपराधी पाये जाने वाले व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त कर ली जानी चाहिये।

श्री शिकरे : अपील का अधिकार देने में क्या हानि है ? यदि अपील का अधिकार नहीं दिया जाता तो क्या इसका यह अर्थ नहीं निकला कि हमारी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है ?

श्री भागवत झा आजाद : जनसाधारण के नाम पर मेरे समाजवादी मित्र द्वारा क्या दलील पेश की जा रही है। क्या चोरबाजारी, मुनफाखोरी और जमाखोरी करनेवालों को अपील करने का अधिकार दिया जाये ?

मैं यह जानना चाहूँगा कि अध्यादेश को प्रख्यापित किये जाने के पश्चात् क्यों किसी अपराधी को दण्ड नहीं दिया गया ? क्या इन चोरबाजारी और मुनाफा खोरी आदि करनेवाले लोगों ने उचित रूप से व्यवहार प्रारंभ कर दिया था ? क्या यह सच नहीं है कि अध्यादेश प्रख्यापित होने के तुरन्त पश्चात ही राजधानी में ही गेहूँ के मूल्य 6 रुपये प्रति क्विन्टल बढ़ गये थे इसके लिये कोई कारण नहीं है कि सरकार कुछ एक ऐसे लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कि समस्त समाज को परेशान कर रहा है, कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती; हम सरकार को निर्बाध शक्तियाँ देने को तैयार हैं, परन्तु सरकार को उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये समक्ष होना चाहिये। अब तक किये गये जो प्रयत्न असफल हुए हैं उसका कारण यह है कि नौकरशाही ने अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ कर रखी है। अधिनियमित किये जाने वाले कानून के अन्तर्गत जमाखोरों, मुनफाखोरों तथा चोरबाजारी करने वाले लोगों को पकड़कर सरकार को अपना अस्तित्व सिद्ध करना चाहिये ।

डा० सरोजिनी महिषी (उत्तर धारवार): मूलभूत अधिकारों के उचित उपभोग के लिये उपयुक्त प्रतिबन्ध आवश्यक हैं और इस मामले में भी कानून के उचित प्रकार से लागू किये जाने के लिये कुछ उपयुक्त प्रतिबन्ध लगाये जाने आवश्यक हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश में खाद्यान्नों के अभाव के कारण और मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक किलो गेहूँ अथवा चीनी के लिये लोगों की लम्बी लम्बी कतारें लगी रहती हैं। सरकार ने इसका सामना करने के लिये जो अनेक उपाय किये हैं वे व्यापारियों तथा आढ़तियों की चालबाजियों के आगे बेकार सिद्ध हो रहे हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू क्यों नहीं कर पा रही।

महलोनोबीस समिति के प्रतिवेदन में कहा गया था कि पिछले अनेक वर्षों से मूल्य तो बढते रहे हैं परन्तु नागरिकों की राष्ट्रीय आय में भारी वृद्धि नहीं हुयी है। नीचे के दस प्रतिशत लोगों की उपभोग क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों मे 31 पैसा और नगरों में 41 पैसा है तथा ऊपर की दस प्रतिशत जनसंख्या की उपभोग क्षमता 61 पैसा है। आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि के कारण उपभोक्ता मूल्य देशनांक जून 1963 में के 132 से बढ़कर नवम्बर 1964 में 138 हो गया है और अब भी वृद्धि पर है। इससे स्पष्ट है कि अत्यावश्शक वस्तुओं के मूल्यों पर उचित रूप से नियंत्रण नहीं रखा गया है। खाद्य अपमिश्रण विरोधविधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में साक्ष्य देते समय व्यापारियों ने यह दलील पेश की थी कि खाद्य पदार्थों की कमी से बाध्य होकर उन्हें अपमिश्रण करना पड़ता है। यह एक निराधार दलील है। और फिर देश में खाद्य का अभाव विभिन्न बातों की क्रिया और प्रतिक्रिया से हुआ है खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करने के साथ साथ हमें अपने कानूनी और प्रशासकीय उपायों में विद्यमान त्रुटियों को भी दूर करना चाहिये, कृषकों को प्रोत्साहन देना चाहिये तथा खाद्यसामग्री के वितरण को उचित प्रकार से विनियमित करना चाहिये ।

भारत प्रतिरक्षा अधिनियमों तथा अत्यावश्यक पण्य अधिनियम 1955 के अधीन सरकार को पहले ही अनेक अधिकार प्राप्त हैं। 1955 के अधिनियम को धारा 12 के अन्तर्गत धारा 3 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये से अधिक के जुरमाने का दण्ड दिया जा सकता है। परन्तु मुझे इस बारे में संदेह है कि यदि प्रशासन व्यवस्था और न्याय-व्यवस्था को पृथक न किया गया तो ये कानूनी उपाय ठीक प्रकार क्रियान्वित भी हो पायेंगे। मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये। इस विधेयक द्वारा संक्षिप्त का भी अधिकार दिया जा रहा है। खाद्य अपमिश्रण विरोध अधिनियम के अधीन भी 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है। परन्तु एकमात्र समस्या इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की है। आज एक मुख्य शिकायत यह है कि जो कानून लागू हैं उन्हें उपयुक्त ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता। बहुत से कानून बनाकर और उन्हें क्रियान्वित न करके एक उपहासास्पद स्थिति उत्पन्न नहीं होनी देनी चाहिये। यह विधेयक कुछ बातों को विनयमित

[डा० सरोजिनी महिषी]

करने और नागरिकों को मूलभूत अधिकारों की गारन्टी देने के लिये है अत: मैं इसके अधिनियम के पक्षमें हूँ। मंत्री महोदय यह भी देखें कि विधान उचित रूप से क्रियान्वित भी किया जाये। खाद्य नियंत्रण कभी आवश्यक भी हो सकता है परन्तु इसे स्थायी रूप में अपनाना आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालता है। किसी अल्पविकसित देश में पूंजी विनियोग किया जाता है तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का विकास किया जाता है तो इस सबसे धन तो लोगों के हाथों में आ जाता है परन्तु उपभोक्ता वस्तुओं के उचित मात्रा में उपलब्ध न होने से मूल्य बढ़ने लगते हैं, मूल्यों में वृद्धि से मुनाफाखोरी और जमाखोरी जैसी बुराइयों के बनाने की सम्भावना रहती ही है। इस दृष्टि से कि सरकार ऐसे अपराधों को रोकने में सफल हो, सरकार को यह देखना चाहिये कि इस विधेयक में किये गये उपबन्ध उपयुक्त ढंग से लागू किये जायें।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूँ, परन्तु मुझे इस बारे में संदेह है कि सरकार इस विधेयक की उचित रूप से क्रियान्विति कर सकेगी। सरकार ने यह विधेयक को प्रस्तुत किया है, क्या यह इस कारण से प्रस्तुत किया गया है कि देश में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है अथवा उनके उपलब्ध न होने से मूल्यों में वृद्धि हो गई है, अथवा किसी अन्य कारण वश? सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों से पता चलता है कि देश में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 1963 की पाकेट बुक में दिये गये 1962 तक के आँकड़ों में बताया गया है कि 1951 में 13.5 औंस, 1956 में 16.2 औंस, 1959 में 14.7 औंस, 1960 में 15.7 औंस, 1961 में 16.2 औंस और 1962 में 15.8 औंस खाद्यान्न प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध था। यह भी बताया गया है कि 1963 तथा 1964 में उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा आयात भी किया जा रहा है। इस सबको देखते हुए देश में खाद्यान्न की कमी नहीं कही जा सकती। इस समय जो खाद्यान्न की कमी की स्थिति बन गई है उसका कारण यह है कि व्यापारियों ने, थोकविक्रेताओं ने और कहीं कहीं फुटकर विक्रेताओं ने भी, अनाज का सारा स्टाक छिपा रखा है। इस सबका उत्तरदायित्व सरकार पर ही है। व्यापरियों के इस अनुचित व्यवहार के विरुद्ध सरकार ने इतने दिनों से क्या कार्यवाही की है? प्रशासन में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि व्यापारियों के साथ साँठ-गाँठ रखते है जिसके कारण वे लोग इस प्रकार अनाज छिपा कर रख पाते हैं। इसीलिये तो हम यह कहते हैं कि सरकार छिपे अनाज को बाहर निकालने और उसे लोगों के पास तक पहुँचाने के लिये उचित उपाय करने में असफल रही है। श्री भागवत झा आजाद ने यह कहा है कि जब सरकार कोई उपाय करती है तो विरोधी दल के सदस्य दोषारोपण करते हैं और यदि उपाय नहीं करती तब भी वे दोषारोपण करते हैं; परन्तु जब सरकार हमारे किसी बात के संकेत करने पर कोई क्षुद्र सा उपाय करे तो क्या हम उस पर कुछ भी न कहें? ऐसे मामलों में सरकार को पूर्ण अधिकार लेने चाहिये तथा उन्हें समय पर तीव्रता पूर्वक लागू करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य महोदय कुछ और समय लेंगे।

श्री नम्बियार : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखे।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 9 दिसम्बर, 1964/18 अग्रहायण, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 9, 1964/Agrahayana 18, 1886 (Saka).

भा० स० मु० ना० —5 लोक सभा/65—13-7-65—600.